खण्ड-214, अंक-6
सोमवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1882
(1 अगस्त, 1960 ई0)

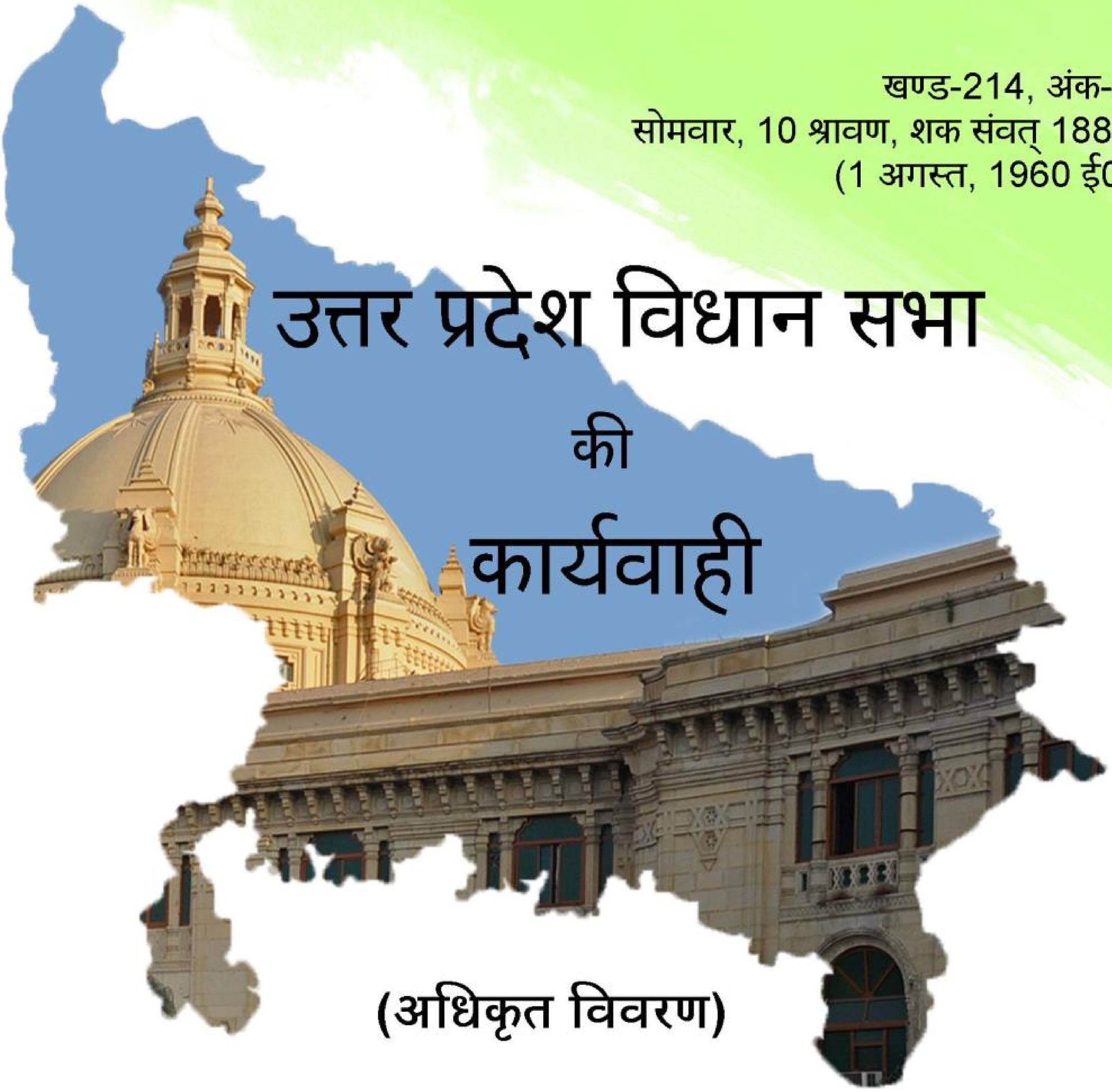

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३७७–३८१
प्रश्नोत्तर	३८१–३९६
कार्य-स्थगन प्रस्तावों एवं नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्नों की सूचनाएं	३९६
रिहन्द डैम का फाटक बन्द करने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३९६–४००
सूचना विभाग के अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	४००–४०४
२ मई, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	४०४
प्रश्नों के विषय में जानकारी	४०४
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव-स्वीकृत)	४०४–४४९
नत्थियां	४५०–४५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखण्डेराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगोतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महादेवी प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
मालाप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवतार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रसोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कण्डयाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हीरालाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

एस० डी० ओ०, रसड़ा के पीटे जाने की घटना

****१—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि पिछली २५ जन की रात को बलिया नगर में एस० डी० ओ०, रसड़ा तथा उनकी पत्नी को उनके घर में घुस कर बुरी तरह पीटा गया ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां।

****२—श्री गौरी शंकर राय तथा श्री ऊदल**—क्या मुख्य मन्त्री कृपया उक्त घटना के सम्बन्ध में कारणों सहित एक संक्षिप्त विवरण देंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस घटना के सम्बन्ध में अभी जांच हो रही है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त एस० डी० ओ० साहब ने इस घटना को बहुत पहले जिलाधीश को यह लिख कर दे दिया था कि उनको कुछ लोगों ने मारने और पीटने की धमकी दी है और उनको इससे खतरा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा कहा जाता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि पहले भी बलिया जिले में कई आफिसर्स इसी तरह पीटे जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या पहले से इस घटना को रोकने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तो मुझे पहले की किसी घटना की याद नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को पता है कि बलिया जिले में इस प्रकार का कोई विशेष संगठन है जो इस प्रकार की हरकतें किया करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को इसकी इत्तला होगी, मुझे तो है नहीं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि अभी हाल ही में इस घटना के सम्बन्ध में कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कुछ लोग गिरफ्तार हुये हैं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर किन-किन दफाओं के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—इस के सम्बन्ध में, मारपीट की जो दफायें हैं उनको आप देख लीजिये ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस मारपीट के सम्बन्ध में गिरफ्तार एक मुल्जिम ने ऐसा बयान दिया है, जिससे ऐसा पता चलता है कि इस में कुछ पोलिटिकल लोगों का भी हाथ है । यदि हां, तो उसने क्या बयान दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता । अभी तो बयान देने का कोई मौका ही नहीं आया है क्योंकि मुकदमा अभी अदालत में गया ही नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच हो रही है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच सी० आई० डी० के द्वारा हो रही है । कब तक खत्म होगी, मैं नहीं कह सकता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ क नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

जिला सहकारी फेडरेशन, गोरखपुर में गबन

*१—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—गोरखपुर जिला फेडरेशन के बोर्ड के निलम्बन के बारे में २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९,२० व २१ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन में कोयला, भट्ठे व कपड़े के कारबार में कितने के गबन होने की सूचना है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—जिला सहकारी फेडरेशन, गोरखपुर में कपड़े के व्यापार में ७४,६६० रुपये ५२ नये पैसे (चौहत्तर हजार छः सौ साठ रुपये बावन नये पैसे) के गबन होने की सूचना मिली है । कोयले के मद में कोई गबन नहीं है । भट्ठे के मद की आडिट अभी चल रही है ।

*२—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उक्त फेडरेशन के निलम्बित पदाधिकारियों में जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनमें से कई व्यक्ति गोरखपुर जिला सहकारी बैंक के प्रबन्धक संचालक तथा डाइरेक्टर के पदों पर अब तक कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें उक्त बैंक के उक्त पदों पर कार्य करने से भी वंचित कर बैंक के हितों की रक्षा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां । सहकारी ऐक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है ।

---

* नोट—तारांकित प्रश्न १–२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस से इस तरह की बैंक में गड़बड़ी करने वाले को निलम्बित किया जा सके या कोई ऐसी दफा है कि जिससे गड़बड़ी करने का काम बन्द हो जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जब शिकायत आती है और साबित भी हो जाता है तब बोर्ड को निलम्बित किया जाता है और मामला पुलिस को भी भेजा जाता है और साथ ही विभागीय कार्यवाही भी होती है।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार के पास ऐसी भी कोई शिकायत आयी थी कि बैंक के इन्तजाम में भी गड़बड़ी और गबन हो रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां, आई थी। उसकी अब जांच भी हो चुकी है और एक मामला पुलिस कार्यवाही के लिये भी भेजा गया है और बाकी में जो नाजायज खर्च कर दिया गया था उसकी वसूलयाबी हो रही है। मामला डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को रिपोर्ट के लिये गया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---यह कौन से सज्जन हैं कि जो निलम्बित होने के बाद भी रजिस्ट्रार के पद पर अभी तक काम कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---निलम्बित तो किया ही नहीं गया।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, प्रश्न २ में देखा जाय, उसमें स्पष्ट है कि वह नौकरी से निलम्बित हो गये। निलम्बित हुए लोग डायरेक्टर बने हुये हैं, तो यह पूछा है कि वह कौन ऐसे लोग हैं जो निलम्बित होने के बाद भी डायरेक्टरों के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---ये दो प्रश्न हैं। डिस्ट्रिक्ट सहकारी फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक। फेडरेशन के डायरेक्टरेट को निलम्बित कर दिया गया है। प्रश्न यह था कि उन डायरेक्टर्स को, जो कोआपरेटिव बैंक के भी सदस्य हैं वहां से भी क्यों न निलम्बित किया जाय, क्योंकि फेडरेशन में निलम्बित हो चुके हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, यह मैंने बतलाया।

श्री गेंदासिंह---ये कौन लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष---नाम जानना चाहते हैं क्या ?

श्री गेंदासिंह---वे व्यक्ति कौन हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सात आदमी हैं। सर्वश्री ए० पी० वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर; द्वारिकाप्रसाद, डायरेक्टर; अक्षयवरसिंह, डायरेक्टर; गनेशप्रसाद पांडेय, डायरेक्टर; रामलखनचन्द चौधरी, डायरेक्टर; देवधारी उपाध्याय, डायरेक्टर और विभूती राम, डायरेक्टर।

श्री गेंदासिंह---इनमें से किसके जिम्मे कितने रुपये के गबन का मामला विचाराधीन है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---किसी के जिम्मे भी नहीं है। यह तो फेडरेशन के बोर्ड ने गलत कार्यवाही की थी इसलिये उसको निलम्बित किया गया। इनकी जिम्मेदारी नहीं है सिवाय मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के, जिन्होंने ४६·६० नये पैसे का दो दफा पेमेन्ट ले लिया था, जिसके मामले को पुलिस को भेज दिया गया है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर के विधायकों ने वहां के डिप्टी-रजिस्ट्रार के बारे में शिकायत की थी कि उनकी जानकारी में गड़बड़ियां हुई हैं, उनको अलग क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह तो एक प्रशासकीय मामला है, सरकार के विचाराधीन होगा ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों का नाम पढ़ा है उनमें कितने विधान मंडल के सदस्य हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मेरे से बेहतर माननीय सदस्य स्वयं जानते होंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह सही है कि इनमें से ३ कांग्रेस पार्टी के एम० एल० ए० हैं और एक यहां के कांग्रेस मंडल के सभापति हैं वर्मा साहब ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जब हमारा विभाग जांच करता है तो यह नहीं देखता कि कितने कांग्रेस के हैं और कितने दूसरे ।

[१ अगस्त, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, आजमगढ़ के आडिट नोटों की तामील

*१---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, आजमगढ़ के आडिट नोट वित्तीय वर्ष १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ की अब तक कम्प्लायन्स नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, आजमगढ़ के वर्ष १९५४-५५, ५५-५६ तथा ५६-५७ के आडिट नोटों की तामील हो चुकी है । वर्ष ५७-५८ के आडिट नोट की तामील रिपोर्ट की अभी जांच हो रही है ।

*२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, जिला आजमगढ़ ने जिले के विभिन्न स्थानों पर वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में ८ ईंटों के भट्ठे चलाये थे ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, आजमगढ़ ने साल १९५७-५८ में केवल चार भट्ठे निम्नलिखित स्थानों पर चलाये :---

१---सादी की सराय,
२---सिधारी,
३---भटवध,
४---जमीन रसूलपुर ।

*३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ४४,९११ रुपये ४९ नये पैसे की उधार ईंट तथा कार्यकर्त्ताओं को १०,२८० रुपये ७३ नये पैसे अग्रिम दे दिया गया जिसकी वसूली अब तक नहीं हुई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां । उधार दी गई ईंट की मद में से २३,१४४·६१ नये पैसे (तेइस हजार एक सौ चवालिस रुपये इकसठ नये पैसे) की वसूली हो गयी है और बकाया की वसूली की जा रही है । अग्रिम दी गई धनराशि में से ७,६३७·७९ नये पैसे (सात हजार छ सौ सैंतिस रुपये उन्यासी नये पैसे) की वसूली भी हो चुकी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि १९५७-५८ के आडिट नोट की तामीलात न होने का क्या कारण है ? और यह आडिट कब हुआ था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह आडिट बोर्ड को प्रस्तुत हुआ था । बोर्ड ने एक सब-कमेटी इसकी जांच के लिये बैठाई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ४४,९११ रुपया और १०,००० रुपया जो अग्रिम कार्यकर्त्ताओं को उधार दिया गया तो क्या कार्यकर्त्ताओं को अग्रिम देने का या उधार देने का इस फेडरेशन में कोई विधान है, या वहां मंत्री ने अपने मन से उधार दे दिया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह जो ४४,९११ रुपये ४९ नये पैसे हैं यह तो ईंटों के हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों को दी गयीं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपका दोहरी घाट पम्प कैनाल है, नलकूप विभाग जिला नियोजन समिति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक विभाग, जिला बोर्डों आदि और इसमें से, जैसा मैंने बताया कि बहुत-सा वसूल हो चुका है और बकाया की वसूली की कोशिश है। जो १०,००० रुपया अग्रिम कार्यकर्त्ताओं को दिया गया उसके कोई खास नियम नहीं हैं। जैसे और ले सकते हैं, वैसे वह भी ले सकते हैं, लेकिन ७,००० रुपया इसमें से वसूल किया जा चुका है।

*४-५—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ८ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कृषि विद्यालय

*६—**श्री गेंदासिंह**—क्या सहकारिता मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में कितने कृषि विद्यालय हैं और वे कहां-कहां है तथा इनमें इस समय कितने शिक्षार्थी अध्ययन कर रहे हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—विद्यालयों के नाम तथा उनके स्थान संलग्न† ३ सूचियों में दिये हुए हैं। इन विद्यालयों में १९५९-६० में लगभग ४२,७१२ शिक्षार्थी कृषि अध्ययन कर रहे थे।

*७—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त विद्यालयों को वह किस प्रकार सहायता कर रही है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि वह इनमें से किन-किन विद्यालयों को स्वतः चला रही है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जहां तक संभव होता है विद्यालयों को अनुपालन अनुदान दिया जाता है। निम्नलिखित विद्यालयों को कृषि विभाग स्वतः चलाता है :—

(१) कृषि कालेज, कानपुर।
(२) कृषि स्कूल, बुलन्दशहर।
(३) कृषि स्कूल, गोरखपुर।
(४) कृषि स्कूल, चिरगांव, झांसी।

उक्त विद्यालयों के अतिरिक्त सूची १ में उल्लिखित सरकारी विद्यालयों का पूरा व्यय शिक्षा विभाग वहन करता है।

*८—**श्री गेंदासिंह**—क्या यह सही है कि कानपुर कृषि महाविद्यालय और देवरिया कृषि महाविद्यालय अनेक कठिनाइयों में हैं ? यदि हां, तो सरकार उनकी सहायता किस प्रकार करने जा रही है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतएव प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

---

† नत्थी छापी नहीं गई।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं जरा जल्दी में आया था, प्रश्न का उत्तर शायद मुझे मिल नहीं पाया, भेजा गया होगा। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर और देवरिया के कृषि विद्यालयों की तरफ से उनसे कोई प्रार्थना की गयी थी या कोई रिपोर्ट किसी अधिकारी की आयी थी कि वह कठिनाई में है और उनके लिये कोई विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिये ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---मेरी जानकारी में तो इस प्रकार की कोई शिकायत आयी नहीं है और यदि आदरणीय सदस्य कोई बतायेंगे तो जरूर विचार करेंगे।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दीपनारायण मणि त्रिपाठी जी जो देवरिया कृषि विद्यालय के मंत्री है उनके द्वारा किसी प्रार्थना पर उन्होंने विचार किया या नहीं या उन्होंने कृषि विद्यालय के संबंध में कोई शिकायत या प्रार्थना अपनी रखी या नहीं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---मेरी सूचना में तो ऐसी कोई बात है नहीं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गत वर्ष कृषि अनुसंधान के लिये और स्वायल कंजर्वेशन के लिये ग्रांट की मांग की थी और एक ट्रैक्टर की मांग की थी, वह स्वीकार हुई या नहीं और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यदि इस प्रकार की कोई मांग की गयी होगी तो विचाराधीन होगी और जो तय होगा वह कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या कृषिमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी ओर से इन दोनों विद्यालयों को अब तक कोई सहायता दी गयी है या नहीं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जहां तक कानपुर विद्यालय का संबंध है उसको तो सरकार ही चलाती है, तो सहायता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और जहां तक देवरिया कालेज के लिये सहायता की बात है तो पिछले वर्ष तो इसका नाम नहीं था, इस साल डेढ़ लाख की सहायता दी जायगी। इस साल अगर आवेदनपत्र आवेगा और उसका नम्बर आया तो सहायता दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जैसा कि श्री दीपनारायणमणि कह रहे हैं उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था तो यह जो सहायता दी जायेगी यह १९५९-६० के लिये दी जायगी या १९५९-६० और १९६०-६१ दोनों को मिलाकर दी जायगी।

श्री कालीचरण अग्रवाल---जब १९५९-६० में नहीं दी गयी तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनका आवेदन-पत्र खारिज कर दिया गया।

सहारनपुर जिले में कृषि फार्म खोलने की योजना

*९---श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां कृषि फार्म सरकार की तरफ से खुलने वाले थे उसमें अब तक कितने खोले जा सके ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहकारी संघ, भर्थना के संचालक मण्डल का निलम्बन

*१०---श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ, भर्थना, जिला इटावा के संचालक मंडल को गबन, जालसाजी तथा धन क दुरुपयोग के कारण १९५६ में निलम्बित किया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*११—**श्री गजेन्द्रसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कोआपरेटिव संघ, इटावा व सहकारी बैंक, इटावा का कितना-कितना रुपया भर्थना संघ पर बाकी है और उसके वसूल करने का क्या प्रयास किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला सहकारी विकास संघ इटावा का ५,३०७ रुपये ५१ नये पैसे तथा जिला सहकारी बैंक इटावा का ८,३४५ रुपये ६७ नये पैसे भर्थना सहकारी संघ पर बकाया है।

जिला सहकारी विकास संघ ने भर्थना संघ पर अपने बकाया उपरोक्त रकम को वसूल करने के लिये दावा किया था जिसमें निर्णायक ने २,०११ रुपये ६१ नये पैसे की डिक्री २६ अप्रैल, १९६० को दी। भर्थना संघ ने जिला सहकारी विकास संघ में हिस्से के रूप में जमा अपने २,००० रुपये की डिक्री की रकम में मुजरा कर दिया है। भर्थना संघ जिला सहकारी बैंक के बकाये की शीघ्र अदायगी के लिये प्रयत्नशील है।

गारबगढ़ी ग्राम सभा के प्रधान के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत

*१२—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० मई, १९५९, शनिवार को अलीगढ़ जिले के लहरा बीज गोदाम पर सुपरवाइजर ने गारबगढ़ी ग्राम के प्रधान को ठीक उनके पुत्र के विवाह के दिन और रात्रि को जबरन ताले में बन्द कर दिया था और इस संबंध में शासन को कई पत्र लिखे गये थे परन्तु अभी तक उस संबंध में कोई जांच नहीं हो सकी ? क्या सरकार इतने विलम्ब का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—गारबगढ़ी ग्राम सभा के प्रधान के पिता को बकाया की वसूली के संबंध में सुपरवाइजर बीज गोदाम ने ३० मई, १९५९ की रात्रि को रोका अवश्य था किन्तु न तो उन्हें जबरन ताले में बन्द किया और न कोई उनसे दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता के ही २ शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी आवश्यक जांच कई बार उप-निबंधक, सहकारी समितियां, आगरा एवं जिलाधीश, अलीगढ़ द्वारा कराई जा चुकी है।

*१३—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या यह सच है कि सहकारिता उप-मंत्री, लगभग ६ माह पूर्व जब अलीगढ़ गये थे उस समय उन्होंने जिलाधीश को उक्त घटना की जांच मेरी उपस्थिति में शीघ्र कराने और उसका विवरण भेजने के आदेश दिये थे ? जिलाधीश ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां। जिलाधीश ने उप-निबंधक आगरा की जांच के बाद भी स्वयं मामले की जांच की है और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन अधिकारी और जिला सहकारी अधिकारी, दोनों फरियादी के प्रार्थना-पत्र पर गये और उन्होंने लहरा बीज गोदाम में प्रधान के पिता को ताले में बन्द पाया और उनको छुड़ा दिया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां, जिस तारीख में शिकायत हुई उसी तारीख में डी० पी० ओ० और डी० सी० ओ० मौके पर गये थे और प्रधान के पिता को बैठा हुआ पाया था।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या यह सही है कि लहरा के प्रधान और २ और व्यक्ति ताले में बन्द पाये गये थे और उनके आवेदन-पत्र भी सरकार को मिले हैं और उसी के आधार पर इसकी जांच आरम्भ कराई गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—गांव सभा के प्रधान के कोई शिकायती पत्र सरकार को मिले हैं, इसमें तो मैं कोई तथ्य नहीं पाता, अलबत्ता माननीय सदस्य के इस सिलसिले में जरूर पत्र मिले हैं जिनकी जांच हुई है ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी शिकायत थी उनके सामने सरकार ने जांच कराई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां, अभी १७ मई, १९६० को माननीय सदस्य की उपस्थिति में उप-निबंधक सहकारी समितियों ने जांच की है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी, इस मामले में जो जिलाधीश की रिपोर्ट है उसको सदन की जानकारी के लिये पढ़ने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी संक्षेप में बता सकते हैं, पूरी रिपोर्ट पढ़ने की मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिलाधीश महोदय ने प्रधान और प्रधान के पिता, दोनों को बुलाया था और उनसे बातचीत की । उन दोनों ने यह कहा कि हम इससे पेश्तर जो अपना बयान दे चुके हैं उससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना है और यह भी कहा कि आइन्दा हमें परेशान न किया जाय ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, जिलाधीश की फांइडिंग्ज तो उन्होंने बतलाई नहीं ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया कि यह रिपोर्ट आई है ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, जिलाधीश की फाइंडिंग्ज क्या हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—फांइडिंग्ज यह है जैसा कि मैंने अपने उत्तर में अभी कहा कि उसको वहां पर बैठाया हुआ जरूर पाया गया लेकिन ताले में बन्द नहीं किया गया और न कोई दुर्व्यवहार ही किया गया बल्कि उनको खाना भी दिया, चारपाई भी दी और खुले में सोये भी । चूंकि रात में बैठाया गया था इसलिये लोकल डिसिप्लिनरी कमेटी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु इसको भेज भी दिया है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रधान के पुत्र हैं उनको कोआपरेटिव सोसायटी में नौकरी दे दी गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस संबंध में माननीय सदस्य को ज्यादा जानकारी होगी, सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

ऊसर भूमि बसाने की योजना

*१४—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार ने प्रदेश की ऊसर भूमि को आबाद करने की कोई योजना बनायी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां।

*१५—**श्री विश्रामराय**—क्या इस योजना के अन्तर्गत जनसाधारण को भी ऊसर आबाद करने में सहायता देने की कोई व्यवस्था है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां ।

*१६—**श्री विश्रामराय**—यदि हां, तो क्या ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—(१) निःशुल्क प्राविधिक परामर्श, तथा (२) तकावी ऋण ।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब से लागू हुई है और अब तक कितनी ऊसर भूमि आबाद हुई है और इस योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह योजना पुरानी है और दूसरी अभी तय नहीं हुई है। जो कोई काश्तकार अपनी जगहों पर ऊसर भूमियों को रिक्लेम करना चाहता है उसे यह सेवा निःशुल्क दी जाती है। उन्हें यह भी बतलाया जाता है कि किस प्रकार से यह कार्य आरम्भ करना चाहिये। १० जिलों में हमने ५०० एकड़ के ऊपर यह कार्य शुरू किया है जो अभी चल रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---१० जिलों में जो नयी योजना है वह क्या है और उस पर सरकार का कितना व्यय होने जा रहा है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इन १० जिलों के ब्लाकों में कुछ गांवों का चयन किया गया है और सर्वे कराया है कि वह ऊसर भूमि ठीक हो सकती है या नहीं। उन्हीं जमीनों पर काम शुरू किया गया है जहां किसानों के पास पहले से पट्टे थे अथवा ग्राम समाज से पट्टे ले लिये गये। ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों को भी कार्य बताने की ट्रेनिंग दी गई है। एक ८ सूत्री योजना है जिसमें तमाम जिले का सर्वे होता है। बी० डी० ओज० को ट्रेनिंग दी जाती है और सायल कैमिस्ट्री के हिसाब से सर्वे करने की बात भी बतलाई जाती है। किसान अपना सारा खर्चा करता है लेकिन सरकार उसे ऋण देती है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---दूसरी नयी योजना में पूरे प्रदेश की कुल कितनी ऊसर भूमि ली जायगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---२३,००,००० एकड़ ऊसर भूमि इस प्रदेश में है लेकिन सारी की सारी ठीक नहीं हो सकती है। हम १०, १० एकड़ जमीन काश्तकार को देना चाहते हैं। हमारे यह भी विचाराधीन है कि भूमि के कर से उनको कैसे मुक्त करें। कर हम शुरू में तो लेते भी नहीं हैं। ३ वर्ष के लिये हम उन्हें पानी भी फ्री देने पर विचार कर रहे हैं। और इस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसके बाद १/४ और फिर १/८ लिया जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या यह सही है कि सरकार की रहीमाबाद की ऊसर योजना ७०,००,००० रुपया खर्च करने के बाद भी सफल नहीं हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---हमारे दो फार्म हैं, एक रहीमाबाद में और दूसरा ढिकौनी जिला बाराबंकी में है। हम प्रयोग कर रहे हैं सफल अथवा असफल होने की बात अभी नहीं उठती।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २३ लाख एकड़ भूमि में कितनी कृषि-योग्य है और कितनी नहीं है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इसका तो उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। इसका कोई सर्वे नहीं हुआ है और न फिलहाल हो ही सकता है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस स्थान पर सरकार का ऊसर रिक्लेमेशन का कार्य सफल और लाभप्रद हुआ है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह कार्य तो बन्थरा में भी हो रहा है लेकिन एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर तो बिलकुल सफल ही हुआ है।

श्री चन्द्रजीत यादव---ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना में जो भूमि बांटने की व्यवस्था है क्या उसमें सरकार ने यह निर्णय किया है कि भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--यह भी खयाल में रखा जा सकता है लेकिन जो आदमी उसे ठीक करेंगे उनको उस जमीन के ठीक करने का अनुभव भी तो होना चाहिये । साधन का भी प्रश्न है ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बन्थरा का फ़ार्म केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित है या प्रादेशिक सरकार द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ज़मीन प्रादेशिक सरकार की है और सारा रुपया प्रादेशिक सरकार ने दिया है । देखभाल करने वाले सज्जन केन्द्रीय सरकार के हैं ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--रहीमाबाद में सरकार का प्रयोग कितने वर्षों से चल रहा है और कब तक वह इस स्थिति में होगी कि ऊसर भूमि को ऊपजाऊ बनाकर लाभप्रद बना सके ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--एक्सपेरीमेंट में काफी समय लगता है । ४,५ वर्ष से या करीब ६ वर्ष से एक्सपेरीमेंट चल रहा है ।

सहकारी सुपरवाइजर तथा कामदार

*१७--**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी विभाग में जो अनट्रेन्ड सुपरवाइजर अथवा कामदार पुराने हैं और सुपरवाइजरी की योग्यता रखते हैं उनको उनकी सेवा की अवधि और अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर के पदों पर नियुक्त करने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी नहीं । सहकारी सुपरवाइज़र तथा कामदार सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

*१८--**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)--[२३ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

धौरहरा कलां बीज गोदाम से खराब बीज मिलने की शिकायत

*१९--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को धौरहरा कलां गवर्नमेंट सीड स्टोर, जिला खीरी के बारे में यह शिकायतें मिली है कि बहुत से किसानों का रबी का बीज, जो उन्होंने सन् ५९ में उक्त सीड स्टोर से लिया, नहीं उगा ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--कुछ शिकायतें आई थीं ।

*२०--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है कि यह शिकायतें सत्य हैं अथवा नहीं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--जांच से पता चला कि शिकायतें सत्य नहीं हैं ।

*२१--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--यदि यह शिकायतें सत्य हैं, तो क्या सरकार उन किसानों से बीज वापस नहीं लेगी और किसानों की हानि की पूर्ति करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायतें किसानों की सीधे आई हैं या किन्हीं जनप्रतिनिधियों द्वारा आई हैं ?

नोट :--तारांकित प्रश्न १७ श्री गेंदासिंह ने पूछा ।

नोट :--तारांकित प्रश्न १९--२१ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे ।

श्री कालीचरण अग्रवाल--एक शिकायत तो श्री कन्हैयालाल की थी और उन्होंने वह शिकायत अपने प्रतिनिधि श्री जगन्नाथप्रसाद को लिखी थी ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत इस सदन के माननीय सदस्य श्री जगन्नाथप्रसाद के द्वारा आई उसकी जांच किसने की ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--उसकी जांच जिला कृषि अधिकारी ने की ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच करने वाले अफसर ने घटना-स्थल पर जांच करने से पहले श्री जगन्नाथ प्रसाद तथा दूसरे शिकायत करने वाले सज्जन को इत्तला दी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--श्री कन्हैयालाल ने तो बीज भी नहीं लिया था, उनकी खुद की शिकायत भी नहीं थी, दूसरे के सुनने के आधार पर उन्होंने शिकायत की थी, बाकी जांच के वक्त उन लोगों को मौका जरूर दिया गया होगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच नवम्बर-दिसम्बर में हुई या अप्रैल-मई में हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--मेरे पास उसकी तिथि तो नहीं है लेकिन यह सत्य है कि जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका बीज नहीं उगा उनको बुलाया गया एक केस में तो यहां तक था कि नमूना अनाज का जो भेजा गया था वह उन्होंने बोया तक नहीं बल्कि दूसरा बाजार का बीज बोया था ।

बलिया जिले के कृषि विभाग में नियुक्तियों में अनियमितता

*२२--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले के कृषि विभाग में पिछले एक साल में कितनी ऐसी नियुक्तियां हुईं जिनके लिये रोजगार दफ्तर से नाम नहीं मांगे गये ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--केवल चार ऐसी नियुक्तियां हुईं जिनमें रोजगार दफ्तर से नाम नहीं मांगे गये ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि सरकार ने कोई आदेश निकाला है कि नियुक्तियों के लिये एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम जरूर मांगे जावें ? यदि हां, तो कृषि विभाग में नाम क्यों नहीं मांगे जाते हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--मान्यवर, ये नियुक्तियां नियम के हिसाब से ग़लत ही हुई हैं । आदेश दे दिये गये हैं कि नियुक्तियां एक्सचेंज से पूछ कर हुआ करें और इन चार नियुक्तियों को रेगूलराइज़ कर दिया जाय ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके रगूलराइज़ करने का अर्थ क्या है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--ये नाम एक्सचेंज आफ़िस से मांग लिये जावेंगे और इनके नाम भी भेज दिये जावेंगे और अगर मुनासिब समझा जायगा तो वे रख भी लिये जावेंगे ।

श्री गेंदासिंह--क्या कृषि मंत्रालय से एक्सचेंज को लिखा जायगा कि कृपा कर आप ये चार नाम भेज दीजिये जिनको हमने पहले ही नियुक्त कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने बता दिया है कि क्या किया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव--जब हर विभाग के लिये ये आदेश हैं कि किसी भी नियुक्ति के लिय रोजगार कार्यालय से नाम मांगे जावें तो क्या कृषि विभाग में इस आदेश के उल्लंघन को जांच-पड़ताल की गई ? और यदि की गई तो किसकी ग़लती थी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--विभाग का कार्य रुक रहा था और बड़ी आवश्यकता थी, इसलिये उनको रख लिया गया था। भूल तो है ही ।

श्री गौरीशंकर राय--रेगूलराइज़ करने का अर्थ क्या यह है कि जो बेकायदे नियुक्तियां हुई हैं उनको क़ायदे में कर लिया जायेगा ? इसका मतलब है कि नाम मांग कर फिर उन्हीं लोगों को रखा जायगा ? तो क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष--बेक़ायदे वगैरह शब्द के अर्थ तो दूसरे ही होते हैं । नियम या आर्डर के विरुद्ध, ऐसा आप कहें ।

श्री गौरीशंकर राय--नियम के विरुद्ध जो नियुक्तियां हुई हैं उनको पुनः नियमित कर लिया जायगा, क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि इन्हीं लोगों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से मांग कर इनको नियुक्त कर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--यही मतलब है कि उन्हीं को रखा जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन पदों पर ये नियुक्तियां हुईं और कौन-कौन लोग हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--दो तो कामदार पद पर मुक़र्रर किये गये थे, एक श्री तेज बहादुर सिंह और दूसरे श्री काशीनाथ सिंह जी । एक लिपिक सूर्यनारायण जी राम रखे गये और चौथे वीरपालसिंह जी नियुक्त किये गये ।

खतौली मैन्योर मिल के विरुद्ध शिकायत

*२३--**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने खतौली मैन्योर मिल, जिला मुजफ्फरनगर क सम्बन्ध म उत्तर प्रदश सरकार से इस आशय की शिकायत की है कि उपरोक्त मिल ने वित्तीय वर्ष १९५९--६० में खाद की जगह बालू और रेत सप्लाई की है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--राज्य सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई वहां के कृषि संचालक ने एक शिकायत की थी कि इस मिल ने ठीक माल नहीं दिया उन्होंने अपने अफ़सरों द्वारा उसकी जांच भी कराई थी। उनके खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिये कुछ सूचना मांगी थी जो कृषि संचालक ने दे दी थी ।

श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार के कृषि संचालक की शिकायत की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--वहां क संचालक महोदय ने उत्तर प्रदेश के संचालक महोदय को यह लिखा था कि इस मिल से जो २ हजार मन फासफेट मंगाया था और जिसमें से १,०२० मन दिया गया, उसकी क्वालिटी बहुत गिरी हुई थी। यहां भी इस प्रकार की शिकायत मिली। अब उसके लिये एक आफिसर भेजा जायगा जो यह पता चलायेगा कि शिकायतें क्या-क्या हैं ।

श्री उमाशंकर शुक्ल--इस शिकायत का ध्यान रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस मिल पर ऐसा प्रतिबंध लगाने का विचार रखते हैं जिससे भविष्य में कोई इस तरह का खराब माल सप्लाई न कर सके और इस प्रकार प्रदेश की प्रतिष्ठा को धक्का न लगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है हम इस मिल से माल नहीं लेते हैं तथा इस मिल को फैक्ट्री कन्ट्रोल आर्डर के मुताबिक उसको लाइसेन्स भी नहीं दिया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या कृषि मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस मिल को कितने रुपये की खाद का आर्डर दिया गया था ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---हमारी सरकार ने तो खरीदा नहीं । उन्होंने हमको यह नहीं लिखा कि कितने रुपये का खाद खरीदा । उन्होंने केवल यह लिखा कि खाद जो खरीदा गया वह खराब था ।

मैनपुरी जिले में प्राइवेट भट्ठों को कोयला

*२४--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कितने प्राइवेट भट्ठों को सन् १९५९ में कितने-कितने वैगन कोयला दिया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५०-४५१ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार यह बतायेगी कि लिस्ट में जो कोयले की तादाद बतायी गयी है उसमें किसी को औसत से और किसी को औसत से कम कोयला क्यों दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जहां तक एडहाक कोटे का संबंध है, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्क्रीशन पर होता है । रेग्युलर कोटे में आमतौर पर बराबर दिया जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि शायद किसी को आवश्यकता न हो और इसलिये कम दिया गया हो ।

भारतीय कृषिशोध परिषद् की योजनायें

*२५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि शोध परिषद् ने स्थानीय उपकरणों, विदेशों से आयात किये गये उपकरणों और भारतीय फर्मों द्वारा निर्मित विदेशी डिजाइन के उपकरणों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर्थिक सहायता दी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---अभी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई । योजना की सामान्य स्वीकृति हो गई है लेकिन उसके टेक्निकल प्रोग्राम (Technical Programme) की स्वीकृति और आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हुई है ।

*२६--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री उपरोक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे और क्या यह सत्य है कि इससे कृषि के उत्पादन के बढ़ने के अतिरिक्त कृषि उत्पादित वस्तुओं की लागत खर्च में कमी होने का भी अनुमान है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---योजना की मुख्य मुख्य बातें संलग्न तालिका में दी हुई हैं ।

यन्त्रों के परीक्षण के पश्चात् ही योजना के लाभ के संबंध में निश्चित राय दी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५२ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत किस स्थान पर परीक्षण किया जायगा ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--१४ प्रकार के इम्प्लीमेंट्स का १४ स्थानों पर परीक्षण होगा उनके नाम इस प्रकार है--

१--गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म, कल्याणपुर
२-- " " " " , इटावा
३--काटन रिसर्च फार्म, बुलन्दशहर
४--राइस रिसर्च स्टेशन, नगीना, बिजनौर
५--पोटेटो रिसर्च फार्म, फर्रुखाबाद
६--गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म, हरदोई
७--एग्रीकल्चर कालेज, इलाहाबाद ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परीक्षण का कार्य शुरू किया गया है और विदेशों से उपकरणों के लिये आर्डर दिया जा चुका है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है । जहां तक उपकरणों के मंगाने का ताल्लुक है वे केन्द्रीय सरकार द्वारा आयेंगे । उन्होंने अभी कोई उपकरण नहीं भेजे, इसलिये कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है ।

आलू के लिये कोल्ड स्टोरेज

*२७--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के किस-किस जिले में आलू को सुरक्षित रखने के लिये सरकार के कोल्ड स्टोरेज हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--सरकार ने किसी भी जिले में कोल्ड स्टोरेज नहीं लगवाये हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिन जिलों में आलू की पैदावार अधिक है उनमें कोल्ड स्टोरेज खोले ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--कोई सरकारी योजना तो इस बारे में है नहीं । लेकिन इन्डस्ट्रीज की एक हाई पावर कमेटी बैठी थी उसने कहा था कि हम १६ जिलों में १६ कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति लगायेंगे उनको सहायता दी जायगी ।

*२८-३०--**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)--[२२ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[२२ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

संचालक मंडल जिला कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, आजमगढ़ के चुनाव के विरुद्ध पेटीशन

*३२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, आजमगढ़ के संचालक मन्डल के हाल में हुये चुनाव के विरुद्ध, रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज उत्तर प्रदेश, लखनऊ के यहां कोई पेटीशन दाखिल है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी हां । जिन पर निर्णय दिया जा चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पेटीशन कब दाखिल हुआ और कब उसका निर्णय हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--एक पेटीशन २८-११-५९ को और दूसरा २६-९-५९ को दाखिल हुआ और फैसला एक का २१-३-६० को और दूसरे का २४-३-६० को हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों पेटीशन्स पर निर्णय क्या हुआ और इन निर्णयों के अनुसार फिर चुनाव किया गया कि नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--दोनों रद्द कर दिये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सहकारिता मंत्री इसकी इन्क्वायरी करायेंगे कि इन चुनावों के विरुद्ध जो पेटीशन्स दाखिल हैं, उन चुनावों में क्या-क्या धांधलियां हुई हैं और जिनके परिणामस्वरूप आज तक यूनियन द्वारा चुने हुए आदमी वहां नहीं लिये गये हैं और जिनके खिलाफ शिकायतें थीं रुपया न अदा करने की, वे ही लोग चुने गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इसका तो एक नियम है कि अगर कोई अब भी ऐग्रीव्ड फील करता है तो वह उस पर रिवीजन, आर्बिट्रेशन या अपील कर सकता है ।

ईंट के भट्ठों को लाइसेंस प्रदान करने की आज्ञा

*३३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ईंट के भट्ठे का लाइसेंस प्रदान करने की कोई नई आज्ञा हाल में जिलाधीशों को दी गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां । इस आज्ञा का सारांश संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४५३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आज्ञा का पालन जिले में हो रहा है कि नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, बहुत जोरों से पालन हो रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि इस आज्ञा के अनुसार जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां कि ईंट के भट्ठे का अभाव है, वहां नये भट्ठे के लिये लाइसेंस देने का कोई प्राविजन है ? यदि हां, तो प्रदेश में कुछ दिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अभी तक तो भट्ठे डिस्ट्रिक्ट कोटे के अन्तर्गत दिये जाते हैं । अगर इतना कोटा होता है कि नये बढ़ाये जा सकें तो दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और कोई कोटे का स्थान रिक्त नहीं है तो उन स्थानों पर सरकार की ओर से ईंट के भट्ठे खोलने का कोई तरीका अपनाया गया या जो पुराने हैं वही चल रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जब कोई नया भट्ठा खाली होता है जिले के अन्तर्गत तो पिछड़े क्षेत्र में उसे खोलने के लिये कहा जाता है जहां कि पहले भट्ठा नहीं था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जो सारांश दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि पिछड़े क्षेत्र में भी ऐसे स्थानों के अतिरिक्त भट्ठा खोलने की इजाजत दी जाती है और आप कहते हैं कि खाली होने पर इजाजत दी जाती है तो दोनों में कौन सही है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आप सही समझने की कोशिश कीजिये । मैंने कहा कि अगर जिले के कोटे के अन्तर्गत वे चाहते हैं कि दस-पांच भट्ठे और भी खोले जायं पिछड़े हुए इलाके में तो हम खोलने की इजाजत दे देते हैं । जब तक नये कोटे न मिलें तब तक यहां से कैसे कहा जाय कि नये खोल दिये जांय।

*३४--श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)---[२२ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया]

*३५-३६--श्री ऊदल---[१० अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये]

*३७--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--[१० अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों एवं नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--मेरे पास जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये थे उनमें से किसी को मैंने इजाजत नहीं दी, वह तो समाप्त हुए। नियम ५२ के अन्तर्गत रामसुन्दर पांडेय जी का प्रश्न है जिसको मैंने आज स्वीकार किया है। यह है :--

"लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने १ अगस्त, १९६० से विश्वविद्यालय से संबंधित सभी डिग्री कालेजों को यह आदेश दिया है कि प्रातः एवं सायंकाल की कक्षाएं न लगाई जायं। इस आदेश से संबंधित कालेजों के हजारों छात्र जो अधिकांश नौकरी पेशा हैं अध्ययन से वंचित होने जा रहे हैं। इससे असन्तोष व्याप्त हो गया है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं"। तो माननीय मंत्री जी आज वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--कल या परसों।

श्री अध्यक्ष--एक ही तिथि कहिये। निश्चित तिथि कहने की जरूरत है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--अगर विश्वविद्यालय से इत्तला आज मिल गई तो कल सुबह दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--तो आप परसों दे दीजियेगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मान्यवर, सीतापुर जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें तीन व्यक्ति इतने जख्मी हुये हैं कि वे सदर अस्पताल में हैं। मैंने इस सम्बन्ध में ऐडजर्नमेंट मोशन दिया और साथ ही नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना चाही।

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के सम्बन्ध में तो सूचना देर में आयी। और काम रोको प्रस्ताव का वह विषय मैं समझता नहीं हूं। इसलिये अगर आपको देना है तो नियम ५२ में समय पर दीजिये, यानी समय के अन्दर दीजिये। आपने समय के बाद दिया।

रिहन्ड डैम का फाटक बन्द करने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--माननीय गोविन्द सिंह विष्ट जी ने रिहन्द डैम के किसानों के बारे में यह दिया था कि वहां के सब गांव डूब गये हैं। इसके बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री आज वक्तव्य देने वाले थे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष रिहंड बांध का स्पिलवे (spillway) समुद्र की सतह से ८२० फुट की ऊँचाई तक बनाया जा रहा है। अतः इस वर्षा ऋतु के अंत तक समुद्र की सतह से ८२० फीट की ऊँचाई तक पानी भरा जाएगा। अगले वर्ष स्पिलवे (spillway) ८८० फीट ऊँचाई तक पूरा कर दिया जाएगा और तब ६० फीट पानी और भर सकेगा।

इस वर्षा ऋतु के अंत तक, जब पानी समुद्र की सतह से ८२० फीट ऊँचाई तक पहुँचेगा तब तक उस इलाके के ९३ गांव जलमग्न हो जाएँगे, जिनमें लगभग ६१४० परिवार रहते थे । इन ९३ गांवों में से ४३ गांव ऐसे हैं जो कि पूरे-पूरे खाली हो चुके हैं, ९ ऐसे हैं जिनमें आबादी नहीं थी, ९ ऐसे गाँव हैं जिनमें से आधे से ज्यादा आदमी जा चुके हैं और ११ गांव ऐसे हैं जिसमें से आधे से कम आदमी गए हैं । इसके अतिरिक्त २१ गांव ऐसे हैं जिनके रहने वाले अभी वहां से नहीं हटे हैं, क्योंकि वहां पानी आने में अभी भी कुछ देर है ।

डूब में आने वाले लोगों को उनके खेतों, मकानों, दरख्तों और कुंओं इत्यादि के लिये मुआवजा देने के अलावा सरकार ने उनको अपना सामान अपने गांव से दूसरी जगह ले जाने का भी पूरा खर्चा दिया है । इसके अलावा उनके पुनर्वास का भी पूरा-पूरा इंतजाम किया गया है । मई और जून के महीनों में वहां के आदमियों को अपना घरेलू सामान इत्यादि ले जाने में कुछ कठिनाई अनुभव हो रही थी क्योंकि वहां बैलगाड़ियों की कुछ कमी थी । इस पर शासन ने लगभग १०० मोटर ट्रकों का इंतजाम करके उन लोगों को अपना सामान इत्यादि हटाने में मदद दी जिसके फलस्वरूप वहां के निवासी ठीक समय से अपना सामान इत्यादि ले गए और किसी प्रकार का नुकसान किसी को न उठाना पड़ा । इसके साथ-साथ सरकार ने ५७,००० एकड़ जंगल की जमीन उनके पुनर्वास के लिये साफ करवाई जिसमें से २२,००० एकड़ का क्षेत्र ऐसा है जिस पर खेती भलीभांति हो सकती है । यद्यपि डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा दिया गया है, फिर भी इस क्षेत्र में हर काश्तकार को जितनी जमीन उसके पास थी उसका दो-तिहाई हिस्सा खेती करने के लिये मुफ्त दिया गया है। हां, शर्त यह है कि सवा छः एकड़ से ज्यादा एक काश्तकार को नहीं मिलेगा । खेती करने की जमीन के अलावा मकान बनाने के लिये ५ बिस्वा जमीन प्रत्येक परिवार को, जिसका कोई भी मकान जलमग्न क्षेत्र में था, दी गई है ।

पुनर्वास क्षेत्र में पानी के लिये ३३ कुंए बनाने का कार्य आरम्भ हो चुका है जिसमें १९ में पानी निकल चुका है । गर्मी के दिनों में शासन ने यह भी प्रबन्ध किया था कि जगह-जगह पर तालाब बना कर उनको मोटर लारियों द्वारा पानी लाकर भर दिया जाता था । पुनर्वास के क्षेत्र में पुलिस तथा प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा काफी जान माल की हिफाजत की जा रही है और अभी तक कोई डकैती इत्यादि की घटना उस इलाके में नहीं हुई है । जनस्वास्थ्य का भी काफ़ी प्रबन्ध है जिसके कारण किसी प्रकार की बीमारियां भी उस क्षेत्र में नहीं फैल सकी हैं । पुनर्वास क्षेत्र में मकान इत्यादि बनाने के लिये भी विशेष सुविधायें दी गई हैं। निःशुल्क जमीन देने के अलावा २,२०० पुल्ला घास मुफ्त दी गई है और वहां बसने वाले सब को जंगल से निःशुल्क घास काटने की आज्ञा दे दी गई है । मकान बनाने के लिये लकड़ी भी रियायती दर पर दी जा रही है । शासन ने यह भी निश्चय किया है कि भूमि को कृषि के योग्य बनाने के लिये पेड़ों के बड़े-बड़े ठूंठों को भी मशीनों द्वारा निकालने में सहायता दी जायेगी ।

४ सरकारी गल्ले की दूकानें भी उस क्षेत्र में खोल दी गई हैं । इसके अतिरिक्त ५ सहायता शिविर स्थापित किये गये हैं जिनमें हर एक में लगभग २५० व्यक्तियों के ठहरने का प्रबन्ध है । इतना सब प्रबन्ध करने के साथ-साथ सरकार ने डूब में आने वाले लोगों को यह सुविधा दी है कि यदि वे पुनर्वास क्षेत्र में जा कर बसने के बजाय स्वयं कहीं और जाना चाहें जहां उनके मित्र अथवा सम्बन्धी इत्यादि रहते हों तो उनको पुनर्वास ग्रान्ट के तौर पर कुछ रुपया और भी मिल सकेगा । पुनर्वास क्षेत्र में जो जमीन मिलती उसके एवज में ६४ रुपया फी एकड़ पुनर्वास ग्रान्ट की दर रखी गयी है और उसके साथ-साथ यह भी है कि कम से कम ७० रुपया पुनर्वास ग्रान्ट हर एक व्यक्ति को दिया जायगा चाहे उसको जमीन कितनी ही कम क्यों न मिलती । इस तरीके से छोटे-छोटे काश्तकारों को भी अपनी जमीन, मकान पेड़, कुंए इत्यादि के मुआवजे और अपना सामान ले जाने के खर्च के अलावा कम से कम ७० रुपया और अधिक से अधिक ४०० रुपये की पुनर्वास ग्रान्ट मिलेगी । पुनर्वास ग्रांट के लिये ९०० प्रार्थना-पत्र अभी तक आ चुके हैं और अभी और प्रार्थना-पत्र इस प्रकार के आ ही रहे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि बहुत काफी संख्या में वहां के रहने वाले

[श्री गिरधारी लाल]

आस-पास के क्षेत्र में जहां उनके मित्र सम्बन्धी इत्यादि रहते हों वहां जा कर स्वयं अपने बसने का प्रबन्ध करना चाहते हैं और इसमें भी सरकार ने उनको हर प्रकार की सुविधा तथा आर्थिक सहायता दी है ।

जो मैंने पहले कहा इससे यह साफ तौर से जाहिर है कि सरकार डूब क्षेत्र में रहने वालों की हर प्रकार से सहायता कर रही है और जो कुछ भी सुविधा और सहायता उनको डूब के क्षेत्र से ठीक समय से हट जाने के लिये अथवा दूसरी जगह जा कर बसने के लिये दी जा सकती थी वह सब दी गयी है और अब भी दी जा रही है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को बसाने के लिये जो जगह दी गयी है वहां पर नल कोई नहीं लगाये गये हैं, बल्कि तीन गड्ढे खोद दिये गये थे, सीमेंट का गोबरहा कर दिया गया है और सब घरों में तीन टैंकर पानी भेजा गया ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने अभी बतलाया कि वहां नल उस समय नहीं लग सकते थे । फिर भी काफी कुंएं खोदे गये और कुछ टैंक इस प्रकार के बनाये गये कि उसमें दूसरे स्थानों से पानी ला कर रखा गया, मई और जून के महीने में जिससे कि लोगों को पानी की सहूलियत हो जाय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या यह सत्य है कि जो कुवें खोदे गये उनमें वाटर लेविल ६०, ७० फीट की निचाई पर मिल रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---यह ठीक है कि इतनी गहराई पर पानी मिल रहा है। इसलिये जैसा मैंने कहा ३३ कुंवों पर काम होना शुरू हो गया है । १५, १६ में पानी निकल आया है । पहाड़ी इलाका है तो काफी गहराई पर पानी मिलेगा ही, इसमें कोई शुबहा नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---किस प्लानिंग डिपार्टमेंट ने यह बतलाया था १,३००, १,४०० आदमी प्रति दिन एक कुवें से पानी पा सकेंगे और ३३ कुंवों से ४५,००० की आबादी बसाई जा सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल---प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो हमारे सलाहकार हैं, उन्होंने तमाम बातों को देख कर यह बतलाया कि जिस समय लोग बस जायेंगे तो पानी की कोई कमी नहीं रहेगी किसी हालत में ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---जो भूमि पुनर्वास के लिये दी जा रही है उसको जोतने का प्रबन्ध सरकार कर रही है या उन्हीं पर छोड़ दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---कुछ ग्रान्ट दे रहे हैं और खाद दे रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो जमीन बसाई जाने वाली है उसको जोतने का प्रबन्ध किसी ने किया है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---जोतने का प्रबन्ध या तो तिवारी जी करेंगे या वे लोग करेंगे। जमीन को खेती लायक बनाने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है और जमीन उनको दे दी गयी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)- क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन विस्थापित व्यक्तियों को दी जा रही है वह पथरीली है और उस पर निकट भविष्य में कोई गल्ला पैदा नहीं हो सकता ? ऐसी अवस्था में जो ४५ हजार आबादी हट रही है उसको तत्काल कोई रोजगार का साधन मिल सके इसके लिये सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जहां तक रोजगार की बात है, उनके लिये रिहन्द बांध बनाया जा रहा है, वहां पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है । इसके अलावा दूसरी चीज़ यह है कि जो यह जमीन वहां पर ली गई है यह उनकी मरजी से ली गयी है और कल्टीवेबिल जमीन है । वहां पर खेती की जा सकती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--अभी-अभी जो मंत्री जी ने बयान दिया है उससे मालूम होता है कि २१ गांवों के व्यक्ति वहां से इसलिये नहीं हटना चाहते हैं कि जो जमीन उन्हें दी जा रही है वह ऐसी नहीं है कि जहां जा कर अपना जीविकोपार्जन कर सकें और यह बांध बनने पर उनकी तमाम जमीन पानी से डूब जायगी । तो ऐसी दशा में सरकार उन २१ गांव के व्यक्तियों के लिये क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--वहां पर हर एक के लिये इन्तज़ाम है । न हटने की जो बात है उसमें दो चीजें हैं । वैसे तो, जैसा कि यादवजी को मालूम होगा, आखिरी लहमे तक हमारे भाई अपने घरों को और अपनी जायदाद को नहीं छोड़ते । वहां पर वे कुछ रिस्क लेना चाहते हैं । अपने बच्चों वगैरह, सबको उन्होंने हटा दिया है और खरीफ की फसल को लेने के बाद वे हटना चाहते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, ४५ हजार आबादी का प्रश्न है और रिहन्द बांध की योजना अंग्रेजी शासन काल में अब से करीब २० वर्ष पहले बनायी गयी थी । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पिछले २० वर्षों में ४५ हजार जनता को वहां से उखाड़ कर पानी आने के पहले दूसरी जगह बसाने का, उनके पीने के पानी का, उनकी खेती का और उनके मकानों का प्रबन्ध सरकार ने पहले से क्यों नहीं किया ? अब जब पानी भर गया है उस क्षेत्र में तब जल्दी में यह सारा काम क्यों किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--वास्तव में ऐसी बात नहीं है । इन्तज़ाम वहां पर पहले से है और उस इन्तज़ाम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है । उन लोगों को पहले से ही नोटिस दे दी गयी थी कि फलां स्थान पर वे लोग आ कर बस सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--उनका प्रश्न यह नहीं है । उनका प्रश्न यह है कि पहले उनके लिये दूसरी जगह मकान बना कर, कुयें खोद कर, उनके बसाने का पहले इन्तज़ाम करके फिर बांध बांधा जाता । २० वर्ष आपको मिले । तो उस बीच में आपने यह कार्य क्यों नहीं किया ?

श्री गिरधारीलाल--इसका जवाब तो सदन जानता है । मैं तो सिर्फ इतनी बात बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त यह प्रश्न हमारे सामने आया उससे पहले तमाम बातों का इन्तज़ाम कर दिया गया । दो वर्ष से कहा जा रहा है और उनको नोटिस दी गयी कि यह जमीन पानी में डूबेगी · · · ·

श्री अध्यक्ष--नोटिस देना कोई इन्तज़ाम नहीं होता । वे यह कहते हैं कि पहले से उनके बसाने की तैयारी हो जानी चाहिये थी, यह क्यों नहीं किया गया ?

श्री गिरधारीलाल--पहले तैयारी के माने यह नहीं कि डैम बनाने से पहले उनको रिहैबिलिटेट करने का सवाल तय कर दिया जाता । लेकिन जिस वक्त हमारा डैम पूर्णता पर आ रहा है तो हम सब इन्तज़ाम कर रहे हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय--श्रीमन्, रिहन्द बांध में पानी रोक दिया गया है और भूमि जलमग्न हो चुकी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी जनता है कि जिसने यह जानते हुये भी कि यहां पानी भर जायगा उस स्थान को नहीं छोड़ा है ?

श्री गिरधारीलाल--ऐसे लगभग ३० गांव हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ४५ हजार जो लोग वहां से हट रहे हैं उनके बसाने के लिये जो भी सरकार ने इन्तजाम किया है वह कितने आदमियों के लिये पर्याप्त है ?

श्री गिरधारीलाल—४० हजार से भी ऊपर आदमियों को बसाने के लिये हमारे पास इन्तजाम है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मुआवजा और पुनर्वास का कम्पेंसेशन यहां के किसानों को दिया गया है वह कितना है और मध्य प्रदेश से जो जमीन ली है उनके किसानों को कितना दिया है ?

श्री गिरधारीलाल—यहां पर तो जो एनुअल रेंटल है उसका १०० गुना भूमिधरों को और ३० गुना सीरदारों को दिया गया है । मध्य प्रदेश के संबंध में इत्तिला आने पर बताऊंगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सत्य है कि मध्य-प्रदेश में २०० रुपया प्रति व्यक्ति और ५ आदमियों के एक परिवार पर १००० रुपया दिया गया है जब कि यहां पर प्रति व्यक्ति ३० रुपये और एक परिवार को १५० रुपये दिये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने जैसा बताया कि वहां से मुकम्मिल रिपोर्ट आ जाय तब बता-ऊंगा लेकिन मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश से मुआवजा और पुनर्वास वगैरह सब चीजें मिलाकर हमारे यहां कम नहीं होगा, बराबर होगा या ज्यादा होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिहन्द बांध योजना थी उसमें यह पुनर्वास की योजना थी या नहीं ? यदि थी तो उसके लिये कितना रुपया रखा गया था ?

श्री गिरधारीलाल—जहां तक कम्पेंसेशन की बात है वह ऐस्टीमेट का हिस्सा जरूर है और इसके लिये ९२ लाख रुपया रखा है और ३५ और ४० लाख के बीच में रिहैबिलिटेशन के लिये रुपया रखा गया है । इस तरह से एक करोड़ बत्तीस लाख रुपया रखा गया है और मध्य प्रदेश पर जो पैसा खर्च होगा वह अलग है ।

सूचना विभाग के अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछली बार बजट पर बहस के बीच में २४ फरवरी के लगभग एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि सूचना विभाग के एक अफसर ने बम्बई के एक समाचारपत्र के कार्यालय में चीनी दूतावास के एक अधिकारी से भेंट की और उसे उत्तर-प्रदेश चीनी सीमा के विषय में कुछ गोपनीय बातें बतलाईं । आरोप बड़ा गम्भीर था । इसलिये उस पर गौर करने का निश्चय कर मैंने आरोप लगाने वाले उन माननीय सदस्य से निवेदन किया कि वह मुझे कृपया उन तथ्यों से अवगत करायें जिनके आधार पर उन्होंने ऐसा गम्भीर आरोप सदन में लगाया । वे मुझसे ९ मार्च के लगभग मिले और कुछ बातें बतलाईं जिनके बारे में तुरन्त ही मैंने पूरी छानबीन करने का आदेश दिया । सदन को स्मरण होगा कि २४ मार्च को एक अ प सूचित प्रश्न के उत्तर में मैंने सदन को बतलाया था कि मामला सी० आई० डी० की जांच के लिये सुपुर्द कर दिया गया है ।

यह जांच समाप्त हो चुकी है । आरोप से संबंध रखने वाली परिस्थिति क्रम के संबंध में जो कुछ जानकारी हो सकती थी उसकी पूर्णतया जांच की गई, इस प्रदेश के भीतर भी और बाहर भी और उस जांच के परिणाम-स्वरूप यह मालूम हुआ कि इस सरकार के किसी अधिकारी ने चीनी दूतावास के किसी अधिकारी से कभी भेंट नहीं की, न बम्बई के किसी समाचारपत्र के कार्यालय में और न कहीं दूसरी जगह और न सीमा संबंधी किन्हीं मामलों के या प्रधान मंत्री या मेरे बीच

होने वाले पत्र-व्यवहार के विषय में कोई बात खोली गई; न तो उस तरह से जैसा कि आरोप में कहा गया था और न किसी अन्य प्रकार से। मार्च २४ को, एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के अनुपूरकों में जिसमें अधिकारी की ओर स्पष्ट निर्देश था उसके विरुद्ध सूचना के अनधिकृत रूप से बतलाने या अवैध तथा अवांछनीय संस्पर्श का दोष सिद्ध नहीं हुआ।

जिन माननीय सदस्य ने पहले आरोप लगाया था उन्होंने मुझे तीन गोपनीय पाक्षिक परिपत्र रिपोर्टें दीं और यह कहा कि वे उन्हें बम्बई के एक समाचार पत्र के कार्यालय से प्राप्त हुईं। यह खेद की बात है कि माननीय सदस्य ने स्वयं इसकी जांच में कोई सहयोग नहीं दिया। किन्तु जांच की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ये परिपत्र रिपोर्टें कभी भी बम्बई नहीं पहुंचीं। हुआ यह कि एक स्थानीय पत्रकार ने जिनका एक स्थानीय कार्यालय से इन रिपोर्टों के हटाये जाने में हाथ था इन गोपनीय रिपोर्टों को किसी प्रकार इन माननीय सदस्य के हाथों तक पहुंचा दिया। जिस अधिकारी पर संदेह था उसका संबंध किसी भी प्रकार से इन रिपोर्टों से नहीं था न तो उन्हें ये रिपोर्टें देखने को दी जाती हैं, न वे उन्हें देखने के अधिकारी हैं।

जिन माननीय सदस्य ने सदन में यह आरोप लगाया था उनकी सद्भावना पर मैं संदेह नहीं करता किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि उनका भेदी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे संभवतः अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना था। इस सब का परिणाम यह हुआ कि एक निरपराध अधिकारी को व्यर्थ ही ग्लानि और मानसिक क्लेश सहना पड़ा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का यह स्टेटमेंट ध्यान से सुना। आरोप मैंने लगाया था। जहां तक मेरी जानकारी थी उसके आधार पर मैंने आरोप लगाया था।

मुझे दो बातें इस संबंध में जाननी हैं। यह जो आरोप था यह जासूसी का आरोप था। इनक्वायरी हुई है जैसे मर्डर केस की होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जासूसी की इनक्वायरी मर्डर केस की इनक्वायरी की तरह हो सकती है?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप गोल बात कह रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैंने जो बातें माननीय मुख्य मंत्री की डायरी में नोट करवायी थीं, क्या उन बातों के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री ने इनक्वायरी करवा कर अपनी संतुष्टि कर ली है? क्या इस संबंध में जो मैंने नाम लिये थे उन नामों से पैसा आया, दिल्ली में इंडोचाइना फ्रेंडशिप ऐसोशिएशन के मेम्बरों के यहां ठहरे, इन सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट कर लिया है? क्या उन्होंने यह भी संतुष्टि कर ली है कि वह बम्बई जाता है और वहां से आकर बलरामपुर हास्पिटल में जाकर कहता है कि मैंने बम्बई में दवा करवायी थी, इसलिये उसको रिइम्बर्स करवाया जाय। जब रिइमबर्स करने से इनकार कर दिया गया तो उसके बाद उक्त अखबार में....

श्री अध्यक्ष—आप एक एक प्रश्न करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जो बात मैंने कही थी इसके बारे में और भी इशारा इस बात से मिलता है....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का समय तो आप देंगे।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न तो करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मुख्य मंत्री ने इसकी जांच करवा ली है कि अमेरिकन सीनेट में बर्ना में जो रूस का दूतावास है उसके एक अधिकारी ने आन ओथ एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने बताया कि भारत के फलां अखबार में हम लोग न्यूज प्लांट करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं जानता नहीं कि हत्या के संबंध में जांच कैसे होती है और जासूसी के संबंध में कैसे जांच होती है। मैं यह जानता हूं कि जांच की गयी और जांच करना सी० आई० डी० का काम है। उसने पूरी तरह से जांच की। मैंने इन सब बातों का चर्चा करना यहां उचित नहीं समझा था जिनका जिक्र माननीय दुबे जी ने बातचीत में मुझसे किया था, जिनकी तरफ उन्होंने अभी इशारा किया कि अमुक आदमी को किस किस जगह से इतना रुपया मिला और किस बैंक में जमा हुआ, आदि। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक एक मामले की जांच करवायी गयी और जैसा कि साधारण तौर से नहीं करते, बैंक का एकाउंट भी देखा गया। लेकिन सारा का सारा आरोप गलत पाया गया।

बाकी किसी आदमी ने रिइम्बर्स होने की बात की, और किसी अखबार में आर्टिकिल लिखा, इसका उस मामले से कोई संबंध नहीं है। एक अखबार का चर्चा हुआ कि उस अखबार के संबंध में अमेरिकन सिनेट में कहा गया कि हम इस अखबार से काम लिया करते हैं। हमसे उससे क्या मतलब ? हिन्दुस्तान में अगर कोई ऐसा अखबार है जो कम्युनिस्टों का काम करता है, तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं, अगर हिन्दुस्तान में कोई ऐसा अखबार है जो अमेरिकन गवर्नमेन्ट का काम करता है तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं। मूल जांच से उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन गुप्त रिपोर्टों का जिक्र किया जो कि उस अधिकारी के पास नहीं जाती थीं जिनका कि जिक्र किया गया, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वह रिपोर्टें क्या थीं, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसे स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हर पन्द्रहवें दिन एक पाक्षिक रिपोर्ट होती है, एफ० डी० ओ० उसका नाम है, फोर्टनाइटली डेली आफिशियल जो हर प्रदेश में तैयार होती है और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को भेजी जाती है। तो तीन फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स थीं वह, जिनमें यह रहता है कि इस फोर्टनाइट में प्रदेश में फसल की क्या हालत रही, राजनीतिक हालत कैसी रही, इत्यादि, तीन सवा तीन पेज की यह रिपोर्ट होती है, उससे मतलब है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि जांच के संबंध में मैंने सहयोग नहीं दिया। तो उसके ऊपर कुछ परसनल एक्सप्लेनेशन देने का मौका आप मुझे देंगे ?

श्री अध्यक्ष---आपने मुख्य मंत्री जी को सहायता नहीं दी, यह उसमें कहा गया है, इसके ऊपर आप परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं ? दीजिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह, श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आरोप सही नहीं समझता क्योंकि ऐसी बातों में न हमारी सरकार ही अपने सोर्सेज को बताती है, न कोई अखबार बताता है और न कोई भी बताता है। मुझसे केवल इतना ही पूछा गया कि आपकी इन्फार्मेशन के सोर्सेज क्या हैं और उस पर मैंने यह कहा कि सोर्सेज बताने के लिये मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि यह कोई नहीं बताता। तो इतने के ऊपर यह कहना कि मैंने सहयोग नहीं दिया, मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा कि यह पत्र बम्बई नहीं पहुंचा, बल्कि यहां किसी पत्रकार के पास पहुंचकर माननीय सदस्य के पास पहुंच गया तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस पत्रकार का और उस पत्र का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नाम तो नहीं बतलाऊंगा। इतना ही बतलाऊंगा कि एक डिप्टी मिनिस्टर साहब के कमरे से एक पत्रकार ने उस पत्र को उड़ा लिया था और उनको हम जानते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--इसमें एक पत्रकार पर यह कहा गया है कि उसने कुछ गोपनीय चीजें किसी के कमरे से उठा लीं। श्रीमन्, इससे यह होता है कि हर पत्र के ऊपर यह लांछन आता है जब तक कि यह बात स्पष्ट न हो जाय कि वह पत्रकार कौन थे क्योंकि हर पत्रकार के बारे में इससे शंका हो जाती है। तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि वह कौन से पत्रकार थे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो न बताने के लिये उन्होंने कह दिया। जवाब दे दिया कि वह नहीं बताना चाहते।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन कर दूं कि अधिकांश पत्रकार जानते हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है। प्रायः सभी पत्रकारों को मालूम है कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। इतना मैं और कह दूं कि उन पत्रकार महोदय को अब अक्सर हमारे दफ्तरों में आसानी से प्रवेश नहीं प्राप्त हो सकेगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मैं जनहित की दृष्टि से उन सरकारी अधिकारियों का नाम प्रकट करने के बारे में तो नहीं कहूंगा जिनके बारे में यह रिपोर्ट माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे ने सरकार को दी थी, परन्तु मैं यह जरूरी समझता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन सरकारी कर्मचारियों की गतिविधि पर और उस पद को ध्यान में रखते हुए जिस पर कि वह काम कर रहे हैं, आगे अधिक सतर्क रहने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आपका आगे के लिये सुझाव है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस कार्यालय से यह तीनों गुप्त पत्र गायब हो गए उस कार्यालय के जो इन्चार्ज थे उनको कोई पनिशमेंट दिया गया या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यदि माननीय प्रतापसिंह जी के यहां इत्तफाक से चोरी हो जाय तो चोर को सजा देने का सवाल पैदा होता है लेकिन माननीय प्रतापसिंह को भी सजा दी जाय यह नई बात होगी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि सूचना विभाग के जिस अधिकारी की चर्चा पहले हुई थी वह ब्लिट्स के संवाददाता हैं या ब्लिट्स को संवाद भेजते हैं?

श्री अध्यक्ष--यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री गौरीशंकर राय--उस दिन ब्लिट्स अखबार को खबर देने की बात उनके संबंध में आई थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अधिकारी सूचना विभाग के ऐसे हैं जो ब्लिट्स को बराबर संवाद भेजा करते हैं और उसके संवाददाता हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पहले जब ब्लिट्स को इस आदरणीय सदन ने ब्लैक लिस्ट किया था तो फिर उसके एडीटर को यहां पर बुलाया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसको अच्छे होटल में ठहराया गया था और उसको दावत देने में हजारों रुपया खर्च किया ?

श्री अध्यक्ष--इस वक्तव्य में दावत देने की बात नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारी महोदय के यहां से ये तीन सरकुलर चोरी चले गये इसकी इत्तिला सरकार के पास उसने कब की ? इन सरकुलर के चोरी होने के बाद पता लगने के पहले या उनके मिलने के बाद ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे तारीख याद नहीं है लेकिन चोरी का पीछे पता लगा ।

२ मई, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, २ मई, १९६० को श्री हीरालाल यादव के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से संबद्ध श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय गलती से गबन की रकम ८०,००० रुपये के करीब बताई गई थी । सही रकम ४९,४३४ रुपये २ नये पैसे हैं ।

मूल प्रश्न तथा संबंधित अनुपूरक प्रश्न सदन में दिये गये उनके उत्तर सहित और अनुपूरक प्रश्न का संशोधित उत्तर संलग्न पत्र में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४५४ पर)

प्रश्नों के विषय में जानकारी

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जितने प्रश्न दिये थे वे सब रिजेक्ट कर दिये गये हैं । एक भी स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष--मेरे दफ्तर में आकर बात करें ।

श्री शिवप्रसाद नागर--उसमें यह कहा गया कि आश्वासन समिति के सामने वह प्रश्न विचाराधीन है लेकिन एजेन्डे पर तो आना ही चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--आप मेरे कमरे में आकर शिकायत कीजिये ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

न्यायमंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अध्यक्ष महोदय, अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक इस सदन के जरिये से एक संयुक्त प्रवर समिति को सिपुर्द हुआ था संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट २५ मार्च, १९६० को इस सदन के सामने उपस्थित की गई । आज मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

इस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है । संक्षेप में . . . . .

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, इस सीलिंग के बिल की सेलेक्ट कमेटी के जो मेम्बर हैं उनमें बहुत से मेम्बरों का इसमें डाइरेक्ट पिक्युनरी इन्टरेस्ट है और उन मेम्बर्स ने इसके प्रावीजंस में ऐसे प्रावीजन्स को वोट किया है जिनमें उनके परसनल इंटेरेस्ट का प्रोमोशन होता है । जनरली यह सिद्धान्त है पार्लियामेंटरी प्रोसीजर का कि कोई भी मेम्बर अपने अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग न करे कि वह यहां पर अपने परसनल इंटेरेस्ट का प्रोमोशन करे । जो हाउस के प्रिविलेजेज हैं उनको वह ऐसे लिमिटेशंस के साथ इस्तेमाल करें कि वह उनके परसनल इंटेरेस्ट्स को प्रोमोट न करें । इस केस में जितने जनरली मेम्बर्स हैं और लैण्ड लार्ड्स हैं उन्होंने इस पार्लियामेंटरी प्रिंसिपल का खयाल नहीं

रखा है और ऐसे प्रावीजंस जिनमें उनका डायरेक्ट परसनल पिक्युनरी इंटरेस्ट हो उन पर वोट किया है। मैं इस सिलसिले में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४३९ के दूसरे पैराग्राफ को कोट करना चाहता हूं --

"In the Commons it is a rule that no member who has a direct pecuniary interest in a question shall be allowed to vote upon it : but in order to operate as a disqualification this interest must be immediate and personal, and not merely of a general or remote character."

आगे कहा गया है--

"This interest must be a direct pecuniary interest."

इसको ज्यादा क्लियर करने के लिये मैं एक मि० किलपिन की किताब में से कोट करना चाहता हूं। उसमें इसी प्रकार का एक प्रश्न पिक्युनरी इंटरेस्ट का उठा था और स्पीकर ने रूलिंग दी थी :

"In my opinion a member's interest is only direct with the measures or questions before the House which are actually (not possibly) to confer a personal pecuniary advantage or diminish a personal pecuniary loss."

दोनों चीजें हैं। कोई ऐसी चीज जिसमें पिक्युनरी इंटरेस्ट में ज्यादा ऐडवांटेज की पोजीशन हो और लास कम हो तो डायरेक्ट इंटरेस्ट मानना चाहिए। आगे कहा है--

".....and I think that members are at liberty to vote on measures missing a personal pecuniary advantage upon them for in such a case no suggestion of improper motive could arise."

तो क्वेश्चन यह है कि ऐसे मेम्बर्स ऐसे प्रावीजन पर तो वोट कर सकते हैं जिसमें उनका अपना डिसऐडवांटेज हो, लेकिन उस पर नहीं कर सकते हैं जिसमें उनको परसनल पिक्युनरी बेनीफिट पहुंचता हो। इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय मैं "जर्नल आफ दि सोसाइटी आफ क्लार्क्स" को कोट करना चाहता था। १९५३ में हाउस आफ कामंस की रूलिंग हुई है, मैं लाया नहीं हूं। उसमें पूरे का पूरा ही कोट किया है और इसमें यह होल्ड किया है कि मेम्बर का यह फर्ज है कि वह बोलते वक्त या वोट करने से पहले खुद यह कह दे अगर वह क्लियर नहीं है कि उसका डायरेक्ट पिक्युनरी इंटरेस्ट है या नहीं, तो उसे स्पीकर की राय मांगनी चाहिये कि उसे वोट करना चाहिए या नहीं। मेंडर्स का केस इस प्रकार का है। मैं उसे पढ़ कर सुना दूं जिसमें उन्होंने क्लियरली चेयर की रूलिंग इस सिलसिले में मांगी है। यह १९३२ का है, ३ फरवरी, १९३२ का।

"On a point of order, Sir....."

श्री अध्यक्ष--यह आप पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका प्वाइंट आफ आर्डर इस वक्त है क्या ?

श्री वीरसेन--मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इस कमेटी में जो मेम्बर्स ने वोट किया है उन क्वेश्चंस पर जिन पर उनका परसनल पिक्युनरी इंटरेस्ट है तो वह लोग एंटाइटिल्ड नहीं हैं और उनको वोट करने से डिबार किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसे मेम्बर्स काफी हैं।

श्री अध्यक्ष--उनकी रिपोर्ट तो आ ही गयी है।

श्री वीरसेन--उस प्रश्न पर मेरा खयाल है कि यह वोट बहुत ही प्रिजुडिस्ड वोट है। इस तरह से इस रिपोर्ट को, चूंकि इसमें मैजारिटी में ऐसे मेम्बर्स के वोट हैं, वैलिड करार नहीं दिया जा सकता। मेरा खयाल है कि इस क्वेश्चन पर वोटिंग दोबारा होनी चाहिये, ऐसे मेम्बर्स जिनका पेक्यूनियरी इन्टरेस्ट न रहा हो और जिन्होंने इस पर वोट किया हो उनका वोट काउन्ट किया जाना चाहिये और पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के अन्तर्गत जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनका वोट नहीं होना चाहिये। यही मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष--एक बात तो यह है कि यह रिपोर्ट आ चुकी है और अब बहुत देर से आप इस प्रश्न को उठा रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि जब कोई आम नीति का प्रश्न उपस्थित होता है जो कि कोई सिद्धान्त तय करता है और वह जनरल एप्लीकेबिलिटी का यदि होता है तो उसमें बहुत से लोगों के इन्टरेस्ट होते ही हैं। उदाहरण के लिये मान लो यहां यह तय किया जाय कि आध पाव से ज्यादा किसी को शक्कर एक दिन में नहीं मिलनी चाहिये तो फिर यहां पर कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो उस पर वोट कर सके क्योंकि उसका इन्टरेस्ट शक्कर लेने में है जिस पर आघात होगा। इस प्रकार से हम सब लोग सदन के कार्य से गायब हो जायंगे। प्रत्यक्ष दिलचस्पी होने का मतलब यही है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति या सदस्य को उससे नफा या नुकसान होता है या नहीं। इस विधेयक का एक जनरल पालिसी से सम्बंध है कि कितने एकड़ जमीन किसी काश्तकार के पास रहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस सदन के लगभग ८० फीसदी ऐसे माननीय सदस्य होंगे जिनके पास कुछ न कुछ जमीन होगी। आपके तर्क को मानने से तो जिनके पास जमीन है वह इसमें भाग नहीं ले सकते क्योंकि उनको इस तरफ या उस तरफ फायदा या नुकसान होगा। इसलिये इस प्रकार के जो जनरल पालिसी के सवाल होते हैं उस संबंध में रूलिंग हो चुकी है, हाउस आफ कामन्स में जनरल पालिसी के जो सवाल आते हैं उनमें पर्टीकुलर इन्टरेस्ट नहीं माना जाता इसलिये सदस्यगण वोट देने के हकदार रहते हैं। यह तो आम बात है और इसके ऊपर अब कोई फैसला देने की जरूरत इसलिये नहीं है कि आपने इसको देर से उठाया है और वह वोट दे चुके हैं और वह विषय अब खत्म हो गया है। अब जिस समय यहां पर वोटिंग का समय आये इस सदन में उस समय मैं देखूंगा कि आप यह प्रश्न उठाते हैं या नहीं, अभी तो इस बिल पर विचार होगा। मैं आपके प्वाइन्ट आफ आर्डर को अवैध करार देता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं इस प्वाइन्ट आफ आर्डर के खिलाफ एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रखना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वीरसेन जी ने इस सदन के सामने जो कुछ रखा उससे पूरी सेलेक्ट कमेटी या उसके अधिकतर माननीय सदस्यों के आचरण के ऊपर रेफलेक्शन आता है। मैं समझता हूं कि यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि किन लोगों ने सेलेक्ट कमेटी में समाज में इस जमीन के बारे में बटवारे के विरुद्ध काम किया वरना कम से कम मैं इस लांछन को बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वीरसेन जी ने जो लांछन लगाया है उससे आप उन माननीय सदस्यों को बरी करवायें। मैं समझता हूं कि माननीय वीरसेन जी का यह कहना न्यायपूर्ण नहीं है कि जिन लोगों ने सेलेक्ट कमेटी में काम किया उन लोगों ने सेलेक्ट कमेटी को अपने पर्सनल इन्टरेस्ट के लिये इस्तेमाल किया।

श्री अध्यक्ष--वह इस तरह से नहीं कहते, वह तो सिद्धान्त की बात कह रहे थे। उनका मत यह था कि सीलिंग से जिन लोगों का हित या अहित होता है वह सिद्धान्ततः सेलेक्ट कमेटी में बैठने के अधिकारी नहीं थे, किसी एक व्यक्ति के लिये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया उसको मैंने रूल आउट कर दिया है। अब यह प्रश्न सामने नहीं है। माननीय माल मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई वीरसेन जी ने जो वैधानिक प्रश्न उठाया है, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना है। एक बात आपकी आज्ञा से कह देना चाहता हूं कि अगर उनका संशोधन मान लिया जाता है तो जमीन रखने वालों के इन्टरेस्ट के खिलाफ जाता है और जमीन न रखने वालों के इन्टरेस्ट के भी खिलाफ जाता है। इस तरह से देखा जाय तो एक आदमी भी क्वालीफाई नहीं कर पायेगा।

दूसरी बात यह है कि जब कमेटी बन रही थी तब हमारे मित्र को एतराज करना चाहिये था या जब उसकी रिपोर्ट आयी थी तब एतराज करना चाहिये था। यह जरूर है कि हमारे मित्र ने मेहनत काफी की। उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन बेमौके की मेहनत बेकार हो जाती है।

इस रिपोर्ट के संबंध में मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने कुछ संशोधन इस विधेयक में किये हैं । जो मु य मुख्य हैं उनमें एक तो कुछ क्लाजेज की क्रम सं या बदल दी गई है । जो जहां पर ठीक बैठते हैं वहां पर उनको रख दिया गया है । कई स्थानों पर शाब्दिक चेन्जेज भी किये हैं जिससे पहले जो लैंग्वेज थी उसमें काफी सुधार हुआ है । कुछ और चेन्जेज भी किये हैं । मसलन पहले बिल में यह था कि ५ रुपया फी एकड़ वाली मौरूसी जमीन से ऊपर की जो जमीन होगी वह अच्छे प्रकार की जमीन समझी जायगी और ३ से ५ रुपया तक रेट वाली जो मौरूसी जमीन होगी, वह दूसरी श्रेणी की जमीन समझी जायगी और ३ रुपया से कम की जमीन तीसरी श्रेणी की समझी जायगी ।

हमारे सूबे में अभाग्यवश कई प्रकार की जमीन है ---कुछ तो बहुत अच्छी है और कुछ ऐसी है जिसमें काफी प्रयास करने पर भी हम पैदावार की शक्ति में पर्याप्त इजाफा नहीं कर सके हैं और वहां की पैदावार खराब है । काफी बड़े रकबे टेन्योर होल्डर्स के प स हैं लेकिन काश्तकारों के पास साधन उपलब्ध न होने से उनकी पैदावार में यथेष्ट इजाफा नहीं हुआ है और उस जमीन की हैसियत बहुत खराब है---बुन्देलखंड, ट्रान्स जमुना और मिर्जापुर साइड में । इस तरह से बहुत सी पाकेट्स हैं जिनमें हैसियत आराजी अच्छी नहीं कही जा सकती । अगर हम एक ही तरह की सीलिंग सब जगह लागू कर दें तो इन पाकेट्स के साथ बेइन्साफी होगी । इस वजह से ५ से बढ़ाकर ६ रुपया किया गया है। जो औसत अच्छी जमीन का हमारे सूबे में आया है वह ६ रुपया से कुछ ज्यादा है इसलिये उसको उसी औसत के हिसाब से रख कर ३ तरह की श्रेणियां कायम की हैं । ६ रुपये के ऊपर की अच्छी प्रकार की जमीन ६ से ४ तक की बीच की जमीन यानी दूसरे प्रकार की और ४ से नीचे तक की तीसरी प्रकार की जमीन । दूसरी श्रेणी की जमीन का यही सिद्धान्त हमारे यहां लैंड रेवेन्यू के इतिहास में हमेशा माना गया है कि २ एकड़ जमीन बुन्देलखंड की या उस किस्म की हैसियत की जहां जहां है वह प्लेन की १ एकड़ जमीन के बराबर मानी गयी है। हमारे टेनेन्सी ऐक्ट में भी यह सिद्धान्त माना गया है। अगर हम उस सिद्धान्त के खिलाफ सीलिंग में कुछ करते हैं तो एकनामीकलचरली पिछड़े हुये हिस्से के रहने वाले जो भाई हैं उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। यह एक फेयर बात नहीं होगी, इस वजह से सरकार ने यह किया है।

दूसरी तरमीम ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने फेमिली की परिभाषा के सम्बन्ध में की है। फेमिली की परिभाषा जो पहले थी वह जरा सी साफ तौर पर नहीं थी। उसकी लैंग्वेज कुछ डिफेक्टिव थी और उसके मुख्तलिफ माने न लगाये जायं, वकला क्लास के लोग उसकी बाल की खाल न निकालने लगें जिससे दिक्कत होने का एहसास हो, इसलिये उसके डेफिनिशन को साफ कर दिया है कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं और उसके एक्सप्लेनेशन में जो तब्दीली की गई है उससे वह ज्यादा रिजिड बन गया है । वह इस तरह से कि उसमें प्रायर २० अगस्त, १९५९ और लिख दिया गया है । इसके न होने से पहले सभी और बाद के भी इससे फायदा उठा सकते थे लिहाजा इस एक्सप्लेनेशन में इन अल्फाज को बढ़ा कर ऐक्ट को और ज्यादा रिजिड कर दिया गया है ताकि फ्राड करके नाजायज तरीके से किसी को फायदा उठाने की गुंजायश न रहे । इस तरह की चीजों को कम करने का प्रयास किया गया है ।

उसमें यह भी बढ़ाया गया है पहले डिग्री आफ कोर्ट था, उसमें कर दिया गया है "डिग्री आफ कोर्ट प्रायर २० अगस्त, १९५९ ।" पेंडिंग सूट्स के बारे में भी कर दिया गया है "पेंडिंग सूट्स आन २० अगस्त, १९५९" । यह २० अगस्त की तिथि इसलिये निर्धारित कर दी गई है ताकि बाद में कोई डिग्री आफ सूट्स का फायदा न उठा सके । तो इस तरह से इसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है और गड़बड़ी करने की गुंजायश को रोकने का हमने प्रयास किया है । एक और इसमें तरमीम हुई है । पहले यह था कि ट्रांसफर आर डिवीजन जो १५ अगस्त, १९५९ के बाद होगा, वह इस बिल के परपज के लिये नहीं माना जायगा, वह समझा जायगा कि कोई ऐसा ट्रांसफर या डिवीजन हुआ नहीं । उसके लिये १५ अगस्त की डेट हमने इसलिये निर्धारित की है कि

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

१५ अगस्त हमारे देश के लिये एक बहुत ही आसपिशस है और उसी भावना से प्रेरित होकर हमने इस ऐक्ट में १५ अगस्त रखा है । लेकिन जब इस पर फिर विचार किया गया तो खयाल यह आया, जैसा कि सभी माननीय सदस्य इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे संविधान के परिच्छेद १९–एफ के अनुसार हर शख्स को अपने देश में जायदाद हासिल करने और उसे मुन्तकिल करने का जन्मसिद्ध अधिकार है । उसमें अगर हम जबरदस्ती कोई रुकावट डालें तो वह रुकावट धारा १९ को आफेंड करती है और उसके इस विधान के अल्ट्रावायरस होने का खतरा है ।

संविधान के परिच्छेद १९ के सब-क्लास (५) में दिया है कि राज्य सरकार को अधिकार है कि इस धारा में जो अधिकार दिये हैं उनके इस्तेमाल पर सरकार अगर जनहित में चाहे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन्स रखने का कानून बना सकती है । हमारा ऐसा विचार है और इस सरकार का भी यही विचार है और जो हमारे कानूनदां लोग हैं उनका भी है और हमें उनसे ऐसी एडवाइस मिली है कि अगर १५ अगस्त रखते हैं तो उससे गड़बड़ी होगी और हमने उसके बजाय २० अगस्त रख दी है, ५ दिन और बढ़ा दिये हैं । इसका कारण यह है कि २० अगस्त, सन् १९५९ को यह बिल सदन में पेश हुआ था लिहाजा उसके बाद सर्वसाधारण को इस बात की सूचना मिल गई कि इस विधेयक में क्या विधान किया जा रहा है । इसको इवेड करने के लिये ऐसा कयास किया जाता है कि लोग तरह-तरह की कार्यवाहियां करेंगे जैसे मुन्तकिल करेंगे, डिवीजन करायेंगे, बोगस ट्रान्जेक्शन्स करेंगे ताकि उन पर सीलिंग का असर न हो लिहाजा निषेध किया गया है कि २० अगस्त के बाद ऐसा करना नाजायज होगा और सरकार बाद के ऐसे ट्रान्जेक्शन्स को रिकग्नाइज नहीं करेगी । इन कारणों से यह तारीख १५ के बजाय २० कर दी गई है ।

कुछ माननीय सदस्यों का खयाल है कि ऐसा करने से, तारीख बढ़ाने से कुछ लोगों को मौका मिल गया और जो होशियार लोग हैं उन्होंने इन ५ दिन में काफी लाभ उठाने की कोशिश की लेकिन इस चीज को संविधान के अनुसार हम रोक नहीं सकते थे और अगर रोकते तो सारा कानून ही अल्ट्रावायरस हो जाता है । इसलिये मजबूर होकर ऐसा हमें करना पड़ा है ।

बहुत से मेम्बरान का यह भी खयाल है कि बहुत से बोगस ट्रान्जेक्शन्स उस जमाने में किये गये हैं और उनके कारण बहुत कम सरप्लस जमीन इस कानून के द्वारा मिल सकेगी । मैं भी जानता हूं कि इस प्रकार का उद्योग काफी लोगों ने किया है । बहुत से लोगों ने बाग लगा दिये हैं, और बागों की यहां तक भरमार हुई कि मलिहाबाद की नर्सरी में पेड़ों और कलमों का मिलना भी मुश्किल हो गया, वहां इतने ज्यादा आर्डर्स उस वक्त पहुंचे एकदम से, उससे शायद श्री त्रिलोकी-सिंह जी भी वाकिफ होंगे कि वह सप्लाई न कर सकें । उसके बाद यह भी हुआ कि नर्सरी वालों ने पेड़ों की डालियां काटकर उनमें मिट्टी की पेंद बांध कर भेजना शुरू कर दिया । नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिन में वह डालियां बाग में जाकर सूख गईं । लोग बड़े शौक से टोकरी में पेंदे बंधाकर ट्रक्स में ले गये और जा कर लगा दिया ।

(एक अ.व.ज—बहराइच में हुआ होगा ऐसा।) हमारे यहां तो ऐसा नहीं हुआ और जगह हुआ. . . . . .

श्री अध्यक्ष—वह पूछते हैं कि जगमनपुर में तो नहीं हुआ ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां तो बबूल होते हैं वहां बाग नहीं लगते । तो ऐसी भी बातें हुई हैं और मैं अपने उन माननीय सदस्यों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं जिनके दिलों में ऐसे खयालात हैं कि जिस वक्त यह विधेयक लागू होगा अधिनियम बनकर और जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मुकर्रर होगी और वह इन दफाओं के अन्तर्गत नोटिस टेन्योर होल्डर्स को देगी तो टेन्योर होल्डर्स का यह फर्ज होगा कि साबित करें कि बाग कब से लगाया गया है, जो ट्रांसफर किये हैं अपनी होल्डिंग्ज के जुज के वह किसके हक में किये हैं, जिसके हक में किये हैं आया वह खरीद सकते थे या नहीं । अगर साढ़े १२ एकड़ जमीन उसके पहले से है तो वह हमारे कानून के मुताबिक खरीद सकते नहीं । यह तमाम बातें देखी जायंगी । देखने के बाद जो ट्रांसफर जायज साबित होंगे, कानून की कसौटी

पर उतर आयेंगे और तारीख के अन्दर हैं उनको मानना हमारा फर्ज है और मानना चाहिये, और जो इस कसौटी पर नहीं उतरेंगे वह कतई माने नहीं जायेंगे चाहे जितना जाल बनायें । "मरडर इज नेवर हिडेन", जाल जाहिर हो जायेगा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से जो ट्रांसफर हुये हैं उनमें कुछ बोगस भी हैं और काफी तादाद में ऐसे नाजायज ट्रांसफर साबित होंगे । लिहाजा जितना खयाल है कि इसका असर हमारे सरप्लस पर होगा उतना नहीं हो सकता । कुछ जरूर होगा । उसके लिये मजबूर हैं, कोई चारा नहीं है । लेकिन जितना खतरा है हमारे वीरसेन ऐसे भाइयों को वह खतरा नहीं है । जमीन हमको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं ।

एक सदस्य---कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एक बिस्वा मिले । एक बिस्वा एक गरीब को दे देंगे । हम समझते हैं इससे बढ़ कर पुण्य का काम नहीं । जब यह लागू हो जायगा तब सब मालूम पड़ेगा, अनुमान करके मैं कभी आंकड़े नहीं देता क्योंकि वह सेफ नहीं है । मैं कुछ कह दूं तो माननीय विष्ट जी को मौका मिले कि मंत्री जी ने गलतबयानी की और प्रिविलेज मोशन लाया जाय, तो मैं ऐसा नहीं करता ।

इसके बाद कुछ तरमीमात और हुईं । वह सब मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । पहले यह था कि रिलीजियस ट्रस्ट, एंडाउमेण्ट और वक्फ---खाली यही रखे गये थे, लेकिन बाद को "चैरिटेबिल ट्रस्ट, वक्फ, एंडाउमेन्ट" भी रख दिये गये और एक डेट निश्चित कर दी गई है २० अगस्त के बाद, जो उसके पहले थे वह किये जायेंगे और उसके बाद वाले नहीं, क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी दौरान कार्यवाही ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी कि कुछ लोग और कुछ नहीं कर सकते तो ट्रस्ट के लिये करते हैं । तो उनकी पेशबन्दी को खत्म करने के लिये, उनके फ्राड को रोकने के लिये ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने इसमें भी २० अगस्त रख दिया और उसके बाद जो होंगे उन पर कोई असर नहीं होगा ।

एक संशोधन और किया गया है, वह यह है कि जो एग्रीकल्चर फार्म हैं बड़े-बड़े उनमें रोड्स बनी हैं, जो रोड्स ऐसी हैं जिन पर मोटर या गाड़ी चलती हैं उनको भी एक्जेम्प्ट कर दिया गया है, क्योंकि वह जेरे काश्त आयेंगी नहीं, लिहाजा सीलिंग में उन्हें जोड़ना अनुचित है और बुन्देलखंड वगैरह में ऐसे एक्जेम्पशन वहां के लोग क्लेम कर रहे थे, तो उनकी दरख्वास्त मंजूर करके ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने ऐसा कर दिया ।

एक तरमीम और की गई थी । हम उस पर ऐडवोकेट जनरल को कंसल्ट कर रहे हैं । पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज को ऐग्जम्पशन नहीं था । तो कोआपरेटिव विभाग से यह आया कि अगर इनको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता है तो कोआपरेटिव मूवमेंट पर असर पड़ेगा । तो एक तरमीम की गई, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा ऐसा खयाल है कि उसमें भी डिस्क्रीमिनेशन होता । ज्वाइंट स्टाक कम्पनी पर हम करें और इन पर न करें, तो कोई जस्टीफिकेशन मालूम नहीं होता । तो एहतियातन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने एक तरमीम कर दी थी कि उन पर भी लागू होगा । लेकिन जो सरप्लस लैंड होगी वह उन्हीं के नाम सेटिल की जा सकती है, सोसाइटी के नाम, बशर्ते कि मुआवजा देने के लिये राजी हों । लेकिन हमको इसमें भी कुछ त्रुटि मालूम पड़ती है अतः उस पर विचार कर रहे हैं कि और अगर जरूरत समझेंगे तो सदन में संशोधन लायेंगे और अगर नहीं तो जिस तरह है उसी तरह रहेगा ।

एक तरमीम और है उन कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये लैंडलस की और लेबरर्स की जिनमें अगर वह बांटी जाय तो तीन सही एक बटे आठ एकड़ से ज्यादा किसी के हिस्से में न आये, ऐसा रखा गया है और इसलिये रखा गया है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा रकबे की कोआपरेटिव बना देंगे तो कोआपरेटिव सोसाइटीज में मेम्बर भी कुछ एक महदूद सा होता है तो हम ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर इतना रकबा रखेंगे तो सम्भव है किसी गांव में २, ३ सोसाइटीज बना सकें ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

एक तरमीम और की गई है । पहले विधेयक में यह था कि अगर इस विधेयक के किसी प्राविजन का कोई उल्लंघन करे तो वह पेनल कर दिया गया था और कहा गया था ५०० रु० तक जुर्माना हो सकता है । लेकिन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में सभी लोगों ने कहा कि ५०० रु० की तादाद कम है, १,००० रु० की जाय । लिहाजा १,००० रु० कर दिया गया है । यही खास-खास तरमीमें हैं जो कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने रखी हैं ।

अब अधिक न कह कर सदन से कहूंगा कि हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और हमारी गाड़ी आगे चले । विधेयक पास हो, सूबे में लागू हो जाय ताकि जो सस्पेंस है लोगों में वह जाता रहे और जो भूमिहीन हैं उनको जमीन देने का जो इंतजाम रखा है उसके मुताबिक हम जमीन का वितरण भी कर लें और काम चालू हो जाय । जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स और रीजन्स में साफ तौर से कह दिया गया है कि क्या उद्देश्य है । उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह सारे प्राविजन्स रखे गये हैं । आशा है सदन हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष---जो संशोधन दिये गये हैं, इनमें श्री गोविन्दसिंह बिष्ट और श्री व्रजनारायण तिवारी जी के तो अवैध हैं क्योंकि नियम के अनुसार जब कि संयुक्त प्रवर समिति को कोई विधेयक भेजा जाता है विचारार्थ और फिर वापस आने पर विचार के लिये सदन में पेश होता है तो नियम १३४(२) के अनुसार उसका रीकमिटल संयुक्त प्रवर समिति को ही हो सकता है । और इन दोनों प्रस्तावों में यह कहा गया है कि इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द फिर से कर दिया जाय, तो उसके सुपुर्द नहीं हो सकता । तो ये दोनों अवैध हैं । अब मैं सीताराम जी का संशोधन कि संयुक्त प्रवर समिति को फिर से भेज दिया जाय इसको मैं पहले लेता हूं । इसके बाद दूसरा है भीखालाल जी का कि इसे सर्क्यूलेशन के लिये भेज दिया जाय, उसे लूंगा ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि इस पर बहस करने के लिये एक दिन नियत किया गया है । इस पर ज्यादा माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि समय का निर्धारण कर दिया जाय । सभी दलों के नेता इस बात के लिये राजी हो गये हैं कि जो मूवर हैं वह १५ मिनट और अन्य माननीय सदस्य १० मिनट तक विचार प्रकट कर सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---अभी जो बात हुई थी उसमें यह था कि मूवर को २० मिनट दिये जायं क्योंकि दो मूवर ही रह गये हैं । २० मिनट मूवर को और १० मिनट अन्य सदस्यों को दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---आपने मेरा संशोधन अवैध करार दे दिया, लेकिन मुझे १५ मिनट मिलने चाहिये क्योंकि मैंने काफी तैयारी की है ।

श्री अध्यक्ष---थोड़ा-बहुत समय बढ़ाने का अधिकार तो है ही ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---एक संशोधन मैंने भी भेजा था ।

श्री अध्यक्ष---आपने जो संशोधन भेजा था वह १ महीने के लिये और श्री भीखालाल जी का ३ महीने के लिये । तो उसमें आप भी बोल लीजियेगा ।

***श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)---जहां तक बहस का ताल्लुक है गवर्नमेंट सबकी भलाई चाहती है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—नियम १३५ के अनुसार आप बोलेंगे। पार्टियों को आप बीच में मत ले आइयेगा।

श्री सीताराम शुक्ल—वह तो आपको अधिकार है ही कि जहां आप चाहें रोक दें।

श्री अध्यक्ष—मैंने आपको सूचना दे दी।

श्री सीताराम शुक्ल—ठीक किया आपने। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त विधेयक जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है पुनः संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय। मेरी गुजारिश है कि जहां तक गवर्नमेंट का उद्देश्य है वह यह है कि सबको ज्यादा से ज्यादा आराम मिले, खाना कपड़ा मिले, सब लोग प्रसन्न रहें। यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। इनकम सीमित कर दी जाय ताकि किसी की बहुत ज्यादा और किसी की बहुत कम न हो। इसका उद्देश्य है समाजवाद और अगर इसको एक्सप्लेन न किया जायगा तो इसकी मुखालिफत कहां से होगी, इसलिये जहां तक संभव होगा मैं इसी पर रहूंगा लेकिन अगर वह बात आ जाय तो मुझे माफ किया जाय।

हुजूर वाला, यह नीयत बहुत अच्छी है और बात सही भी है कि किसी के पास ज्यादा क्यों हो और किसी के पास कम क्यों हो। भगवान ने सबको पैदा किया। सब उसी के बच्चे हैं। फिर एक आदमी के पास ज्यादा पैसा हो, एक के पास कम। एक आदमी मोटर पर चढ़े और एक पैदल चले। एक महल में रहे और एक के पास झोपड़ी भी न हो। इसलिये जहां तक यह सिद्धांत माना गया है कि किसी के पास ज्यादा क्यों हो, किसी के पास कम क्यों हो यह गाड़ी वहीं नहीं रुकेगी। यह बिल इस उद्देश्य से लाया गया है कि किसी के पास ज्यादा न हो, किसी के पास कम न हो, अन्तर न हो, भाई-भाई बराबर हों तो फिर यह विधेयक कायम नहीं रहेगा। इसलिये कि इसी मकसद से जमींदारी तोड़ी गयी लेकिन झगड़ा नहीं खत्म हुआ, वह बढ़ता गया। बिजनेसमैनों पर हेवी टैक्स लगाया गया लेकिन फिर भी शिकायत दूर नहीं हुई। अब सीर छीनने का सवाल पेश हो गया है कि सीर ज्यादा न हो, कम कर दी जाय।

खैर ठीक है, लेकिन कितनी करियेगा? पहले तय हुआ था कि साढ़े १२ एकड़ हो। लेकिन यह रहेगी कैसे? फिर धनी और गरीब हो जायंगे। उतनी ही जमीन में कोई धनी हो जायगा और कोई गरीब हो जायगा। इसलिये जो बुद्धिमान होगा, होशियार होगा, ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा, उसकी जमीन में ज्यादा पैदा होगा और जो मूर्ख होगा, आलसी होगा, बेईमान होगा उसकी जमीन में कम पैदा होगा। ईमानदार आदमी ठीक वक्त पर कर्जा पा जायगा, सोच कर महंगी फसल बोयेगा, जो सब लोग नहीं बोयेंगे, अच्छी गुड़ाई करेगा, जुताई करेगा, अच्छी खाद डालेगा और उतनी ही जमीन में ज्यादा पैदा करेगा। लेकिन जो आलसी होगा, बेईमान होगा, मूर्ख होगा उसको ठीक समय पर कर्जा नहीं मिलेगा, सस्ती फसल पिछड़ कर बोयेगा। इन सब बातों की वजह से उसकी जमीन में कम पैदा होगा। तो एक ही की पैदावार कम होगी और एक की ज्यादा होगी। एक मोटर पर चढ़ेगा और एक को साइकिल भी न मिलेगी। तो बराबर करने की बात हो नहीं सकती। दूसरे किसी के चार लड़के होंगे, किसी के दो होंगे, किसी के एक होगा और किसी के एक भी नहीं होगा। उसका हक उसका भाई पा जायगा तो फिर गरीब और अमीर का सवाल पैदा हो जायगा। इसके लिये अगर आप हर साल.....

श्री अध्यक्ष—आपका प्रस्ताव है कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को फिर से वापस भेज दिया जाय। इसका मतलब है कि आप सिद्धांत मानते हैं कि सीलिंग होनी चाहिये। अब यह कैसे हो, क्या हो इसके लिये पुनर्विचार के लिये आप उसी प्रवर समिति के सामने वापस भेजना चाहते हैं। यह तो आपका संशोधन है और आप बोल रहे हैं कि सीलिंग होनी ही नहीं चाहिये। तो यह परस्पर विरोधी बातें हैं, इसका आप जरा खयाल रखें।

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, आप नये तो नहीं हैं। रोजाना यहां बिल आते हैं, बहस होती है। कहा जाता है कि प्रवर समिति को भेजा जाय और पूरी उसकी मुखालिफत होती है। इसके अलावा जब सेलेक्ट कमेटी के पास यह जायगा और अगर वह मुनासिब समझेगी कि यह गलत चीज हुई है तो वह इसको पोस्टपोन भी कर सकती है। तो हमें जो हर पहलू पर रोशनी डालने का हक है और वही मैं आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फिर बराबरी नहीं हो पायेगी। अफसोस है कि हमारे ठाकुर साहब चले गये। वह हैं नहीं। बड़ा उम्दा जवाब देने वाले हैं।

एक सदस्य---वह खुशकिस्मत हैं कि चले गये।

श्री सीताराम शुक्ल---लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि वह चले गये क्योंकि उनसे अच्छा जवाब देने वाला इन बेन्चों पर कोई है नहीं। हुजूरवाला, इस गवर्नमेंट ने वादा किया था कि भूमिधर जो जमीन खरीदेगा ४० साल तक उसका लगान नहीं पड़ेगा।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

मिनिस्टर साहब भी गये, बड़ा अच्छा हुआ कि आप यहां तशरीफ ले आयीं। जरा मेरी बातों को आप ध्यान से सुनें।

श्री अधिष्ठाता---लेकिन आप विषय पर बोलियेगा।

श्री सीताराम शुक्ल---इस मसले पर पहले मेरा और आपका मुकाबला यहां पर हो चुका है और जनाब ने हमें बहुत इंटरप्ट किया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं। माननीय वक्ता ने अभी कहा कि मेरा आपका मुकाबला इसी बात पर हो चुका है। मैं चेयर के लिये ऐसे शब्द कहना अनुचित समझता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि माननीय वक्ता को आप आदेश दें कि वह अपने शब्द वापस लें।

श्री अधिष्ठाता---लेकिन उनकी भावना ऐसी नहीं थी।

श्री सीताराम शुक्ल---आपने मेरी बात ऊंची कर दी। यह बात ऐसी ही थी कि किसी ने कहा "बिल्ली"। उन्होंने कहा कि वह मेरे हाथ तो आई नहीं, वह इतनी ऊंची थी। हुजूरवाला, अगर आप अपनी राय से काम लेंगी तो क्लैश नहीं होगा। लेकिन उस दिन दूसरे सेक्रेटरी बैठे थे तो काफी इंटरप्शन हुआ लेकिन मुझे आप से कोई शिकायत नहीं है।

गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जो भूमिधर बनेंगे और चालीस गुना लगान देंगे तो चालीस साल तक लगान नहीं बढ़ेगा और आज क्या हो रहा है? किसी ने खुशी से जमीन ली थी, किसी ने धमकी से ली और कुछ लोगों ने मजबूरी हालत में औरत के जेवर बेचकर या सवाये सूद पर कर्जा लेकर जमीन ली थी। आज अगर उनकी जमीन छिन जायगी तो वायदा-खिलाफी होगी। हुजूरवाला, कैसे हुकूमत चलेगी। इस तरह से काम नहीं होगा। आप जानते हैं कि जबान से बात निकल गई तो राज्य तक छोड़ दिया गया और गरीब हो गये। गोरखपुर के एक ठेकेदार थे। उनके पास डेढ़ दो लाख का ठेका था। उनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। उनके वकील ने कहा कि तुम इस तरह से कह दोगे तो जीत जाओगे। लेकिन उसने कहा कि चाहे मेरी सारी जायदाद नीलाम हो जाय लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। उसकी सारी जायदाद नीलाम हो गई। क्या गवर्नमेंट अपने वायदे को बदल देगी। क्या इस तरह से हुकूमत चल सकेगी? अगर आप अपना वायदा बदल देंगे तो आपकी हुकूमत अच्छी नहीं होगी। अगर आप अच्छा शासन रखना चाहते हैं तो अपनी बात पर अड़िये और जो कहा है उसे बदलिये मत।

मैंने बातचीत भी की और मैंने समझा भी। लोगों ने यह कहा कि अगर इसको बढ़ा दिया गया और खरीद फरोख्त की गई तो नतीजा यह होगा कि छोटे गरीब होंगे और अपनी जमीन बेच नहीं पायेंगे। छोटे किसानों के पास पैसा नहीं है। एक किसान थोड़ी सी जमीन बेचकर दूसरा रोजगार करना चाहता है तो वह बेच नहीं सकेगा और बड़े किसान खरीद नहीं सकेंगे। इससे बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि न बेच सकते हैं और न खरीद सकते हैं।

हुजूरवाला, गौर फरमायें, जब गांवों में ऐसे लोग रहते थे जिनके पास रोटी रहती थी तो वह बेफिक्र रहते थे और वह बैठकर गांव वालों के मुकदमे सुन लिया करते थे और हाल ही उनका फैसला भी कर देते थे। लेकिन अगर गरीबी बढ़ी तो कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास रोटी हो तो कोई उनका मुकदमा सुनने वाला नहीं रह जायगा। आज भी जिनकी हालत अच्छी है मुकदमा सुन लेते हैं। लेकिन जहां सब के सब छोटे-छोटे किसान हैं, वहां के किसानों की हालत बहुत खराब है। मुकदमेबाजी में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरपंच और पंच डरते हैं कि अगर उनके खिलाफ फैसला करेंगे तो रात को फसल फूंक देंगे, घर चला देंगे, ऊख काट लेंगे। जिन किसानों के लिये आप यह कर रहे हैं कि किसी के पास रोटी ज्यादा न रहने पाये, उन किसानों के सामने और आफत आयेगी। ईर्ष्या खत्म नहीं होगी। आप गौर फरमायें मुख्य मंत्री साहब बैठते हैं और मंत्री साहबान बैठते हैं। सब की तनख्वाह बराबर है, बंगला बराबर है लेकिन हर मिनिस्टर मुख्य मंत्री बनना चाहता है, जायज तरीके से नहीं नाजायज तरीके से भी।

बहुत से सूबों में कितने झगड़े चल रहे हैं कि मंत्री मुख्य मंत्री हो जायं। आप को याद होगा कि कश्मीर के मुख्य मंत्री को वहां के डिप्टी चीफ मिनस्टिर साहब ने निकाल कर जेल भेज दिया। तो यह जलन नहीं बन्द होगी। थोड़ी सी सीर कम कर देने से जलन नहीं खत्म होगी। मेरी गुजारिश है कि हर काम में भलाई भी होती है बुराई भी होती है। देखना यह है कि भलाई ज्यादा है बुराई ज्यादा है। भलाई ज्यादा है तो रहने दीजिये बुराई ज्यादा है तो खत्म कीजिये। इंसान बैठा हुआ है, उसके गले में खखार है और नाक में सर्दी है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य ने अभी तक यह प्रगट नहीं किया कि जो बिल प्रवर समिति से आया है उसमें कमी क्या है। उस पर प्रकाश डालते हुए आप अपने संशोधन पर बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं प्रवर समिति में पूरा विश्वास करता हूं। अगर यह लौट जायगा तो वह हर कमी पर गौर करेंगे। इसलिये मुझे इतना ही अर्ज करना है कि खखार और सर्दी है लेकिन गले को काट नहीं दिया जायगा। जहां आदमी में लिखने-पढ़ने का गुण है वहां सर्दी और खखार भी रहेगा। लिहाजा यह देखना है कि पैसे से फायदा कितना है। मेरी गुजारिश यह है कि पैसे में बुराई जहां है वहां भलाई भी है। जिस समय बिगुल बजा, तो १८५७ में राजा, नवाब और बेगमों ने तलवार उठायी। आदमी जब रोटी से बेफिक्र होता है तो पब्लिक की सेवा करता है। क्योंकि खाना, कपड़ा और मकान से तो जिस्म को आराम मिलता है और परोपकार से आदमी की आत्मा को आराम मिलता है। नाम से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसी लिये शास्त्रकारों ने कहा है---

विद्या ददाति विनयम्,
विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति,
धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥

विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन और धन से धर्म की प्राप्ति होती है। यहां की धन धरती के बटवारे से काम नहीं चलेगा। दुनिया के सामान के बटवारे की जरूरत

[श्री सीताराम शुक्ल]

है। आस्ट्रेलिया में जमीन ज्यादा है और आदमी कम हैं। क्यों न यहां के आदमियों को वहां की जमीन जोतने का मौका मिले? रोशनी खत्म, व्याख्यान समाप्त।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--अधिष्ठात्री महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा उपस्थित किया गया है, राय जानने के प्रयोजन के लिये प्रदेश में तीन मास तक परिचालित किया जाय। माननीया, इस संशोधन के पक्ष में कुछ कहने से पहले मैं दो बातों को साफ कर देना चाहता हूं। अव्वल तो यह कि मैं और मेरा दल इस बिल के सिद्धांतों से पूर्णतया सहमत है। दूसरे यह कि हम यह भी चाहते हैं कि यह बिल अधिनियम बन करके जल्दी से जल्दी इस प्रदेश में लागू किया जाय। हो सकता है कि जिस तरह से यह बिल आज सदन में पेश है उससे हमें मतभेद हो लेकिन हम यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह अधिनियम बन कर के प्रदेश में लागू हो। हमने जो प्रस्ताव पेश किया है कि तीन महीने के लिये इसे प्रदेश में राय जानने के लिये परिचालित किया जाय, उसके खिलाफ हमारे ऊपर यह लांछन लगाया जा सकता है कि हम इसमें विलम्ब करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। इस प्रस्ताव के रखने का कारण दूसरा है।

इस सदन को स्मरण होगा जिस समय यह बिल पिछले साल अगस्त में इस सदन में पेश किया गया था हमारे दल की ओर से यही प्रस्ताव, यही संशोधन रखा गया था क्योंकि हमने बिल को देखने के बाद यह अनुभव किया कि जिस रूप में यह सदन के सामने रखा गया है उससे देश का भला होने वाला नहीं है, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह बिल लाया गया है, उनकी पूर्ति यह नहीं करता और उन लाखों भूमिहीनों को और अर्द्ध-भूमिहीनों को कोई भी जमीन इससे मिलने वाली नहीं है। इसलिये हमने वह प्रस्ताव रखा था। लेकिन जब सरकार ने दूसरा संशोधन पेश किया इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने का तो हमने अपने प्रस्ताव को प्रेस नहीं किया बल्कि सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया इस वजह से कि हमारा ऐसा अन्दाजा था कि इस विधान सभा में जो कुछ आलोचना इस बिल की हुई है उससे सरकार लाभ उठायेगी और प्रवर समिति में विचार करके इस बिल का इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें कुछ जो खराबियां हैं वह दूर की जायेंगी और एक अच्छा बिल संयुक्त प्रवर समिति से इस सदन में आकर पेश होगा। लेकिन हमने देखा कि उस प्रवर समिति के अन्दर सरकारी पक्ष की ओर से ऐसे प्रतिक्रियावादी और गैर-जनवादी संशोधन पेश किये गये जिनसे यह बिल जिस हालत में पेश हुआ था उससे और खराब हो गया और आज हम स्पष्टतया यह कहना चाहते हैं और इसके कहने में हमें जरा भी संकोच नहीं है कि हमने बड़ी भारी भूल की थी। अगर हमने सरकार के प्रस्ताव को न माना होता और जिस रूप में यह बिल इस सदन में आया था, उसी तरह से, पास होने के लिये हम मत देते तो शायद हम इस देश के बहुत से भूमिहीनों को कुछ फायदा पहुंचा सकते।

आज प्रवर समिति से यह बिल जिस रूप में आया है वह उन भूमिहीनों को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता। इसलिये हम चाहते हैं कि यह बिल कब्ल इसके कि कानून बनकर के इस प्रदेश की जनता के ऊपर लादा जाय वह लाख-लाख भूमिहीन किसान जो एक आशा भरी निगाह से इसकी ओर देख रहे हैं कि हमको इस बिल के जरिये जमीन मिलेगी, उनकी राय जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह बिल इस रूप में बिलकुल निरर्थक है। इससे कोई भी जमीन नहीं मिलने को। मुझे अफसोस हुआ। माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा। पिछले दफा जब यह बिल पेश हुआ था तो उन्होंने अनुमानतः बताया था कि करीब चार सवा चार लाख एकड़ जमीन मिलेगी। आज उन्होंने कहा कि हम कोई अनुमान नहीं बता सकते, हम अनुमान नहीं कर सकते कि कितनी जमीन निकलेगी। पिछली दफा कैसे अनुमान कर लिया था। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मंत्री जी भी जानते हैं कि इस बिल के पास हो जाने से जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति से आया है एक एकड़ भी जमीन नहीं निकलने वाली है।

माननीया, इस बिल में चार मुख्य बातें हैं जिनका कि खास तौर से इसके ऊपर असर पड़ता है। पहली तो यह है कि सीलिंग की सीमा क्या हो; दूसरी यह है कि परिवार जो इसका आधार बनाया गया है, उसका रूप क्या होना चाहिये; तीसरी यह कि जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनके ऊपर बिल का क्या नजरिया होना चाहिये और चौथी यह कि जो जमीन मिलने वाली है उसको हम किस तरह से उपयोग में लायें।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि सरकार ने सीलिंग की सीमा को निश्चित करने के लिये किसी भी उद्देश्य को सामने नहीं रखा है। किसी भी बात को अपने सामने नहीं रखा। किसी उद्देश्य को लेकर वह नहीं चले हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जब इसके खंडों पर विवाद होगा तब मैं इसके विस्तार में जाऊंगा लेकिन जो जमीन की कैटेगरी बनाने के लिये आधार रखा गया है, जमीन की तीन श्रेणी सीमा निश्चित करने के लिये बनाई गई है उनका बहुत ही दोषपूर्ण आधार है और प्रवर समिति में जाने के बाद वह और भी दोषपूर्ण हो गया है। पहले जितना था उसको भी बाद में नहीं रखा गया है।

माननीय मंत्री जी ने खुद बतलाया कि उन्होंने पहले अच्छे किस्म की वह जमीन रखी थी जिनका सर्किल रेट ५ रुपये से ऊपर था। अब उन्होंने ६ रुपया एकड़ कर दिया है। उसका नतीजा यह हुआ कि जो ५ रुपया और ६ रुपया एकड़ के बीच की जमीनें थी वह सेकंड ग्रेड की जमीन हो गई। उस बड़े किसान को जब पहले ४० एकड़ जमीन मिलती तो अब वह ६० एकड़ जमीन पायेगा। इसी तरह से सेकंड ग्रेड की जमीन को ५ रुपये से घटाकर ४ रुपये नीचे कर दिया है यानी ५ रुपये से ४ रुपये तक जो सेकंड ग्रेड की जमीनें थीं उनको थर्ड ग्रेड कर दिया है। लामुहाला इसी सीमा को दूसरी तरह से बढ़ा दिया गया है। जिसको ४० एकड़ मिलती अब उसको ४७, ४८ एकड़ जमीन मिल जायगी और दूसरे ग्रेड वाले को ६० के बजाय ७२ एकड़ मिलेगी और तीसरे ग्रेड वालों को ८० एकड़ के बजाय ९४ एकड़ जमीन मिल जायगी। प्रवर समिति में जाने के बाद इस बिल के अन्दर जो सीमा पहले थी उसको इस प्रकार बढ़ाया गया है। सरकार ने इस बात को क़तई अपने सामने नहीं रखा है कि कितनी जमीन उसको मिलने जा रही है।

दूसरा प्रश्न यह है ट्रान्सफर के बारे में इस बिल में पेश्तर रखा गया था कि १५ अगस्त के बाद से जो भी हस्तान्तरण होंगे उनको इस बिल में मान्यता नहीं दी जायगी लेकिन अब उस तारीख को बढ़ाकर २० सितम्बर कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने इसके लिये दलील यह दी है कि चूंकि संविधान में हर व्यक्ति को अपनी जायदाद का हस्तान्तरण करने का अधिकार है इस वजह से उस पर रोक भी लगा सकते लेकिन साथ ही कहते हैं कि जनहित में रोक ला सकते हैं और उसके लिये प्राविधान है लेकिन जनता को बताने की जरूरत है कि हम यह चीज फलां तारीख से जनहित के लिये ला रहे हैं। उस तारीख के लिये उन्होंने बतलाया कि २० तारीख एक अच्छी तारीख है। उस तारीख को सदन में बिल पेश हुआ था।

मैं समझता हूं कि जिस समय नागपुर का प्रस्ताव पास हुआ था तो क्या वह उपयुक्त समय नहीं था प्रदेश की जनता को बताने के लिये कि प्रदेश में हदबन्दी लागू होने जा रही है और हद-बन्दी लागू होने के बाद बड़े किसानों से अतिरिक्त जमीन ले ली जायगी? क्या उनके लिये यह काफी वार्निंग नहीं थी? उसके बाद भी मंत्रियों के समय-समय पर वक्तव्य हुये हैं? माननीय चौधरी चरणसिंह, जो माल मंत्री थे, उनका वक्तव्य नागपुर प्रस्ताव के बाद अप्रैल या मई, सन् १९५९ में हुआ था कि हम ४० एकड़ की सीमा रखने जा रहे हैं। क्या यह उनके लिये वार्निंग नहीं थी? क्या यह जानकारी उन काश्तकारों के लिये काफी नहीं थी जिनके पास ४० एकड़ से ऊपर जमीन है। इसी दर्मियान वह अपना बन्दोबस्त करते तो यह तारीख बढ़ाने का क्या अर्थ है और २० तारीख रखने का क्या औचित्य है? हमको तो तारीख इसके लिये घटानी चाहिये थी न कि बढ़ानी क्योंकि इसके लिये प्लानिंग कमीशन ने भी सिफारिश की थी।

सीलिंग को लागू करने से पहले आप देखें और २, ३ साल के पिछले ट्रान्सफर की जांच करें और यदि आपको बोगस मिलें तो उनको आप अवैध करा दें। अगर आप प्लानिंग कमीशन की सिफारिश को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो नागपुर प्रस्ताव के पास होने के बाद रखिये।

[श्री भीखा लाल]

हमने पहली जनवरी सन् १९५९ रखा था कि इससे पहले जितने ट्रान्सफर हुये हों उनको रहने दिया जाय लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना । इस दिशा में सरकार पीछे गई है । प्रवर समिति में जाने के बाद हम ५ दिन भी बचा नहीं सके हैं । प्रवर समिति में यह बिल गया लेकिन वहां पर इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है ।

अब जहां तक फैमिली का ताल्लुक है, मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन माननीय मंत्री जी की ही बात को दोहराना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि फैमिली की परिभाषा पिछले बिल में साफ नहीं थी और इस बिल में साफ हो गयी है । मैं तो इस संबंध में यह कहूंगा कि इस परिभाषा से जो जमीन मिलने वाली थी अब वह भी नहीं मिल पायेगी । मुझे तो यह सुन कर बड़ा ताज्जुब होता है कि इस परिभाषा से कैसे भूमि मिलेगी ? इस परिभाषा से तो मियां की फैमिली अलग, बीबी की अलग और बच्चों की अलग । यह परिभाषा बिलकुल साफ नहीं हुई है और मैं तो यह कहूंगा कि इस परिभाषा से जो जमीन मिलने वाली थी वह भी साफ हो गयी, परिभाषा के साफ होने के साथ-साथ । इसलिये मेरा यह निश्चित मत है कि प्रवर समिति में जाने के बाद जो अब यह बिल हमारे सामने पेश हुआ है उसमें तरक्की नहीं हुई है, बल्कि तनज्जुली ही हुई है । इसलिये हम चाहते हैं कि इस बिल को जनमत को लिये घुमाया जाय ।

अब जहां तक हदबन्दी का सवाल है, उसके बारे में भी मैं कुछ आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं । इसकी सीमा निर्धारित करने के लिये कुछ सिद्धान्त होते हैं जिनको सरकार को अपने सामने रखना चाहिये । पहला सिद्धान्त तो यह होना चाहिये कि ऐसी सीमा निर्धारित की जाय कि जिसकी जमीन ली जाय उसके पास इतनी जमीन छोड़ दी जाय जिससे कि वह अपने परिवार की मदद से, अपने नौकरों की मदद से, अपनी गुजर-बसर कर सके और अपनी आर्थिक व्यवस्था का ठीक तरह से संचालन कर सके । तो एक तो यह आधार होना चाहिये । दूसरा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि हमको ऐसी सीमा निर्धारित करनी चाहिये जिससे कि इतनी तादाद में जमीन मिल सके कि तमाम भूमिहीनों को इस तरह से बांटी जा सके कि वे लोग अपनी गुजर-बसर कर सकें। इसके लिये जमीन पर दबाव कितना है इसे अवश्य ध्यान में रखना होगा । मैं समझता हूं कि सरकार ने यह जो सीमा निर्धारित की है उसमें इन दोनों में से किसी सिद्धान्त को अपने सामने नहीं रखा है । हम अगर गौर करें कि हमारे प्रदेश की हालत कैसी है, हमारे प्रदेश में कृषि की क्या व्यवस्था है तथा कृषि क्षेत्र में जमीन का बटवारा किस तरह से हो, तो हमारी आंखें खुल जायेंगी । मान्यवर, हमारे प्रदेश में एक एकड़ से कम जमीन जोतने वाले ३६ फीसदी लोग हैं । ५५ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है । ७५ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन है । २५ एकड़ के ऊपर जमीन वाले २ फीसदी हैं और ४० एकड़ से ऊपर वाले एक फीसदी से भी कम हैं । मैं यह नहीं समझ पाया कि इस बिल को लाने का मतलब उन एक या दो फीसदी वालों की हिमायत करना है, या उन ९८ फीसदी लोगों की हिमायत करना है ।

इसके अलावा अगर हम, जो सीमा सरकार ने हमारे प्रदेश में निर्धारित की है, उसका मुकाबला दूसरे प्रदेशों से करें जहां पर कि इस तरह के बिल आये हैं तो हम देखेंगे कि हमारा सूबा इस मामले में सबसे पीछे है । दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में जो सीमा हमारे यहां रखी गयी है वह बहुत ही प्रतिक्रियावादी है और इससे फायदा होने वाला नहीं है ।

माननीया, हमारे प्रदेश में जो औसत जमीन प्रति परिवार है वह ३ या ४ एकड़ के बीच में है । इस चीज को भी सामने रखकर हमें देखना चाहिये कि दूसरे प्रदेशों में क्या आधार रखा है । अगर हम उनको ध्यान में रखें तो हमको मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में प्रेशर जमीन पर काफी ज्यादा है और जितना ही अधिक जमीन पर प्रेशर होगा उतनी ही न्यूनतम सीमा कम होगी । उड़ीसा में लैंड पर प्रेशर ३ एकड़ और ४ एकड़ के दरम्यान है । वहां फी परिवार ३–४ एकड़ जमीन पड़ती है, लेकिन वहां सीलिंग ३० एकड़ है । बिहार में भी ३–४ एकड़ तक लैंड पर प्रेशर है, वहां भी सीलिंग ३० एकड़ रखी गयी है ।

यहां हमारे प्रदेश में भी प्रेशर ३ एकड़ और ४ एकड़ के बीच में है, लेकिन सीलिंग ४० एकड़ रखी गयी है । वह भी नाम-मात्र है । वह बढ़ाकर ४७ एकड़ कर दी गयी है । तो कहां ४७ एकड़ और कहां ३० एकड़ ? दूसरे प्रदेशों में जहां जमीन ज्यादा है वहां के मुकाबले में भी सीमा यहां बहुत अधिक है । पंजाब, राजस्थान और हिमांचल प्रदेश में भी फी परिवार ९ एकड़ से १० एकड़ जमीन है और सीमा मिनिमम ३० एकड़ है । क्या मैं पूछ सकता हूं मंत्री जी से कि आपने जो ४० एकड़ रखी है वह कहां तक जस्टिफाइड है ? और, क्या औचित्य है इसके पीछे ? पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लैंड प्रेशर ढाई गुना कम है और आपके ४० एकड़ के मुकाबले में वह १०० एकड़ भी सीमा कर दें तो वह बराबर रहेगी, लेकिन वहां भी ३० एकड़ ही रखी है । इससे मालूम होता है कि वहां जनवादी कानून है और किसानों का भला करने वाले कानून हैं और हमारे प्रदेश का यह कानून जनवादी नहीं है, बल्कि प्रतिक्रियावादी है । हमें फख्र था कि हमारा प्रदेश लैंड रिफार्म में सबसे अगुवा रहा है, लेकिन अब वह सबसे पीछे है । केरल में जहां लैंड पर प्रेशर ४ और ५ एकड़ है वहां सीमा १५ एकड़ रखी गयी है । तो क्या औचित्य है मंत्री जी और उनकी सरकार के पास कि यहां ४० एकड़ और ४७ एकड़ सीमा जा रही है ? इसके लिए कौन सा आधार है वह बतावें, मैं निश्चित प्रश्न रखता हूं कि बतावें कि ४७ एकड़ और ७२ एकड़ और ९४ एकड़ रखने का क्या औचित्य है और कितनी जमीन मिलेगी भूमि-हीनों के लिए ? उनके पास रेकार्ड्स हैं, अधिकारी हैं, विभाग हैं. वह मालूम करें कि कितनी जमीन निकलेगी और इस कानून के मुताबिक कितने परिवारों को भूमि दे सकेंगे ?

हमने प्रवर समिति में जो सुझाव दिया था कि आप साढ़े १२ एकड़ से लेकर ३० एकड़ तक अगर सीलिंग रखेंगे तो ३० लाख से लेकर ४० लाख एकड़ जमीन निकलेगी । इतनी जमीन जब हासिल होगी तो साढ़े सात लाख जो भूमिहीन परिवार हैं उनको कानून के मुताबिक ३.१.८ एकड़ देने के बाद काफी जमीन बचेगी और उसे हम अर्ध-भूमिहीनों को, अनइकानामिक होल्डिंग्स वालों को भी दे सकेंगे । मैं पूछूंगा कि जरा हमको बतावें कि कितनी जमीन इस कानून के मुताबिक मिलने वाली है ? अगर हम और गहराई से देखें तो हमारे प्रदेश में कितनी कल्टीवेटेड लैंड है उसमें १.३ ऐसी हैं जिसे ऐसे किसान जोतते हैं जिनका उस पर कोई अधिकार नहीं है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मुझे कृपया ५ मिनट और दे दीजिये । मुझे पहले मालूम नहीं था कि टाइम लिमिट है । अचानक मुझे २० मिनट का ही समय दे दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—आप लोगों ने ही तय किया है ।

श्री भीखालाल—आपका अधिकार तो सबके ऊपर है ।

माननीया, जैसा मैं कह रहा था, इस प्रदेश में जितनी मजरुआ जमीन है उसका १.३ हिस्सा ऐसे आकुपेंट्स के कब्जे में है जिस पर उनका अधिकार नहीं है, यानी भूमिहीन लोग दूसरों की जमीन जोतते हैं, बटाई और शिकमी पर जोतते हैं । ऐसी डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन है जो दूसरे लोग जोतते हैं बड़े-बड़े किसानों की । मैं पूछना चाहता हूं कि ये जमीनें किसकी हैं ? यह उनकी है जिनकी हिमायत सरकार करने जा रही है इतनी लम्बी सीमा लगाकर जो अपने हाथ से काम नहीं करना चाहते, अपने मजदूरों से काम नहीं कराना चाहते, मजदूरों पर निगरानी नहीं रख सकते और बटाई और शिकमी पर जुतवाते हैं, उनकी भलाई के लिए ही यह कानून लाया गया है ।

एक तरफ तो कहते हैं कि बटवारा हो जमीन का और खाद्यान्नों की पैदावार बढ़े, मैं पूछना चाहता हूं कि बिला किसानों को उनका अधिकार दिये हुए, जो कि वास्तव में जमीन जोतते हैं, सरकार यह समझती है कि पैदावार बढ़ सकती है ? किसान शिकमी जोतता है, बटाई जोतता है, उसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती । वह सोचता है कि इस साल जमीन मिली है, जो कुछ मिले, ले लो, अगले साल पता नहीं किसके पास जायगी । अधिक अन्न उपजाओ

[श्री भीखालाल]

आन्दोलन पर चाहे जितना रुपया खर्च किया जाय, चाहे जितने साधन उपलब्ध किये जायें लेकिन मैं समझता हूं कि यह सारी स्कीमें फेल हो जायेंगी अगर भूमिहीनों को जमीन देने की व्यवस्था नहीं की गई । क्या कोई किसान नहीं चाहता कि वह ज्यादा गल्ला पैदा करे ? हर किसान चाहता है । आप उनको सिखाते हैं कि जापानी ढंग से धान लगाओ, चीनी और अमरीकन ढंग से यह करो लेकिन हमारा किसान जानता है कि परम्परागत तरीकों से किस प्रकार उपज बढ़ाई जा सकती है, उसके पास साधन होने चाहिये । हमारे यहां देहात में एक कहावत है : 'एक बीघा बीस मने, बीस बीघा बीस मने ।' वह जानता है कि किस प्रकार से एक बीघे में २० मन पैदा किया जाता है और किस तरह से लम्बी सीर वाले २० बीघे में एक मन प्रति बीघा ही पैदा कर पाते हैं क्योंकि वह खेती करना नहीं जानते और अपने हाथ से खेती करते नहीं । एक तरफ तो आप जमीनें दे रहे हैं उनको जो कि पैदावार नहीं करते और दूसरी तरफ आप श्रमशक्ति को कोई काम नहीं देना चाहते । एक की श्रमशक्ति बेकार है और दूसरी ओर जमीन बेकार है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रमशक्ति को इकट्ठा करने का कोई प्रयास हो रहा है ? मैं समझता हूं नहीं हो रहा है । जब तक यह प्रयास नहीं होगा, श्रमशक्ति का उपयोग नहीं किया जायगा तब तक अन्न की समस्या हल नहीं हो सकती । आपका करोड़ों रुपया बेकार जायगा ।

अन्त में मैं दो बातें और कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं इस सदन में इस बात में कोई दो मत नहीं हो सकते कि आचार्य विनोबा भावे के मुकाबले में शायद ही किसी व्यक्ति ने देश और प्रदेश की भूमि की समस्या को समझा हो और भूमि के बटवारे के लिये शायद ही किसी ने इतना प्रबल जनमत जाग्रत करने की कोशिश की हो । उनका स्पष्ट मत है कि जो सीमा रखी जा रही है वह निरर्थक है और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है और न भूमिहीनों को कोई फायदा होने वाला है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि विनोबा जैसे महात्मा जिन्होंने देश की भूमि व्यवस्था को समझने की कोशिश की उनके सुझावों पर अगर वह ध्यान नहीं देती, प्लानिंग कमीशन के सुझावों पर ध्यान नहीं देती, प्रोफेसर बलजीतसिंह जैसे अर्थशास्त्रियों की बात नहीं मानती तो फिर किसकी बात को मानना चाहती है ? वह ऐसी चीजों के आधार पर बिल लाना चाहती है जिससे कि प्रदेश का कोई फायदा न हो ।

लाखों किसानों को धोखा देकर कुछ आदमियों की हिमायत में जिस प्रकार से यह बिल लाया गया है, मैं समझता हूं इससे इस प्रदेश की जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है । इसलिये कब्ल इसके कि हम यहां इस बिल को पास करने में जनता का लाखों रुपया व्यय करें और जबर्दस्ती जनता पर लादें, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और जिन लोगों पर यह निरर्थक बिल लादा जा रहा है जिससे उनका कोई फायदा नहीं होगा, उनकी राय जानना आवश्यक है । इसीलिये मैंने संशोधन रखा है कि इस बिल को प्रदेश में तीन महीने के लिये घुमाया जाय और जनमत इकट्ठा किया जाय और उसके बाद सदन में लाया जाय । मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे संशोधन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा और इसको स्वीकार करने की कृपा करेगा ।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--अधिष्ठात्री महोदया, जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसका मैं समर्थन करता हूं और यहां पर जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनका विरोध करता हूं । विरोध इसलिये करता हूं कि हम सब सदस्यों की यह धारणा है कि इस विधेयक के आने के फलस्वरूप बहुत सी जमीनों का नाना प्रकार से दुरुपयोग और ट्रान्सफर किया जा रहा है । जितना ही इस कार्य में विलम्ब किया जायगा उतना ही जमीन का ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है । इसलिये इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करने की आवश्यकता है । इसे पुनः प्रवर समिति में भेजने से या दूसरी प्रक्रिया निर्धारित करने से विलम्ब ही होगा और ऐसा न करके इसे तुरन्त ही पास करना चाहिये ।

इस विधेयक को हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और हम यह समझ रहे थे कि हम ग़रीबों के लिये एक बड़ा भारी लोकहित का कार्य कर रहे हैं जिससे जमीन उन लोगों को मिलेगी

जो अपने हाथ से खेती करते । हम समझते थे कि देश की अन्न की समस्या हल होगी और ग़रीबों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो भूमि उपलब्ध होगी उसके सहकारी खेती के लिये भी प्रयोग करने की बात है । परन्तु सहकारी खेती आज-कल विवाद का विषय होता जा रहा है । सन् ५०–५१ के ज़मींदारी विनाश के कानून में भी सहकारी खेती के लिये नियम और उपनियम बने थे और उस समय किसी की ओर से कोई आशंका व्यक्त नहीं की गई थी लेकिन आज जब उसे व्यावहारिक रूप दिया जा रहा है तो उस पर नाना प्रकार की आशंकायें प्रकट की जा रही हैं ।

हम इस विधेयक को समस्त प्रदेश में लागू करना चाहते हैं । लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिये या दूसरे क्षेत्रों के लिये ऐसा विधान रखा गया है कि धीरे-धीरे, घोषित करके, वहां लागू किया जाय । यदि यह भी माना जाय कि वहां यह विधेयक क्रमशः लागू होगा, फिर भी हम यह चाहते हैं कि यह नज़ूल की जो ज़मीन है वह या सरकारी भूमि को उस ज़मीन में शामिल कर लिया जाय । इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि कैन्टोन्मेंटों में जो ज़मीन जनता को उपलब्ध है उसे भी अधिकतम जोत सीमा निर्धारित करने में रखा जाय यद्यपि वह केन्द्रीय ऐक्ट के मातहत शासित होती है । इसलिये इस मूल्यवान भूमि को भी अधिकतम जोत सीमा निर्धारण में शामिल करना एक बड़े महत्व की बात होगी । मेरी राय में उसे भी अवश्य शामिल करना चाहिये ।

इस विधेयक में मुख्यतः ३ शब्द ऐसे हैं जो सारे विधेयक की जान रखते हैं । एक है अच्छे प्रकार की भूमि, दूसरा है अधिकतम जोत की सीमा और तीसरा है अतिरिक्त भूमि । इन तीन शब्दों में यह सारा विधेयक व्याप्त है । अगर इनके बारे में हम कोई निश्चय कर लें तो हम समझते हैं कि सारे विधेयक पर हमने अपनी सम्मति व्यक्त कर दी । आमतौर से विधेयक में रखा गया है कि अधिकतम जोत की सीमा ४० एकड़ होनी चाहिये । अगर इस बात को हम मान लें तो यह बिलकुल उपयुक्त सीमा है क्योंकि मतभेद तो दुनिया में हो ही सकता है । कुछ लोगों की समझ से सीमा ४० एकड़ से ज्यादा होनी चाहिये, दूसरे कह सकते हैं कि इससे कम होनी चाहिए, लेकिन हम इस विधेयक में यही मान कर चलते हैं कि ४० एकड़ ही अधिकतम जोत की सीमा होनी चाहिये । इससे आगे भी विधेयक में ऐसा रखा गया है कि अगर खराब भूमि है तो वह ८० एकड़ तक हो सकती है और अगर परिवार में आदमी ज्यादा हैं तो १२८ एकड़ तक हो सकती है । जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है वे बहुत ही सम्पन्न और सुखी हैं । जो भी होल्डिंग्स उनके पास हैं उनको मेहनत से, परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने परम्परागत अनुभव से, उन्होंने अच्छे से अच्छे खेतों में परिणत कर लिया है । इसलिये वे जानते हैं कि कौन सी उनकी सबसे अच्छी है और कौन से प्लाट्स सबसे अच्छे हैं । इस प्रकार जो वे चाहें वहीं ४० एकड़ उनको मिलनी चाहिये ।

सरकार ने ज़मीन निर्णय करने के लिये मौरूसी दर का सहारा लिया है । अगर कोई किसान १०, २० वर्ष तक खेती करने के बाद भी अपनी ज़मीन को अच्छी नहीं बना सका है तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है । हां, ४० एकड़ में कुछ प्रतिबन्ध ऐसे हो सकते हैं कि ज़मीन लगातार हो या कन्टीन्यूअस हो, या २, ३ प्लाट्स में हो, ताकि दोबारा चकबन्दी की ज़रूरत न पड़े । ऐसा एक साधारण प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है । यदि ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तो एक प्रकार से दोबारा सैटिलमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि पुराने ज़माने की मौरूसी दरें तो बहुत पुरानी हैं । उसके बाद बहुत से सुधार हो गये हैं। कुंवे, नहरें और ट्यूबवैल्स बन गये हैं । इसलिये मौरूसी दरों में भी परिवर्तन हुये हैं । हालांकि विधेयक में नहीं है कि मौरूसी दरों का रिवीज़न किया जाय लेकिन जैसे चकबन्दी में ५, ५ साल लग रहे हैं और नाना प्रकार की बेइमानियां हो सकती हैं वैसे ही रिवीज़न में भी हो सकता है और हमारी इच्छा तो इस विधेयक को जल्दी से जल्दी लागू करने की है । रिवीज़न में बड़ी हिसाबबाज़ी हो सकती है और १०, ५ वर्ष का समय भी लग सकता है । अच्छे प्रकार की भूमि घटिया प्रकार की भूमि में परिणत हो सकती है । अगर इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है तो उससे बड़ी लम्बी कार्यवाही हो जायगी । इसलिये हम समझते हैं कि और किसी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है । यही काफ़ी है कि जो भूमि किसी के पास है उसमें से वह सर्वोत्तम ४० एकड़ चुन ले और वही उसे दे दी जाय ।

*श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---श्रीमती जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा समय हमें और दे दिया जाय। एक तो हमारा संशोधन नहीं है और दूसरे हमारा ही दल ऐसा है जो सीमाबन्दी का विरोध करता है।

श्री अधिष्ठाता---१५ मिनट आपको दिये जावेंगे।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---मैं चाहता हूं कि आप २० मिनट कर दें। आपकी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता---अच्छा बोलें आप।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---श्रीमती जी, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जो यह विधेयक सदन के सामने प्रवर समिति से पास होकर आया है, वह विचार के लिये, जनमत प्राप्त करने के लिये, फिर से एक महीने के लिये भेज दिया जाय। यह समस्या बड़े महत्व की है। यह साधारण बात नहीं है कि आज हमारे प्रदेश में सीमाबन्दी का विधेयक आया है। यह विधेयक वास्तव में हमारे प्रदेश और देश का नक्शा ही बदलने जा रहा है। हजारों किसान, हमारे देहात का पूरा वर्ग, एक तरह से इससे प्रभावित होने जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन किसी प्रभाव में या दलबन्दी में न आकर, निष्पक्षता से इस पर विचार करके निर्णय ले।

इस विधेयक में मुख्य मुख्य २-३ उद्देश्य हैं। कहा गया है कि भूमिहीन किसानों को खेत देना, खाद्यान्न का उत्पादन कराना और जनहित, इनके लिये इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। जहां तक भूमिहीन किसानों का प्रश्न है यह तो भीखालाल जी ने भी कहा कि भूमिहीन किसानों को इससे कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। लाभ तो उनको अवश्य पहुंचना चाहिये और उसके लिये सरकार के पास साधन भी हैं बगैर इस व्यवस्था में गड़बड़ी किए हुए। श्रीमती जी, अगर देखा जाय तो इस विधेयक में कहीं भी भूमिहीनों का जिक्र नहीं है। यह कहीं नहीं कहा गया कि जो भूमि मिलेगी उसको भूमिहीन किसानों को दिया जायगा। जहां भी देने का प्रश्न आया है वहां कहा गया है कि जो खेत निकलेंगे वह सहकारी खेती को देंगे। इसी बात से पता चल जाता है भूमिहीन किसानों का केवल ढोंग किया जा रहा है।

हमारे यहां ४ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है। अब अनुमान किया जाता है कि ढाई लाख एकड़ भूमि बड़े खातेवालों से मिलेगी जो एक प्रतिशत होती है। जब कि इसी प्रदेश में ८० लाख एकड़ परती भूमि है जिसको तोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ५,७६ हजार एकड़ भूमि विनोबा जी को प्राप्त हुई है जिसमें से केवल ७६ हजार एकड़ ही वितरण की जा सकी है, ५ लाख एकड़ अभी पड़ी हुई है। अब इससे क्या समझा जाय कि यह सारी व्यवस्था भूमिहीनों को भूमि देने के लिये की जा रही है या सारी व्यवस्था उन छोटी भूमि वालों को मिटाने के लिये की जा रही है।

अब इस पर जो खर्चा हो रहा है उसकी तादाद साढ़े ९ करोड़ रुपये है। एक ओर तो इस समुदाय को मिटाने के लिये साढ़े ९ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और दूसरी ओर ८० लाख और ५ लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। अगर उस भूमि को ८ लाख परिवारों में बांट दिया जाय और १००-१०० रुपया उनको दे दिया जाय तो आपकी इस योजना से ज्यादा भूमि टूट जायगी और प्रान्त को अधिक लाभ होगा। सरकार भूमि वितरण का बहाना लेकर उनको भूमि न दिलवा कर डिक्टेटरशिप कायम करना चाहती है, उसी तरह की डिक्टेटरशिप जो रूस और चीन में है और जिसको दाहिनी ओर के बैठने वाले लोग भी चाहते हैं और आज किसानों को छोटे-छोटे टुकड़ों में करके यह व्यवस्था की जा रही है कि उनकी दशा मजबूरी की हो जाय और उनको सरकार के सामने सिर झुकाने के लिये मजबूर होना पड़े। पहले माल मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी, ने एक किताब लिखी थी "उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रान्ति"। वह ७५ पेज की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है---

"भूमिहीन व्यक्तियों तथा गरीब किसानों को छोटी-छोटी आराजियों के रूप में भूमि के बितरण के फलस्वरूप लाभहीन कृषि व्यवस्था उत्पन्न होगी और बुरी अवस्था में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप वृहत् स्तर के उत्पादन की सम्भावनाओं को विशेष बल मिलेगा, क्योंकि तब लाभहीन जोतवाला हतभागा किसान सामूहिक खेती की नीति के समक्ष घुटने टेक देने को मजबूर हो जायगा।"

इस बिल का मुख्य उद्देश्य यही है कि छोटे किसानों को और भूमिहीनों को और खंदक में डाल दिया जाय। जो जमीनों के लिये आज आंखें लगाये बैठे हैं उनको बलहीन बनाने के लिये यह व्यवस्था हो रही है ताकि छोटे-छोटे किसान निस्सहाय हो जायं और यहां सरकारी खेती हो जाय।

दूसरे पक्ष से जो यह कहा जा रहा है कि हम भूमि की सीलिंग फूड प्रोडक्शन के लिये कर रहे हैं, यह सरासर ढोंग है, इससे फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये तो कुछ मोटे सिद्धान्त होते हैं जिन पर अमल करना चाहिये। अन्न पैदा करने के लिये कुछ कैपिटल की जरूरत होती है। आपको चाहिये कि किसानों में अन्न पैदा करने के लिये उत्साह पैदा करें और उनमें इंसेंटिव होना चाहिये ताकि वे लगन के साथ काम करें। लेकिन आपकी नीति तो ऐसी मालूम होती है ताकि किसानों में कोई उत्साह ही न रहे। इस तरह से यह मानी हुई बात है कि आप देहातों को उजाड़ रहे हैं। यहां पर आप ४० एकड़ की सीमाबन्दी कर रहे हैं जब कि पहले से आपने १२ एकड़ की सीमाबन्दी कर रखी है कि भविष्य में कोई व्यक्ति १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकेगा। अगर मान लीजिये किसी के तीन बच्चे हुए, तो आपकी सीमाबन्दी की वजह से वह १३ एकड़ की अभिलाषा नहीं कर सकेगा। इस वास्ते इस वातावरण के अन्दर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना धन, दिमाग और परिश्रम लगायेगा इन देहातों के अन्दर जब कि उसे इस बात की आशा ही नहीं है कि आगे चल कर उसके बाल-बच्चे उसका फायदा पा सकेंगे। आप चाहते हैं कि बुद्धिमान लोग जो कि आज देहातों में बसे हुए हैं वे देहातों को छोड़ कर शहरों में आ जायं और वहां केवल अनपढ़ लोगों की जमात ही रह जाय जिनको आप जिस तरह से चाहें चलावें।

कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह से इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं। अगर आप आंकड़े ही देखें तो सन् ४९ से लेकर ५५ तक किसानों ने, जिनको तकावी दी गयी थी, उन्होंने ३ लाख एकड़ जमीन हर साल तोड़ी है लेकिन कायम रहे नागपुर कांग्रेस का प्रस्ताव और अवाडी कांग्रेस। जिस दिन से आपकी पार्टी ने घोषणा की कि हम अपने देश को समाजवादी ढांचे का बनाना चाहते हैं उसी दिन से यहां का नक्शा बदलता जा रहा है और तब से आज तक अगर देखा जाय तो केवल १९ हजार एकड़ जमीन ही प्रतिवर्ष तोड़ी जाती है। लोग एक तरह से आगाह हो गये कि जो समाजवादी ढांचा हमारे देश में आने वाला है वह क्या होगा। अगर ३ लाख एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष जमीन तोड़ी जाती रहती तो १० वर्ष के अन्दर ३० लाख एकड़ तक जमीन तोड़ी जा चुकी होती और जो दुर्दशा आप इस देश की करने जा रहे हैं उसकी नौबत नहीं आती। चौधरी साहब की किताब के ७५ पेज पर उन्होंने कहा है—"सरकार का यह निश्चित मत है कि अनिश्चय का वातावरण दूर करना चाहिए और भूमि पर अधिकार रखने वाले वर्गों को, चाहे वे छोटे किसान हों या बड़े, इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है।" तो फूड प्रोडक्शन के लिये इसकी आवश्यकता है।

आज आश्चर्य है कि दो वर्ष के अन्दर ही सरकार अपने मत को बदलने जा रही है। मैं जानता हूं कि उनके लिये पाबन्दी है, वे दलबन्दी के अन्दर हैं, उनको अपनी पार्टी के पाबन्दी का तथा उसके आदेशों का पालन करना होता है। लेकिन वे इस बात को याद रखें कि ८० फीसदी किसानों का वोट लेकर वे यहां आये हैं इसलिये उनका सबसे बड़ा कर्त्तव्य और धर्म यह है कि वे उन किसानों का खयाल रखें। यह नहीं कि एक पार्टी की विचारधाराओं को उनके सामने रख कर उन्हें अपना खुराक बना कर उनको हड़प जायं और हमारा देश लाल रंग में रंग जाय। अगर देखा जाय तो हमारे देश का नक्शा पहले का मौजूद है। सन् ४९ से लेकर ५५ तक हमारे देश में इतना ज्यादा गल्ला पैदा होने लगा था कि उस समय केवल .७ मिलियन टन

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

गल्ला बाहर से आने लगा था यानी केवल ७४ लाख मन गल्ला सन् ५१ में आया था। मगर अवाडी कांग्रेस के बाद और नागपुर प्रस्ताव के बाद फिर ४ लाख टन गल्ला बाहर से हर साल आने लगा। यही नहीं, बल्कि ५ वर्ष के लिये अमेरिका से हर साल साढ़े ४ लाख टन गल्ला लेने का मुआहिदा हो गया है। अब पता नहीं आप चीन से क्या लें, रूस से क्या लें और बर्मा से क्या लें, यह तो आप की हालत है। यह व्यवस्था अनाज की उपज बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि यह दूसरी व्यवस्था लाने की तैयारी की जा रही है।

कहा जाता है कि देश के और जनता के हित के लिये यह कानून लाया जा रहा है। अगर इसमें वाकई जनहित की बात होती तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी, अगर ऐसा होता तो सारे किसान इस पर कुरबान हो जाते लेकिन यह सब पार्टीबाजी की बात है और इसे सरकार की भूल ही कहना चाहिये। आज सब जनता इन चालों को जान गई है और अब वह समझती है कि उसका हित किस चीज में है। वास्तव में इस पर अगर किसानों की राय ली जाय तब ही पूरा अन्दाजा आपको हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अभी तो समाजवाद के आगाज का ही यह फल है, अभी दस साल में २ प्लान खत्म हुये हैं लेकिन अभी तक केवल ७६ पैसे प्रति व्यक्ति ही आय बढ़ी है और वह भी शहरों की बदौलत, अगर देहातों का ही हिसाब लगाया जाय तो वह घटी ही है। कहा जाता है कि हम समाजवाद का ढांचा बना रहे हैं और जनहित के लिये समाजवाद लाना चाहते हैं।

आज हम लोग बाहर से गल्ला मंगा रहे हैं लेकिन किसान के बारे में कहा जाता है कि जब छोटे किसानों के यहां ज्यादा पैदा होगा तो उसको ज्यादा लाभ होगा, इसलिए छोटे किसानों में जमीन बांटने से ज्यादा लाभ होगा। इस सम्बन्ध में डाक्टर बलजीत सिंह के आंकड़े भी दिये गये हैं। मैं भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। छोटे किसानों से जो गल्ला मण्डियों में आता है वह २.५ एकड़ से कम वाले किसानों का आता है, वह है प्रति एकड़ १२ और जो १० एकड़ से ऊपर के किसान हैं उनका १०.९ प्रति एकड़ गल्ला बाजार में आता है। अगर जनहित इसी में है कि देश के किसान को लाभ अधिक पहुंचे और अधिक गल्ला पैदा हो तो छोटे किसान से आपको गल्ला अधिक नहीं मिल सकता।

अब आप गल्ले के दामों को देखिये। वह भी जनहित की बात है, हम भी चाहते हैं कि दाम मुनासिब हों, ताकि हर वर्ग के लोग लाभ उठा सकें। सन ५५ में गल्ले के दाम बहुत सस्ते हुये और सन् ४९–५० तक दाम गिरे रहे लेकिन सन् ५० से जब से समाजवाद और भमि वितरण की बात चली तब से बराबर दाम बढ़ते ही चले जाते हैं। और आज दाम शिखर पर पहुंच रहे हैं चाहे सरकार जितना कंट्रोल करे। मार्केट में गल्ला नहीं आता, किसान घबराता है, उसने समझ लिया है कि न जाने कब खेती उसकी छिन जाय, उसने इन्टरेस्ट ही छोड़ दिया है। आज किसान जानकारी प्राप्त कर चुका है कि वास्तव में सरकार की नीयत क्या है। हमारे पास में भाई गेंदा सिंह जी बैठे हैं, मैंने रिपोर्ट में उनका नोट भी देखा। उनका कहना है कि देहात और शहरों की जो विषमता है वह कायम रहेगी, दूर नहीं हो सकती। मुझे तो पी० एस० पी० की मनोवृत्ति देखकर आश्चर्य हुआ। पहले हम समझते थे कि कांग्रेस के बाद उसका स्थान पी० एस० पी० लेगी लेकिन उसका भी मत है कि विषमता दूर न हो। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति की आय २५० रुपया प्रतिमास हो जाय वह देहात में खेती नहीं रख सकता। अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आपके यहां बड़े से बड़ा किसान ३०–४० एकड़ का रह जायगा, अगर किसी की आय अधिक हो गई या किसी ने नौकरी या रोजगार कर लिया या किसी को देहात की जिन्दगी से प्रेम है तो वह इस काबिल न रहा कि वहां रहे। किसी ने लड़के को पढ़ा लिया और खुदा न ख्वास्ता उसकी नौकरी लग गई तो वह सोचेगा कि अब तो खेती से हाथ धोना पड़ेगा।

ये जो पार्टीज हैं, हमें अफसोस है, दलबन्दी में और वोट के लालच में हैं। लेकिन वह भूल में हैं, किसान को लड्डू दिखा कर बच्चे की तरह बहलाना चाहते हैं। तो अब किसान

भी जान गया है कि उसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। चरण सिंह जी ने कहा है कि सरकार का निश्चित मत है कि भूमि वितरण से कोई लाभ इस देश और प्रदेश की जनता को नहीं होने जा रहा है। यह किताब के अन्दर है। अब किसान भी जान गया है कि यह सब ढोंग है, यह अधिनायकवाद कायम करने के लिये है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारे भाई गोविन्द सिंह जी भी बहक गये। सारी बातों पर तो सहमत हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वोट जब इसी पर मिलने वाले हैं तो हम भी उसे मानते हैं।

श्रीमती जी, मैं इन शब्दों द्वारा यह चाहूंगा कि इस बात को गम्भीरतापूर्वक सदन विचार करे। जो सीमा आरोपण विधेयक आ रहा है वह वास्तव में किसी का हित करने नहीं जा रहा है। जिस समय हमारे परम पूज्य बाबू जी ने भाषण दिया था और यादव जी के सम्बन्ध में आलोचना की थी तो हम लोगों को बड़ा सहारा हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को जानती है। लेकिन हमें दुःख है कि अनजाने में, भूल में या अवेश में आकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वयं माना है कि हम उद्देश्य से सहमत हैं। मैं समझता हूं कि वह ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिससे हमारा देश रसातल को पहुंच जाय।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं। मैंने अभी दो भाषण सुने। एक कम्युनिस्ट पर्टी के नेता का और एक स्वतंत्र पार्टी के नेता का। दोनों ने अपने अपने ढंग से इस विधेयक का विरोध किया। जहां तक स्वतन्त्र पार्टी की बात है, उनको जो आशंका है वह कुछ माने में सही हो सकती है। लेकिन जहां तक उन्होंने छोटे-छोटे किसानों की बात कही, मैं समझता हूं कि वह निराधार है, क्योंकि वह भी इस बात को समझते हैं कि ४० एकड़ की सीमा के निर्धारण से जिसको इस प्रदेश का किसान कहते हैं उसको यह बिल छूने वाला नहीं है। हां, जो पहले जमाने के ताल्लुकेदार वगैरह हैं जिन्होंने अपने नाम में लम्बी चौड़ी सीरें बना रखी हैं उन पर जरूर असर पड़ेगा।

वह चाहते हैं कि किसानों का नाम लेकर उसकी आड़ में अपने हितों की बात को रखा जाय। अगर वह यह कहते तो समझ में आता कि ढाई लाख एकड़ से कितने लोगों की जिन्दगी सम्हलेगी। वह दलील तो ठीक थी। मैं मानता हूं कि ढाई लाख एकड़ के बांटने से कोई बहुत बड़ी क्रान्ति होने वाली नहीं है। मैं तो इस मत का भी नहीं हूं, जैसा कि दूसरी पार्टी कहती है, पी० एस० पी० भी कहती आई है कि भूमि का बटवारा कीजिये। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी भूमि पर इतना प्रेशर है कि केवल इसके बांटने से ही कुछ सुधार होने वाला नहीं है। हमको इस प्रदेश का औद्योगीकरण करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इकानामी कभी भी बहुत ज्यादा समृद्धिशाली नहीं होती है। दो वक्त खाना दे सकती है मगर विशेष उन्नति नहीं कर सकती है। यह एक दूसरी बात है। लेकिन जितनी जमीन हमको मिल सकती है उसका बटवारा होना चाहिए, यह अपनी जगह पर सही है।

कम्युनिस्ट पार्टी के भाई ने कहा कि प्लानिंग कमीशन ने जो बातें कही हैं, जो सीमायें रखी हैं हम उससे हट गये। मैं उनसे इत्तफ़ाक नहीं करता हूं। अगर वह देखें तो पायेंगे कि यह प्रदेश कुछ माने में प्लानिंग कमीशन की बातों से आगे बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर प्लानिंग कमीशन ने इस बात की कोशिश की कि हमारे प्रदेश के अन्दर भी, जैसा और प्रदेशों में हुआ है जिनकी मिसाल मेरे साथी ने दी कि राजस्थान आदि में जो शुगर फैक्ट्रीज या मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं उनको सीलिंग से एग्जेम्प्ट किया गया। लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया। मैं समझता हूं यह कदम प्लानिंग कमीशन की बात से आगे गया है।

अच्छा यह होता यदि इसके अन्दर दो कैटेगरीज बना दी जातीं। कुछ तो वह लोग जिन्होंने एक जमाने से जमीन का इस्तेमाल किया है और दूसरे वह लोग जिन्होंने सरकार की प्रेरणा पर जमीनों को तोड़ा। मेरा संकेत स्पष्ट तौर पर तराई फार्म्स से है। सरकार

[श्री नवलकिशोर]

के कहने पर, उसके वायदे पर कुछ लोगों ने जमीन को तोड़ा और उसमें पैसा लगाया। और यह बात सही है कि आज तक उन्हें उसका रिटर्न नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार को उस वायदे की सेंक्टिटी का कुछ ध्यान रखना है तो उन फार्म्स के लिये एक्सेप्शन करना पड़ेगा। मुझे खेद है कि इस विधेयक में इस सम्बन्ध में ज्यादा स्पष्ट नहीं है, यह प्रोवीजन जरूर किया है कि उन फार्मों के लिये मैनेजर्स वगैरह नियुक्त किये जायंगे लेकिन उसकी कोई रूपरेखा नहीं बतायी है। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि वह क्या रूपरेखा होगी और फार्मों को क्या फ़ायदा होगा, या नहीं होगा। यह मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन सरकार से इतना अवश्य कहना है कि तराई में जो फ़ार्म्स हैं जिनको शरणार्थियों ने, जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये थे, उनके पास जो कुछ थोड़ी-बहुत पूंजी थी उसको सरकार के कहने पर लगा दिया, उन फार्मों के विषय में सरकार को दोबारा ध्यान देना चाहिये। उनके लिये जो भी सहूलियतें दे सकें दें। मैं यह नहीं कहता कि उसका बटवारा न कीजिये, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि उन्होंने हमारे वायदे पर जो पैसा लगाया था वह उनका वापस हो जाय, उसके बाद जो हमारा कानून है वह वहां भी लागू कर लिया जाय।

मेरे साथी ने एक बात और बतायी कि ४०, ६०, ८० एकड़, इस तरह की तीन जमीनों की सीमाएं हो जायंगी। मैं समझता हूं यह भी एक न्यायसंगत बात है। अगर एक अच्छी जमीन है, एक आदमी ४० एकड़ जोतता है तो जो कम अच्छी जमीन है स्वाभाविक है कि उसकी संख्या डेढ़ गुनी होनी चाहिये इसलिये ६० एकड़ रख दी गई है और जो उससे भी कमजोर जमीन है उसकी संख्या ८० एकड़ रख दी गई है। तो मैं समझता हूं यह उचित ही है। मेरे एक साथी ने यह भी कहा कि जमीन मिलने वाली नहीं है बांटने को, तो यह बात उनकी इसलिये कट जाती है कि अगर ऐसा होता तो वह लोग जिनके पास जमीन है उनको कोई शिकायत न होती बल्कि वह मंत्री जी को बधाई देते कि उन्होंने ऐसा विधेयक बनाया है कि कोई जमीन भी नहीं बंटेगी और किसी को नुकसान भी नहीं होगा और सीलिंग भी हो जायगी। लेकिन जिस ढंग से इसका विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ा अन्याय हो रहा है और एक ही समुदाय के लोगों को मिटाने की बात की जा रही है तो इससे साफ जाहिर है कि हमको जमीन अवश्य मिलेगी, चाहे जितनी भी मिले।

मेरे एक भाई ने कहा कि हमको सीमायें कम करनी चाहिये। उन्होंने कहा १ बीघा २० मन, २० बीघा २० मन, यह हमारे कम्युनिस्ट भाई ने कहा है। अगर किसान चाहे और भूमि का मालिक उसको बना दिया जाये तब वह एक बीघा में भी उतना ही उत्पादन कर सकते हैं जितना २० बीघा में। अगर इसको सही मानें तो उनके हिसाब से ३६ फीसदी इंसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन एक एकड़ से कम है उनको तो जमीन का मालिक बना ही दिया गया है। तब फिर इस हिसाब से उन लोगों को एक एकड़ में उतना ही अन्न पैदा करना चाहिये जितना दूसरे २० एकड़ में पैदा करते हैं। इसलिये यदि सीमा ४० एकड़ से नीचे भी कर दी जाय तब भी उसकी स्थिति में बड़ी भारी क्रांति होने वाली नहीं है। भूमि के संबंध में आप जानते हैं कि कितने ही कानून पेश किये गये, बहुत से सुधार किये, संशोधन किये लेकिन जितनी हम आशा करते थे उतना सुधार नहीं हुआ। अलावा जमीन के कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको करना आवश्यक है तभी हम किसान की आर्थिक स्थिति का सुधार कर सकते हैं।

इस संबंध में एक बात और कहनी है, वह यह कि जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं वहां मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो हमारी नीति रही है, उसके अन्दर कुछ थोड़ा सा डिस-क्रिमिनेशन रहा है, वह रहा है देहात व शहर के अन्दर। अभी तक हमने समाजवाद के जितने एक्सपरीमेंट्स किये हैं वे सब देहात की आमदनी पर किये हैं, शहर की आमदनी पर बहुत कम किये हैं। मैं देखता हूं कि यह विधेयक बहुत अच्छा है। इसके स्वागत के साथ मैं यह भी चाहता हूं कि प्रादेशिक सरकार एक दूसरा विधेयक लाये और व्यक्तिगत आमदनी पर सीमा निर्धारित करे। जो शहर के रहने वाले उद्योगपति हैं उनकी आमदनी पर भी एक सीमा बंधनी चाहिये।

मेरे उन साथियों की शिकायत जो राजा महाराजा व जमींदार थे सही मालूम होती है। आपने एक वर्ग को तो बराबर कसना शुरू किया, जब कि उन्हीं के मुकाबले में एक दूसरा वर्ग उद्योगपति का है जिसको उतना नहीं कसा जाता। उन पर टैक्स लगाया गया। सही बात है कि टैक्स लगा लेकिन बड़े बड़े समाजवादी जानते है कि टैक्सेशन से समाजवाद नहीं बनता है। भूमि पर सीमा निर्धारित होनी चाहिये पर साथ ही व्यक्तियों की आमदनी पर भी सीमा निर्धारण होनी चाहिये। अगर ऐसा हो जायगा तो फिर किसी को ज्यादा शिकायत का मौका नहीं रहेगा।

विनोबा जी का नाम लिया गया। मुझे खुशी हुई कि इस संबंध में हमारे कम्युनिस्ट भाई ने विनोबा जी का नाम लिया और जो कुछ उन्होंने प्रयत्न किये हैं भूमि के संबंध में उनकी प्रशंसा की। अब तक जो भी कम्युनिस्ट अखबार मैंने पढ़े वह न जाने कौन कौन से ऐडजेक्टिव्स संत विनोबा जी के लिये इस्तेमाल किया करते थे। यहां तक कहा गया कि उनका भूदान का कदम बड़ा प्रतिक्रियावादी है। उनको समझ आई, उसके लिये मैं कम्युनिस्ट पार्टी को बधाई देता हूं।

एक शिकायत यह भी की गयी कि बजाय १५ अगस्त के २० अगस्त क्यों कर दिया। मैं कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहता। मगर मुझे ऐसा बताया गया कि कानूनी सलाह यह दी गयी कि चूंकि इस कानून को २० तारीख को हाउस में पेश किया गया, इसलिये कानूनी तरीके से कोई बात पैदा न हो, इसलिये १५ के बजाय २० कर दिया गया है। १५ तारीख भी हो सकती थी लेकिन इसके पीछे कोई मोटिव हो सरकार का ऐसा मैं नहीं मानता।

एक चीज पर और बड़ा जोर दिया गया कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाओ और सरकार दूसरी ओर सीलिंग इतनी ऊंची रखे हुए है। तो दोनों चीजों में एक कंट्रास्ट है। मगर मैं यह नहीं मानता क्योंकि अधिक भूमि होने पर उत्पादन उसके अनुपात में घटने लगता है और सीमा यदि बहुत कम होती है तो ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं होती। इसलिये बीच की सीमा होना उचित है। तो यह जो विधेयक है इन सब बातों को देखते हुए उचित ही है।

श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं भीखालाल और सीताराम जी शुक्ल के प्रस्तावों का विरोध करता हूं, सीताराम जी को तो समझने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है कि किस उद्देश्य से उन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा। लेकिन माननीय भीखा लाल जी के प्रस्ताव को देख कर कि यह प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजा जाय देख कर कुछ आश्चर्य हुआ। माननीय भीखा लाल जी ने स्वतः इस बात को स्वीकार किया कि हमने बड़ी भारी भूल की पिछली मर्तबा जब इस प्रकार का विधेयक इस सदन में आया था तो उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव कर दिया। दो रायें इसमें नहीं हैं। सिलेक्ट कमेटी में जाकर जैसी इस विधेयक की दुर्गति हुई है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। अभी कई दिन इस बिल पर बहस होने वाली है।

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

मैं समझता हूं कि इस पर इस वक्त मैं ज्यादा रोशनी न डालूं तो अच्छा है। तो फिर मैं माननीय भीखालाल जी से यह प्रश्न कर सकता हूं कि इस कहावत को कभी उन्होंने सुना है या नहीं कि जानबूझ कर बैल गड्ढे में नहीं गिरता है। जिस पार्टी से उनका संबंध है उस पार्टी का मस्तिष्क कुछ ज्यादा विकसित माना जाता है ऐसा वे लोग मानते हैं, वैज्ञानिक सूझ बूझ उनकी ज्यादा होती है। मैं उम्मीद करता था कि वे ऐसी गलती नहीं करेंगे कि इस विधेयक को फिर प्रवर समिति में भेजा जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रजीत यादव--जनमत के लिये है ।

श्री गेंदासिंह--ठीक है, जनमत के लिये सही । इसके अलावा जो इस सदन में बार बार १५ और २० अगस्त की बात उठायी गयी वह हमारे सामने है । २० अगस्त से सरकार ने इस विधेयक को लागू करने के लिये क्यों जोर दिया ? मैं समझता हूं कि भीखालाल जी और मेरी तो यह पक्की राय है कि १५ और २० अगस्त के बीच में कुछ ऐसे लोगों की जमीन का स्थानान्तरण हुआ होगा जिनके प्रभाव से यह सरकार बरी नहीं हो सकती । इसके अलावा कोई दूसरा कारण हो नहीं सकता । माल मंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं । उन्होंने जो दलील इस बारे में दी, ऐसी लचर दलील देते हुए मैंने उनको कम सुना है जिसके बारे में उनको खुद भी विश्वास नहीं था कि कोई उस दलील को मानेगा । हम लोगों की बात न सुनने के लिये वे सदन से उठ कर चले गये । खैर, अगर १५ अगस्त से लागू न करने का फैसला किया तो ठीक किया । तो १५ अगस्त से पहले से कर देते । ऐसा भी तो संशोधन आ सकता था ? १५ अगस्त के पवित्र दिन से अगर यह सरकार सीलिंग का लागू करना अपवित्र समझती है तो माननीय भीखा लाल जी का प्रस्ताव है कि पहली जनवरी, १९५९ से कर दिया जाय । अगर ऐसा कर दिया जाय तो जो हमारा संदेह है वह मजबूत न हो ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर जनमत के लिये भी यह बिल जाय तो क्या होगा । जो तहसीलों के कागजात में फर्जी इन्दराज कराये जा रहे हैं वह अगले ३-४ महीने तक माननीय भीखा लाल जी या हम रोक नहीं सकते । और वह फर्जी इन्दराज कोई ऐसे लोगों के नहीं हो रहे हैं जिनसे हमारी कोई हमदर्दी है बल्कि ऐसे लोग करा रहे हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है। इसलिये मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी यह अनिश्चित अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें रिश्वतखोरी जोरों से बढ़ी हो और जिसमें सरकारी कागजात के इन्दराज बिगाड़े जा रहे हों, खत्म की जाय उतना ही अच्छा है । तो इसलिये भी माननीय भीखालाल जी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये जिससे इस बिल के पास होने में कोई देर लग सके ।

माननीय भीखालाल जी ने कहा कि इस बिल से जमीन तो नहीं मिलने वाली है । मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बिल से किसी भूमिहीन को जमीन मिलने वाली नहीं है । इस बिल में इतने लूपहोल्स हैं कि उन पर चर्चा करने का समय नहीं है । लेकिन मैं आप से कहता हूं और विमति टिप्पणी में मैंने इसका थोड़ा सा संकेत भी किया है कि इस बिल के ऐक्ट हो जाने के बाद अगले एक दो वर्ष तक मुकदमेबाजी खूब होगी और जो दुर्गति किसानों की हुई है वह आगे भी होगी । मुझे खुशी है कि माल मंत्री जी आ गये । यह मेरा बड़ा भाग्य है कि आप मेरी बात सुनने के लिये आ गये । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में एक मिनट की भी देर न की जाय और कम से कम जितना समय लिया जा सके लिया जाय और जितना समय हम ले रहे हैं उसमें भी हम समझते हैं कि हम सनकी की तरह से काम कर रहे हैं । हम प्रोडक्टिव लेबर करना चाहते हैं। यह ऐसी रस्साकसी है जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि खानापूरी की जाय । इसके सिवाय और कोई बात नहीं है । प्लानिंग कमीशन के हुक्म की तामील की जा रही है, यह नहीं कि किस उद्देश्य से हुक्म दिया है । इस लिये मेरी राय पक्की है और मैं अपने साथी भीखालाल जी से आग्रह करता हूं कि वह इसको सोचें और जनमत इस सीलिंग के प्रश्न पर जैसा कि राजा साहब कह रहे हैं, उस राय का नहीं है ।

उन्होंने मेरे ऊपर यह इल्जाम लगा दिया कि मैं तो शहरों और देहातों में विषमता कायम रखने के पक्ष में हूं । मैंने तो इतना लिखा है कि शुरुआत समाजवाद की होगी और विषमता दूर करने की शुरुआत गांवों से होगी । मैं राजा साहब की याददाश्त पर जोर डालना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज को नहीं पढ़ा है जो आखिर में मैंने लिखा है जिसका थोड़ा-सा संबंध उनसे है । मैं आप से कहूं कि जिस समय जमींदारी विनाश का प्रस्ताव आया था इस हाउस में, उस समय वह भी इसके पक्ष में थे । उस समय इधर के बैठने वाले लोग विरोध कर रहे थे । लेकिन

एक प्रस्ताव आया और सर्व सम्मति से पास हुआ और राजा साहब भी पास करने वालों में से थे। वह प्रस्ताव यह है कि—

"इस असेम्बली का यह मत है कि समाज कल्याण के लिये पूंजीवाद का उसके सभी रूपों में अन्त अनिवार्य है और उसे यह विश्वास है कि उत्पादन, विनिमय और वितरण के मुख्य साधनों का समाजकरण करने के लिये यथासंभव शीघ्र से शीघ्र कार्यवाहियां की जायंगी।"

श्रीमन्, मैं राजा साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने थोड़े दिन हुए कांग्रेस छोड़ी है और जब तक वह रहे हैं तब तक इसको कार्यान्वित करने के लिये एक लफ्ज भी इस हाउस में या कांग्रेस के भीतर कही हो तो मैं हार मान लूंगा। वह कांग्रेस में एक मजबूत खंभे की तरह से रहे हैं और पता नहीं किस लिये यह प्रस्ताव पास किया गया जब कि इसको जितनी गहराई से गाड़ा जा सकता था उसके लिये कोशिश की गई। मैं उन मेम्बरों में से था कि मैंने प्लानिंग बोर्ड में रखा कि शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाय। मैं यहां कहना चाहता हूं कि राजा साहब हमारे मददगार नहीं हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले वह पूरी बात समझ लें, फिर जो चाहें कहें।

इससे जमीन बंटने वाली नहीं है। जो उद्देश्य रखा गया है उससे यह उल्टा जा रहा है। इसकी अच्छी रूपरेखा बन नहीं सकती है और समय बरबाद कर सकते हैं। तो न तो तीन महीने के लिए गांवों में घुमाने के लिये इसे जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस तरह का विधेयक पास करके मुंह में कोई चन्दन नहीं लगेगा। लिहाजा इसको जल्दी से जल्दी पास कर दीजिये। अगर ड्राप कर देने का कोई प्रस्ताव आता तो मैं स्वागत करता। यह विधेयक ऐसा नहीं है जिस पर मेहनत की जाय। लेकिन इसको सुधारना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। ऐसी हालत में हमारी मजबूरी है। लिहाजा इस विधेयक पर जो विचार होना है वह हो जाय और सारा देश समझ ले कि सरकार का यह आखिरी कदम है ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का। माननीय राजा साहब, माननीय भीखा लाल और सारे माननीय सदस्यों को इस सरकार के कारनामे जनता के सामने रखने का मौका मिल जाय और जितनी जल्दी मौका मिल जाय उतना अच्छा है। इसलिये मैं इन प्रस्तावों का विरोध करता हूं और माननीय माल मंत्री जी के उन सारे विचारों से जो उन्होंने रखे हैं विरोध प्रकट करता हूं। उनके विरुद्ध मेरे पास दलीलें है लेकिन इस वक्त नहीं दूंगा। समय आने पर उनका उत्तर दूंगा।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—मेरा नाम लिया गया, इस लिए मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्रीमान् जी, मेरा नाम बहुत जोरों से लिया गया और कहा गया कि मैं कांग्रेस दल में रहा। अवश्य जब तक रहा सक्रिय रहा। मेरे अलग होने का एक मुख्य कारण यह था कि जो समाजवाद के प्रयोग हो रहे हैं वह निरन्तर देहात की ओर हो रहे हैं, शहर की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। यह तो शिकायत भाई गेंदा सिंह जी को भी है। उन्होंने लिखा है कि "शहरी आय के अनुपात में ग्रामीण आय को रखने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। परन्तु यह निर्विवाद है कि ग्रामीण आय शहरी आय के मुकाबले में बहुत काफी दिनों तक कम रहेगी"। अगर वह सक्रिय होते तो सदन के अन्दर प्रस्ताव ला सकते थे कि यह ३ हजार की सीमा आ रही है, इसको शहरी और देहाती दोनों क्षेत्र में लागू किया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ पर संयुक्त प्रवर समिति का जो प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भीखा लाल जी ने अभी सदन के सम्मुख एक संशोधन प्रस्ताव रखा है कि इस प्रतिवेदन को तीन महीने के लिये जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाय जिस का समर्थन माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी ने भी किया है। प्रस्तावक और समर्थकों के विचारों में ३ और ६ अर्थात् जमीन और आसमान का अन्तर है। जहां प्रस्तावक महोदय विधेयक

[श्री जगन्नाथ लहरी]

में जो अधिकतम जोत की हदबन्दी की गयी है, उसको कम करने की मांग कर रहे थे और शीघ्रातिशीघ्र इसे पास कराने के इच्छुक थे वहां उनके समर्थक राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी का कहना था कि यह किसानों के साथ क्रूर परिहास है और ज्यादती है। इसके प्रस्तावक और समर्थकों में इस प्रकार का मतभेद जो अभी सदन के सम्मुख आया स्वयं इस बात को सिद्ध करता है कि सिर्फ समय को टालने के लिये ही संशोधन के प्रस्ताव और समर्थन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि प्रगति के पथ पर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी की रफ्तार एक सी नहीं होती है। विभिन्न पार्टियों और विभिन्न व्यक्तियों की प्रगति के पथ पर चलने की रफ्तार में भिन्नता होती है। तो यह बात निश्चित है कि यदि आज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, यदि उसकी सरकार होती, तो यह सीमा आरोपण विधेयक किसी दूसरे रूप में आता और बहुत संभव है कि कांग्रेसी सरकार ने जो ४० एकड़ की हदबन्दी कायम की है वह जैसा कि कम्युनिस्ट सदस्यों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए जो टिप्पणी रखी है जिसमें २० एकड़ की मांग रखी है, शायद उस सीमा को वह रखते। समाजवादी सदस्य ३० एकड़ की सीमा रखते। लेकिन आज कांग्रेसी सरकार ने ४० एकड़ की सीमा रखी है। इस संबंध में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि यह हदबन्दी अन्तिम और स्थायी हल नहीं है। समय को देखते हुए कानून में आवश्यकतानुसार संशोधन होता ही रहता है। हम लोगों ने भी जो यहां उपस्थित हैं, अनेक कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये हैं।

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून, १९५० जो कि हमारे इस प्रदेश में २ जुलाई, सन् ५२ से लागू हुआ उसकी धारा १५४ में भी नये जोतों के लिये हदबन्दी का उल्लेख है। जिस समय वह विधेयक बनाया गया था उस समय इस प्रदेश में उस कानून की धारा १५४ में नये जोतों के लिये हदबन्दी ३० एकड़ नियत की गई थी। लेकिन सितम्बर, सन् ५८ में इस सदन ने जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून में एक संशोधन किया तथा धारा १५४ की उस हदबन्दी को जो पहले ३० एकड़ निश्चित की गई थी घटाकर साढ़े बारह एकड़ कर दिया। तो मेरा तो कहना यह है कि समय की आवश्यकता देखते हुए और जैसी भी सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होगी वह अपनी रीति-नीति के अनुसार हमेशा कानून में परिवर्तन करेगी। इसलिये यह कहा जाय कि इस प्रदेश के लिये यह ४० एकड़ की जो सीमा निश्चित की गई है यह एक अन्तिम निश्चित सीमा है, यह कहना उचित नहीं है। समय समय पर इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन होगा। इसलिये आज इस प्रदेश की सरकार ने अपनी सूझबूझ और रीति नीति के अनुसार जैसा उचित समझा है, यह भूमि हदबन्दी का विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया है।

कुछ भाइयों ने कहा कि इससे भूमिहीनों की समस्या हल नहीं होगी। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि सीमा को आप ४० एकड़ से, ३० एकड़, २० एकड़ या १५ एकड़ या इससे भी कम कर दीजिये, तो भी आप उससे इस प्रदेश के भूमिहीनों या अर्ध-भूमिहीनों की समस्या को हल नहीं कर सकते। आपने इसी सप्ताह के समाचार पत्र में पढ़ा होगा—विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसके मुताबिक अगामी कुछ वर्षों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस प्रदेश की आबादी कम से कम १० करोड़ हो जायगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी इस प्रदेश की आबादी साढ़े सात करोड़ होगी। जब इस प्रदेश की आबादी इस तीव्रगति से बढ़ती चली जा रही है, तब जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, मनुष्यों की संख्या में भूमिहीनों की और अर्द्धभूमिहीनों की संख्या भी बढ़ती चली जायगी। आबादी के अनुपात से इस भूमि को तो रबर की तरह खींच कर लम्बा नहीं किया जा सकता है। प्रदेश की जमीन बेकार पड़ी हुई है, खार है या खड्ड है या बन्जर है, उसको सरकार उपजाऊ बनाकर कृषि योग्य भले ही बना ले लेकिन आबादी जिस अनुपात में इस प्रदेश में बढ़ रही है भूमिहीनों की समस्या सदैव बनी रहेगी। इसलिये आज का हदबन्दी का निश्चय अन्तिम हल नहीं माना जा सकता है, चाहे आप जो सीमा उसके लिये निश्चित कर लीजिए।

मेरा कहना यह है कि अभी राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी ने बड़े फख्र के साथ यह कहा कि यह कांग्रेसी सरकार, जो कानून को पेश करने के लिये जा रही है, वह अपनी पार्टी का एक रूसी समाजवाद इस प्रदेश में कायम करना चाहती है। उसके मुताबिक ही वह यह कानून पास करने जा रही है। इससे भूमिहीनों की समस्या हल नहीं करना चाहती है और जनहित के लिये यह कानून पास करने नहीं जा रही है बल्कि सरकार रूसी समाजवाद के ढंग का समाजवाद इस प्रदेश में कायम करने जा रही है और उसी समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ही यह सीमा आरोपण विधयक प्रस्तुत किया गया है। इस बात में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने समाजवाद अपना लक्ष्य घोषित कर दिया है। कांग्रेस सरकार का लक्ष्य समाजवादी लक्ष्य है लेकिन वह समाजवाद रूसी या चीन का समाजवाद नहीं है।

हमारे इस प्रदेश का समाजवाद कुछ भिन्न है। महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर इस समाजवाद की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अतः रूसी समाजवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता जब कि यह कहा जाता है कि सरकार का लक्ष्य समाजवादी है तो उसे समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करने ही पड़ेंगे। इसलिये आज समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भूमिहीनों के लिये जमीन का बटवारा करने के लिये यह सीमा आरोपण विधेयक जो आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। कुछ भाइयों ने यह कहा है कि यह विधयक जो प्रस्तुत है इसमें यह नहीं लिखा है कि भूमिहीनों में भूमि वितरित की जायगी। इसमें लिखा है कि जो भूमि मिलेगी, भूमिहीनों की सहकारी समिति के द्वारा उसका प्रबन्ध कराया जायगा।

जिस समय नागपुर में कांग्रेसी अधिवेशन में यह भूमि सीमा सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया था उस समय सहकारी खेती का भी प्रस्ताव पास किया गया था। इसी कारण से इसमें यह बात कही गई है कि भूमिहीनों को, जो भूमि वितरित की जायगी, सहकारी समिति के द्वारा उसका प्रबन्ध कराया जायगा और उसमें एक भूमिहीन को इतनी भूमि मिलेगी कि जो ३ १/८ एकड़ से अधिक प्रति व्यक्ति न पड़े। भूमिहीनों को भूमि बांटने के बाद सहकारी ढंग से खेती करने के लिये उनसे कहा जायगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि १५ अगस्त के बजाय इसमें २० अगस्त रख दिया गया है। मैं यह कहता हूँ कि २० अगस्त, १९५९ को इस सदन के सम्मुख वह सीमा आरोपण विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जब कि यह विधेयक १५ अगस्त को इस सदन के सामने नहीं आया तो वह तिथि कैसे रखी जा सकती थी। जब यह विधेयक इस सदन में मौजूद ही नहीं था तो वह तिथि कैसे रखी जा सकती है? इस वजह से २० अगस्त, १९५९ रखा गया। जब इसके अन्दर १५ अगस्त की बात रखी गई थी कि तब तक के बटवारे जायज माने जायेंगे तो उसके ऊपर प्रवर समिति में विचार किया गया और प्रवर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जिस दिन इस सदन की मेज पर यह विधेयक रखा गया उससे पूर्व की तिथि रखना सदन के लिये उचित नहीं होगा। इसलिये उन्होंने २० अगस्त, ५९ की तिथि रखी। इन शब्दों के साथ में इस प्रतिवेदन का समर्थन करता हूँ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि इस विधेयक को पुनः उसी कमेटी के सुपुर्द किया जाय। इस सिलसिले में यहां पर कुछ बातें कही गईं, हमारे दोस्त ठाकुर साहब ने कहा कि १५ अगस्त के स्थान पर २० रख दिया गया है लेकिन वह तारीख बहुत पवित्र थी। अब उसकी अहमियत नहीं रह गई है....

श्री हुकुमसिंह बिसेन—यह मैंने नहीं कहा। उसकी अहमियत जितनी पहले थी वही अब भी है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—उन्होंने ठीक नहीं समझा कि उसी तारीख को रहने दें। उन्होंने उसको बदल दिया यह समझकर कि जो ट्रांसफर १५ और २० के बीच में होंगे वे सभी

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

नल एन्ड व्वायड (Null and Void) हो जायेंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि २७ तारीख को गजट हुआ, असेम्बली में पास होने का, तो क्या वह उस तारीख का सफीशिएन्ट नोटिस माना जायगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि नोटिस सफीशिएन्ट नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार यह कहती है कि अगर कोई ट्रांसफर इस तारीख के बाद होगा तो वह जायज नहीं माना जायगा। मेरी समझ में तो उनकी यह बात आयी नहीं। मैं कहता हूं कि अगर किसी आदमी के पास ६० एकड़ जमीन है और उसमें से वह ३० एकड़ उस तारीख के बाद बेंच डालता है तो क्या उस बेची हुई बाकी जमीन में से आप उससे २० एकड़ जमीन लेंगे ? उसके बाद क्या उसकी सीमा निर्धारित की जायगी, और किस तरह से आप करेंगे ? फिर अगर वह अपनी पूरी जमीन बेंच डालता है, तो उस समय आप क्या करेंगे? ६० एकड़ बेच डालता है, तब तो उसके पास कुछ जमीन नहीं बचेगी, फिर कैसे सीमा निर्धारित होगी और आपको किस तरह जमीन मिलेगी ? इस पर भी क्या माननीय मन्त्री जी ने गौर किया है ?

दूसरे यह कि माननीय मन्त्री जी ने अपने विधेयक में इन ट्रान्सफरों को भी माना है कि यह सीलिंग की हद के बाहर नहीं माने जायेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अन्यत्र बिल में यह भी कहा गया है कि सीलिंग के अलावा अतिरिक्त जमीन सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायगी। मैं तो यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो तकरीरें होती हैं उन पर वे कुछ ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वह पीठ उधर कर के बैठते हैं। तो मेरी नाकिस राय में इनके इस विधेयक को पढ़कर सन्देह पैदा होता है। मैंने उधर बैठने वाले वकील दोस्तों से बहस की, इस सम्बन्ध में राय जानने की कोशिश की और उनकी भी यही राय है कि वह ट्रान्सफर्स नल एन्ड व्वायड हो जायंगे।

दूसरी बात श्रीमन्, आप देखें कि यह प्रस्ताव जनवरी, सन् १९५९ में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से पास किया गया था। अगर सरकार चाहती कि प्रान्तीय सरकारें नेहरू जी के वचन को पूरा करें तो इस सम्बन्ध में उसी समय यह नोटिस निकाल सकती थी। कम से कम उसे गजट में प्रकाशित कर सकती थी। उसके लिये वह एक आर्डिनेन्स भी ला सकती थी। अगर यह होता तो वह सफीशिएन्ट होता। लेकिन चूंकि सरकार की यह मन्शा नहीं थी। मैंने उधर के बैठने वाले सदस्यों से यह भी सुना कि उनको यह बताया गया कि ऐसा बिल आने वाला है, तुम लोग अपनी जमीन का बटवारा कर लो, अपना-अपना कुछ इन्तजाम पहले ही कर लो। यह बात मेरे उधर के मित्रों ने कही हैं कि मन्त्री जी उनसे ऐसा कहते थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्वेश्चन, क्वेश्चन।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, हम सिद्धान्त रूप में इस बात का समर्थन करते हैं कि सीमा निर्धारित होनी चाहिये, हर आदमी को जीने का हक है। हम यह पसन्द नहीं करते कि किसी के पास तो हजारों एकड़ जमीन है और कोई दाने-दाने के लिये तरसता हो। जो बेचारा भूमिहीन खेतिहर मजदूर है जोकि काम कर सकता है, वे खाली पड़े हुये हैं लेकिन जमीन कमाने को नहीं है, उसको क्या फायदा होगा ? बसुन्धरा पर तो सब का समान हक है, यह हम मानते हैं। तो १५ और २० अगस्त के अलावा अब सीलिंग कितनी हो यह सवाल है। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसकी नुमाइन्दा होने का यह सरकार दावा करती है, उसकी कांग्रेस ऐग्रेरियन कमेटी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि सवा ६ एकड़ ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिये। माननीय चरण सिंह जो आपके पहले गद्दी पर बैठते थे उसके मेम्बर थे। शायद हुकुमसिंह जी भी थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—आप शायद न रहे हों।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप ऐसी ही गलत बातें कह दिया करते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—आपकी सूरत को देखकर गलत बात याद आती है। तो इसमें पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त थे। उनके लिये भी कह दीजिये कि वह नहीं थे। तो सरकार के काफी आदमी थे और उसी के आधार पर यह जमीन्दारी अबालीशन ऐक्ट भी आया था जिसमें यह था कि सवा ६ एकड़ लाभकर जोत होगी और ज्यादा से ज्यादा साढ़े ६ एकड़ पश्चिमी जिलों में हो। बुंदेलखंड का माननीय मन्त्री जी ने अभी जिक्र किया है। इस सब का एवरेज अगर देखा जाय तो लाभकर जोत यू० पी० में १० एकड़ होगी। तो उन्हीं के कहने के अनुसार, इन्हीं की मान्यताओं के अनुसार ३० एकड़ ज्यादा से ज्यादा सीलिंग होनी चाहिये थी। इस थर्ड फाइव ईयर प्लान में भी इसी तरह की बात आई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह बात कही गई।

अब अन्य प्रान्तों में, पेप्सू में, वेस्ट बंगाल में जहां जमीन यहां से काफी जरखेज है सीलिंग ३० एकड़ और २० एकड़ रखी गयी है। केरल में जिसको अक्सर हमारी सरकार गाली देती है लेकिन जो उनकी अच्छी बातें हैं उनकी तो तारीफ होनी चाहिये। वहां १५ एकड़ रखी गयी है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ३० एकड़ से ४० एकड़ करते हैं और ४० एकड़ को भी हम १२८ एकड़ तक पहुंचा देते हैं। जब सीलिंग कम रखी गयी थी तो सरकार का खयाल था कि ७ लाख एकड़ अच्छी जमीन मिलेगी और २० लाख एकड़ परती मिलेगी। आज जब मैंने अर्ज किया कि कितनी जमीन दे सकते हैं तो कहते हैं कि एक बिस्वा मिले बगैर भी सीलिंग ४० एकड़ करेंगे जरूर। उनको स्वयं विश्वास नहीं है कि मिलेगी भी कुछ। क्योंकि इतना लैटिट्यूड दे दिया गया, इतना मौका दे दिया गया।

यह कहा गया कि यह कानून कुमायूं और तराई भावर पर लागू नहीं होगा। कुमायूं के जितने प्रतिनिधि हैं सबकी एक स्वर में मांग है कि आपने ४० एकड़ रखी है तो कुमायूं के लिये २० एकड़ रखिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुमायूं में लग गया जो लगना था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—बहुमत के बल पर आप जो चाहें कर सकते हैं। जो अच्छी चीज है उसे आप नहीं लगायेंगे। हम इस बात के लिये तैयार हैं कि जो मोटा असामी है जिसके पास २० एकड़ से ज्यादा जमीन है वह ले लीजिये, इसके लिये अगर जरूरत हो तो हम कांस्टीट्यूशन में तरमीम करने का भी स्वागत करेंगे। आज ८०–८० गुना लिया गया है। जब कुमायूं जमीन्दारी अबालीशन ऐक्ट लाया गया और जो आपके मुखारबिन्द से बातें निकली वहां, उसमें कहा गया कि ३० गुना कर दिया अब पुनर्वासन ग्रांट की क्या जरूरत है। तो अब ८०–८० गुना किस मुंह से देते हैं? क्या यह कारण नहीं है कि उन लोगों की जेब भरना चाहते हैं? एक तरफ जहां कम रकम और कम लगान है वहां २५ गुना मिलेगा और दूसरी तरफ ८० गुना, इसका कोई माननीय मन्त्री जी के पास जवाब नहीं है।

यह चीज स्वयं प्लानिंग कमीशन को स्वीकार करनी पड़ी। उसमें यह है—

"In recent years transfers of land have tended to defeat the aims of legislation for land reforms. In the Second Five-Year Plan it was suggested that measures would need to be devised to deal with the problem of malafide transfers. Since it is difficult to distinguish between transfers which are malafide and those which are *bona fide*, it would seem desirable that all transfers made after the date of the publication of the ceiling proposals or an earlier date as may be prescribed in view of the local conditions, should be disregarded in computing the ceiling limit for any person or family as the case may be."

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

१९५९ में प्रस्ताव छपा था। संविधान में भी अगर संशोधन करने की आवश्यकता हो तो उसको भी मन्त्री जी करवायें। कांस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी तो उन्होंने रखी नहीं, उसमें न मालूम कितनी बार परिवर्तन हो चुका है। अगर माननीय मन्त्री जी जनहित में कार्य करना चाहें और भूमिहीनों को जमीन देना चाहें तो उसका प्रयास करें।

श्रीमन, तराई भावर में इस सरकार ने हजारों एकड़ के फार्म दे रखे हैं, वहां भी इस को लागू करना चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने तो इस बिल को एक ढोंग बनाकर रख दिया है। अन्य प्रान्तों में भूमिहीनों को प्रायर्टी दी गयी है लेकिन यहां पर यह है कि कोआपरेटिव सोसायटीज को जमीन दी जायगी। इससे साफ मालूम होता है कोआपरेटिव का नाम रख कर अपने ही आदमियों में यह जमीन बांट खाना चाहती है। धारा २७ में तो यहां तक कहा गया कि जिस कोआपरेटिव के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन हो उससे जमीन लेकर पूरा कम्पेनसेशन दे दो। उसके आगे सेटिलमेन्ट करने की बात है। तो श्रीमन, इनडायरेक्ट तरीके से कोआपरेटिव सोसायटी को मदद करने के लिये ही यह सारी व्यवस्था की गई है। जो कुछ बचेगा वह कोआपरेटिव सोसायटीज को मिल जायगा। यह सरकार सरमायादारों और पूंजी पतियों की है। इससे गरीबों का शोषण ही होगा, पोषण नहीं होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय मन्त्री जी को गरीब दुखी जनता से जरा भी प्रेम हो तो इसको मानें और इस बिल को पुनर्विचार के लिये वापस भेजें और नीचे की सीलिंग फिक्स करें और अगर कांस्टीट्यूशन में भी तरमीम करनी पड़े तो उसे भी करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति के इस प्रस्ताव के संशोधन को जनमत में भेजने का विरोधी हूं परन्तु प्रवर समिति ने इस प्रस्ताव को जिस तरह से पास किया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि यह प्रस्ताव फिर जनता में घुमाया जाय और फिर बड़े-बड़े लैन्ड होल्डर्स को इस बीच में अपनी जमीन को वितरण करने का मौका मिले। परन्तु यह जो कहा गया कि मूल प्रस्ताव से यह पीछे गया वह ठीक है। मूल प्रस्ताव के ५ रुपये एकड़ से बढ़ाकर इसमें ६ रुपये एकड़ से ऊपर की जमीन ४० एकड़ कर दी गई है। ६ रुपये और ४ रुपये एकड़ के बीच की जमीन को घसीटकर द्वितीय श्रेणी की जमीन में लाया गया है, एक किसान को जो ४० एकड़ मूल प्रस्ताव से मिलता वह ६० एकड़ पर आ गया है। अब जमीन के लगान का भी औसत लगाया गया है। ऐसी भी जमीनें हैं जिनका लगान कम है लेकिन उसकी आमदनी, आबपाशी मरम्मत से, या किन्हीं साधनों से, बढ़ा ली गयी है।

तीसरी तरह की जो जमीन है उसके हिसाब से अगर किसी आदमी के एक ही लड़का हो परन्तु परिवार में ८ आदमी हों तो वह बड़ी खुशी से १२८ एकड़ जमीन रख सकता है। क्योंकि यह जो प्रवर समिति से प्रस्ताव पास होकर आया है उसमें इतनी तादाद ४ रुपया से नीचे की जमीनों के लिये रखी गयी है बशर्ते कि उस परिवार में ५ आदमियों से ज्यादा ८ आदमी हों। इसके बाद भी बची हुई भूमि में से दशमांश बाग के लिये भी वह ले सकता है। चाहे उसके पास ५०० बीघा का बाग पहले का लगा ही क्यों न हो, क्योंकि यह कहीं नहीं कहा गया है कि इतना बाग हो अर्थात् बाग की सीमा कोई नहीं है। इसमें यह नहीं है कि जिस किसी से जमीन ली जा रही है अगर उसके पास १० एकड़ या ७ एकड़ का बाग है तो उसको बाग के लिये और जमीन नहीं दी जायगी।

इसके अलावा इसमें किसानों के दो भाग किये गये हैं। एक ओर तो जमीन्दारी उन्मूलन विधेयक में यह कहा गया है कि कोई भी किसान साढ़े बाहर एकड़ से अधिक भूमि मय बाग के नहीं खरीद सकता है लेकिन इस विधेयक में बाग मुस्तसना है। कहा गया है कि अगर लगान ४ रुपये से कम है तो वह १२८ एकड़ तक जमीन जोत सकता है। मगर जिसके पास भूमि नहीं है चाहे वह किसी वर्ग का किसान क्यों न हो, उसने रुपया कमाया हो और जमीन में उसको खर्च करना चाहता हो लेकिन वह साढ़े बारह एकड़ से अधिक नहीं खरीद सकता, लेकिन यहां इस

विधेयक में १२८ एकड़ रख सकता है। इसके अलावा बाग के लिये, मुर्गी पालन के लिये, चरागाह के लिये, घास बोने के लिये और भी अलग से रख सकता है। इस प्रकार की चीजें सब रुपये वाले ही कर सकते हैं। अतः इस विधेयक से धनियों का बहुत अधिक लाभ होगा और गरीबों का लाभ होगा लेकिन बहुत कम।

इसके अतिरिक्त एक बात और है। यह बिल पहले प्रवर समिति को भेजा गया और वहां जाकर उससे जितना लाभ हुआ वह तो सब को विदित ही है लेकिन अगर वह दुबारा प्रवर समिति को भेजा गया और वहां इसी प्रकार विचार हुआ तब तो बहुत ही अच्छा हो जायगा। इतनी भी भूमि न बचे इसलिये मैं दोबारा प्रवर समिति को भेजने के पक्ष में नहीं हूं।

कुछ भाइयों ने सहकारी समितियों का विरोध किया और यह कहा कि ५, ६ लाख एकड़ जमीन जो बचेगी वह भूमिहीनों को न देकर सहकारी समितियों को दी जायगी, लेकिन आधी बात उन्होंने छोड़ दी। सहकारी समितियां जो बनेंगी वे भूमिहीनों की बनेंगी, बड़े बड़े जमींदारों और फार्म होल्डरों की नहीं बनेंगी। इसलिये वह जमीन तो भूमिहीनों को मिलेगी ही। यह कहां लिखा हुआ है कि सहकारी समितियां बड़े बड़े आदमियों की बनेंगी ?

श्री बलदेव सिंह—आज आप बैठ जाइये, कल समझ कर बोलियेगा।

श्री गुप्तार सिंह—आज तो मैं बैठ जाता हूं और कल समझ कर बोलूंगा लेकिन यह मैं बतला देता हूं कि कल आपकी समझ में फर्क पड़ जायगा। और ज्यादा न कह कर जो कुछ मुझे कहना है वह मैं अपने संशोधन पेश करने पर कहूंगा लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको जनता का सहयोग प्राप्त है। जो आदमी कहते हैं कि इसको जनता का फेवर नहीं प्राप्त है, मैं बतला दूं कि वे धोखे में हैं। इन शब्दों के साथ मैं उन प्रस्तावों का जो प्रवर समिति में तथा जनमत जानने के लिये भेजने का है, विरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरकार भूमि का सीमा निर्धारण कर दे ताकि जनता की गलतफहमी दूर हो और बड़े बड़े जमीन होल्डरों को यह मौका फिर न मिले कि वे धीरे-धीरे अपनी जमीन निकालते चले जायं।

श्री जगवीर सिं (जिला बुलन्दशहर)— —उपाध्यक्ष महोदय, श्री ब्रज नारायण तिवारी तथा श्री सीताराम शुक्ल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मैं विरोध करता हूं। इन दोनों प्रस्तावों में कहा गया है कि अधिकतम जोत सीमा संबंधी अधिनियम दोबारा प्रवर समिति के सामने भेजा जाय और वह समिति किसी निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री ब्रज नारायण तिवारी ने अपना प्रस्ताव पेश नहीं किया है, श्री सीताराम शुक्ल ने ही पेश किया है।

श्री जगवीर सिंह—ठीक है तो उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय प्रथम बार इस बिल को प्रवर समिति के सामने भेजा गया था तो एक आशा थी, इस प्रकार का विचार था कि इसमें जो त्रुटियां है उनमें सुधार किया जायगा और इस तरीके की चीज की जायगी कि भूमिहीनों को कुछ मिल सके, एक ठीक सीमा निर्धारित की जा सके। परन्तु देखने में क्या आया, बिलकुल उसके विपरीत। जहां ४० एकड़ की बात पहले कांग्रेस सरकार कहती थी वहां अब ४० एकड़ के बजाय ४७ एकड़ जमीन एक परिवार को मिलेगी और दूसरी किस्म की जमीन ६० एकड़ के बजाय ७० एकड़ मिलेगी। वह इस प्रकार से कि जो अच्छी भूमि है वह ६ रुपये से ज्यादा लगान की मानी जायगी, पहले ५ रुपये की थी। तो इस तरीके से ४० एकड़ वाले परिवार को ४७ एकड़ जमीन मिलेगी। तो अगर एक दफा फिर इस को प्रवर समिति में भेज दिया जायगा तो हो सकता है कि सीमा बढ़ा दी जाय, घटाने की बात नहीं है जो हमें इस सरकार से आशा करनी चाहिये। पर जहां सीमा निर्धारण की बात है, मैं निश्चित मत रखना हूं कि ४० एकड़ की सीमा हमारे प्रदेश के लिये बहुत ज्यादा है। मैं श्री गोविन्द सिंह विष्ट जी के इस विचार से सहमत हूं कि हमारे प्रदेश के लिये ३० एकड़ भूमि की सीमा होनी चाहिये।

[श्री जगवीर सिंह]

जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि पार्टीज में एक होड़ है और साढ़े १२ एकड़ की सीमा जो निर्धारित करने की बात कही जाती है वह भी एक जमात की ही बात है। कांग्रेस परिस्थितियों के बदलने के नाम पर कह सकती है कि परिस्थिति बदलने पर सीमा निर्धारण को कम ज्यादा करना पड़ता है। तो आज मैं निश्चित इस राय का हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी आज से नहीं बल्कि बहुत अर्से से ३० एकड़ सीमा की बात करती रही है, आज हमको भी ३० एकड़ सीमा की बात करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गेंदा सिंह जी के नोट आफ डिसेंट को पढ़ा, उसका क्लेरिफिकेशन भी हुआ और उसके बाद फिर दोबारा भी मैंने उसको पढ़ा। उसमें लिखा है कि यह कहा जा सकता है कि शहरी आय के अनुपात में ग्रामीण आय को रखने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है परन्तु यह निर्विवाद है कि ग्रामीण आय शहरी आय के मुकाबले में अभी काफी दिनों तक कम रहेगी क्योंकि इस दिशा में कोई सफल प्रयत्न नहीं हो रहा है। मैं इस बात से श्री गेंदा सिंह जी से सहमत हूं कि अभी तक ऐसा कोई सफल प्रयत्न नहीं हुआ कि जिसके द्वारा ग्रामीण जनता की आय को शहरी जनता की आय के बराबर लाने की कोशिश की गई होती लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि प्रजा समाजवादी पार्टी जिस कदम को उठाने की बात करती है कि जिस ग्रामीण के पास २५० रुपए या अधिक की आय हो वह या तो जमीन रखे या दूसरा काम करे, यह कहां तक उचित है।

आज गांव में रहने वाला छोटे से छोटा किसान इस बात का सपना देखता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी कर सके लेकिन इसके माने यह होंगे कि वह अपनी जमीन से हाथ धोये। अगर आज प्रजासमाजवादी दल की यह बात मान ली जाय तो सोचने की बात है कि क्या इससे ग्रामीण जनता का जीवन स्तर बढ़ेगा या वह नीचे गिरेगा। मैं आपके द्वारा अपने प्रजा समाजवादी दल के भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह ग्रामीण भाइयों की भलाई चाहते हैं तो वह जिम्मेदार लोगों की तरह सोचें और केवल यह खयाल न करें कि चूंकि अब कांग्रेस ने सीमा निर्धारण की बात मान ली है इसलिये हम कुछ आगे बढ़ें और केवल विरोध के लिये विरोध करके ऐसी चीजें सामने लावें। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रजा समाजवादी भाई गरीब ग्रामीण भाइयों का खयाल करते हुए मेरी इस प्रार्थना पर गौर करेंगे और मेरा खयाल है कि शायद इस तरह की बात उनके दिमाग में भी न होगी कि देहाती जनता इस तरह से शहरी जनता के मुकाबले में पीछे रखी जाय।

१५ अगस्त, ५९ के बजाय मैं समझता था कि बेनामों आदि के मामले में १ जनवरी, सन् ५९ मान ली जायगी लेकिन १५ अगस्त के बाद अब २० अगस्त कर दी गई है। उसमें कौन सी कानूनी परेशानी थी वह तो मंत्री जी जानते होंगे और शायद वह बाद में बतायें . . . .

श्री हुकुम सिंह विसेन—वह मैं बता चुका।

श्री जगवीर सिंह—आशा है मंत्री जी इसकी सफाई करेंगे। मेरा तो खयाल है कि १५ अगस्त की जगह २० अगस्त करके माननीय माल मंत्री ने लोगों को खुली छूट दी है कि जो तमाम बड़े खातेदार हैं वह जमीन के ट्रान्सफर्स कर लें। इस बीच में १३,००० एकड़ जमीन के तबादले हुए हैं, कुछ बेची गई, कुछ रिश्तेदारों को ट्रान्सफर की गई, यह सब हुआ है। इस तरह से बहुत कम जमीन इस बिल के द्वारा बाकी बचेगी और मेरा तो विचार है कि वह नहीं के बराबर होगी। मुझे तो माननीय चरण सिंह जी की बात याद आती है, उन्होंने लिखा था कि "The life is not worth the candle" यह हो सकता है कि इस विधेयक के द्वारा जो जमीन निकले वह इतनी कीमत की भी न हो जितना कि सरकार का इस विधेयक पर व्यय हो। अगर कांग्रेस सरकार की यही मन्शा है कि भूमिहीनों को जमीन मिले, खेती की उपज बढ़े, विषमता कम हो तो मेरा विचार है कि ४० एकड़ के बजाय ३० एकड़ की सीमा मानी जाय और जो बाग इधर इस कानून से बचने के लिये लगाये गये हैं उनको

बाग न माना जाय। जापान में ४० प्रतिशत जमीन पर बाग हैं, वहां उसकी कीमत है। लेकिन इस तरह से कानून से बचने के लिये जो काम किया गया है वह अनुचित है।

मैं उन दोस्तों से सहमत नहीं हूं जो मुआवजा न देने या कम देने की बात करते हैं। आज आप जमीन का बटवारा करने जा रहे हैं।कोई यह धन का बटवारा नहीं हो रहा है इसलिये जो उचित मुआवजा हो वह उनको मिलना चाहिये। मैं उचित मुआवजे की बात इसलिये करता हूं कि किसान से किसान को जमीन नहीं दिलाई जा रही है बल्कि जमीन सरकार से दिलाने की बात है इसलिये जायज मुआवजा, जरुर देना चाहिये, जब चीज लेते है तो उसकी कुछ न कुछ कीमत देनी चाहिये ऐसा मेरा मत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में रखा गया है कि हमारी प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार होगा कि जगह जगह पर अलहदा अलहदा तारीख में इस कानून को लागू करे और कुछ प्रदेश का हिस्सा ऐसा भी है जिसमें कि यह कानून तुरन्त लागू नहीं किया जायगा बल्कि वहां लागू ही नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के कोने-कोने में, हर जगह लागू करना चाहिये और यह अधिकार सरकार के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है कि जब चाहे और जहां चाहे लागू करे।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी मैं चक्कर में पड़ जाता हूं अपने मित्रों की बात सुनकर। कुछ दोस्त कहते हैं कि जो जमीन निकलेगी वह भूमिहीनों को दी जाय, वह उन्हें दी जाय जो अलाभकर जोत वाले हैं, मैं इत्तफाक करता हूं कि अलाभकर जोत वालों को दी जाय, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सहकारी खेती वालों को दी जाय। अगर सहकारी खेती होगी तो कैसे अलाभकर जोत वालों को देने जा रहे हैं? तो यह साफ होना चाहिये कि भूमिहीनों को देंगे, अलाभकर जोत वालों को देंगे, या सहकारी खेती के लिये देंगे? मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर जरूर दिलाना चाहूंगा। गरीब किसान की नजरें बहुत दिनों से इस ओर लगी हुई हैं कि अलाभकर जोतवालों को और भूमिहीनों को न मालूम माल मंत्री जी क्या देने जा रहे हैं। लेकिन जब यह विधेयक पास होगा तो उसे निराशा होगी, वह समझेगा कि वायदा बहुत कुछ था लेकिन दिया कुछ नहीं गया। वह और कुछ मानें या न मानें लेकिन इस सीमा को कम करने की बात जरूर मानें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भूमिहीनों के बड़े हमदर्द हैं, वह यह न सोचें कि यह बात विरोधी पक्ष की ओर से कही जा रही है इसलिये नहीं माननी चाहिये। समाजवादी पार्टियां जिस नारे को आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से लगा रही हैं, ३० एकड़ की वह बात उन्हें जरूर मान लेनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं शुक्ल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन कर रहा हूं और जितने संशोधन आये है सबका विरोध कर रहा हूं। और लोगों के संशोधनों पर तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन हमारे माननीय भीखालाल जी ने जो संशोधन रखा है उस पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वह कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य हैं, अगर वह संशोधन लाये होते कि सारी जमीन का नेशनलाइजेशन कर लिया जाय तब तो मुझे संतोष होता गोकि आज इस देश में और प्रदेश में जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। हमारे माल मंत्री जी ने प्रदेश के अनुरूप और जनता के अनुरूप यह विधेयक प्रस्तुत किया है। क्या आप चाहते है कि जो लोग किसी तरह अपना जीविकोपार्जन करते है उनको नंगा बना दिया जाय? यह गवर्नमेन्ट की मंशा नहीं है।

मैं आदरणीय राजा साहब से निवेदन करूंगा, जो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, कि हमारी सरकार का कतई यह मंशा नहीं है, बल्कि यह दृढ़ निश्चित मत है कि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा उठा दिया जाय और जिस स्तर पर राजा साहब हैं उस पर पहुंचा दिया जाय। वास्तविकता तो यह है कि हमारे कुछ लोगों की आदत यह है कि खामख्वाह हर चीज को सन्देह की निगाह से देखें। माननीय मंत्री जी समाजवादी समाज की रचना कर रहे हैं और समाजवादी समाज में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर]

कहीं भी यह नहीं है कि किसी को भूखा नंगा बनाया जाय, तो क्यों आप इतना घबड़ाते हैं। हमारे समाजवादी समाज का यही सिद्धान्त है कि हम शान्तिमय तरीके से समाज को इतना आगे ले जायेंगे कि जहां जीवन की सभी आवश्यक सुविधाओं के लिये सब का समान अधिकार हो। जब हमारा ऐसा इरादा है तो जरूरी हो जाता है किसी निश्चित तरीके से जमीन का भी बटवारा करें।

जब जमींदारी खत्म हुई थी उसी समय यह विधेयक आने वाला था, लेकिन सरकार के सामने कुछ दिक्कतें और कठिनाइयां थीं जिनकी वजह से उस समय न आ सका। माननीय भीखालाल जी ने कुछ आंकड़े पेश किये कि फलां स्टेट में ३० एकड़ है, और लोगों ने भी ऐसा ही कहा। मैं कहां कहता हूं कि ३० एकड़ न कीजिये। सरकार अभी ४० एकड़ लायी है उसके बाद अगर आप ३० एकड़ या २० एकड़ चाहेंगे और मुनासिब समझा जायगा तो वह भी कर दिया जायगा। लेकिन इस समय जो विधेयक प्रस्तुत है उस पर गंभीरता के साथ आप सोचिये, उसको मान लें उसके बाद देखा जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, जमीन कोई रबड़ तो है नहीं कि सरकार उसको बढ़ा दे। जब मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत किया तो कुछ सदस्यों ने कहा कि कितनी जमीन निकालेंगे, यह आप बतायें। उन्होंने कहा कि यह तो विधेयक पर अमल होने के बाद पता लगेगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आप देखें जमीन की जो हालत है। कुछ जिलों में तो अधिक है और कुछ जिले ऐसे है जहां ४० एकड़ की सीलिंग करने के बाद भी आपको १०, २० किसान ही ऐसे मिलेंगे जिनके पास इतनी जमीन हो। आखिरकार जब हमको समाजवादी समाज की तरफ चलना है तो उसके लिये सोचना पड़ेगा कि हम कौन-सा कदम उठावें। हमारा वह तरीका तो है नहीं कि लोगों को गोली से उड़ा दें। हमारा तरीका तो शान्तिमय और व्यवस्थित ढंग से समाज को ले चलने का है। जमींदारी के खात्मे के समय कभी ऐसी नौबत नहीं आयी कि किसी एक आदमी को भी जेलखाने में डाला हो, कितना बड़ा एचीवमेंट सरकार का है।

सरकार जनता के साथ कदम मिलाकर चल रही है। यह सरकार जिस तरह का नेतृत्व कर रही है उसका कोई सानी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। लेनिन भी कहता था कि जनता का नेता वही हो सकता है जो जनता के साथ चले, वही हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा अगर इस विधेयक की धाराओं को देखें तो उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मानने से सदन को कोई एतराज हो। ५ व्यक्तियों के लिये एक सीमा निर्धारित की। इसके अलावा अगर ५ व्यक्ति होते हैं तो ८ एकड़ और दे देंगे, उसके बाद और भी कुछ सदस्य होते हैं तो ५ एकड़ और दे देंगे, इस तरह जमीन की सीमा निर्धारित की गयी है। तो विधेयक से घबड़ाने की कोई बात नहीं है। हमें तो ताज्जुब होता है कि कुछ मामलों में राजा जी की पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक मत हो जाती है, जब कि दोनों कभी मेल नहीं खा सकतीं। राजा जी ने पहले कांफरेंस में कहा था कि इस देश में कनजरवेटिव नाम की कोई पार्टी जरूर बने, चाहे उस पार्टी का कुछ भी नाम रख लें, लेकिन काम उसका कनजरवेटिव पार्टी का सा होगा। तो हमारी सरकार को समन्वय करना है क्योंकि हर तरीके के चलने वाले लोग हैं।

अंग्रेजी राज्य ने राजाओं, ताल्लुकेदार तथा पूंजीपतियों को पैदा किया। इस सरकार ने यह तय किया है कि वह किसी का कत्लेआम नहीं करेगी। संविधान में हर आदमी को प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ऐसी हालत में आपको इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये और जितने संशोधन लाये गये हैं उन्हें वापस लिया जाय।

माननीय भीखा लाल जी ने कहा कि जनता के पास इसे तीन महीने के लिये भेज देना चाहिये। जनता को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके इस विधेयक को देखे। जनता के आप प्रतिनिधि हैं। आप में ताकत होना चाहिये कि आप अपनी कांस्टीट्युएंसी को जनता को समझा लें। यह विधेयक आपके और हमारे फायदे के लिये आया है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है यद्यपि मेरे समर्थन करने के और उनके कारण भिन्न हैं। मैं उसका समर्थन

करता हूं और जो संशोधन माननीय सीताराम जी तथा माननीय भीखालाल जी ने पेश किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं ।

आज अन्न की समस्या हमारे देश व प्रदेश में सब से महत्वपूर्ण समस्या है । बावजूद इसके कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमने उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया कि हमारा अन्न का संकट दूर हो; लेकिन हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता कि हम उसमें निष्फल हुए । बावजूद गत कई वर्षों के खरीफ तथा रबी अभियानों के जिसमें प्रति वर्ष हम दो-दो बार यह प्रयत्न करते हैं कि हमारी पैदावार बढ़े, हम निष्फल हुए हैं और हमारी पैदावार नहीं बढ़ी । परन्तु मेरा विश्वास है कि अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित कर देने से उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी ।

जब से हमारी कांग्रेस सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना की नीति अख्तियार की है तब से यह उनका पहला कदम सही रास्ते की ओर बढ़ाया गया है । यदि उन्होंने कोई बिल जिससे समाजवाद जल्दी आ सकेगा आज तक पेश किया है तो वह यही बिल है—अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, जो आज इस सदन के सामने बिचाराधीन है। लेकिन जिस ढिलाई के साथ सरकार इसे आगे बढ़ा रही है उससे मैं असहमत हूं । आज प्रायः दो वर्ष हुए, इस बिल की किसी न किसी रूप में सदन के सामने चर्चा हुई और उस चर्चा के होते हुए इसको इस ढिलाई के साथ चलाया जा रहा है जिससे जिनके पास से कुछ जमीनें निकलकर भूमिहीनों को मिलनी हैं वे भूमि बिलकुल भी नहीं मिल सकेंगी । इस तरीके से मैं सर्वथा असहमत हूं और मैं सरकार की नीति का विरोध करता हूं ।

मेरा अपना विचार तो यह है कि सरकार ने जिस समय इस बिल की चर्चा की थी उसी समय इसे जल्दी से जल्दी पास करके जितनी भी भूमि अधिक से अधिक मिल सकती थी उसे लेकर भूमिहीनों में वितरित कर देती । लेकिन साल भर तक तो इसकी चर्चा सदन में मामूली तौर पर ही होती रही । यह जरूर है कि सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगाया कि २० अगस्त, सन १९५९ के बाद जो कृषि सम्बन्धी परिवर्तन होंगे वे नहीं माने जायंगे । इस प्रतिबन्ध से कुछ रोक हुई, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि जिनको अपनी जमीनों को बचाने का जो भी प्रबन्ध करना था, ईमानदारी से, बेईमानी से, भलमनसाहत से, या गैर भलमनसाहत से वह सब कर चुके हैं । अब यह विधेयक पास होगा इससे जनता का कोई कल्याण होगा और भूमिहीनों को कोई जमीन मिल सकेगी, मुझे इसमें सन्देह होता है।

मैं समझता हूं कि आचार्य बिनोबा भावे ने भूदान यज्ञ आरम्भ करके भूमिहीनों का जहां तक प्रश्न है उसको ज्यादा हल करने की कोशिश की है और इस विधेयक से वह प्रश्न उतना हल नहीं हो सकेगा जितना आचार्य बिनोबा जी के प्रयत्न से सफल हुआ ।

सरकार की कथनी और करनी का अन्तर इस बिल को निरर्थक बनाने का कारण है । यदि वास्तव में सरकार चाहती थी कि भूमिहीनों का लाभ हो तो सरकार का यह कर्तव्य था कि इस बिल की चर्चा होते ही इसको कानून की शक्ल दे देती और यह अधिनियम बन जाता और जो भूमि लोगों ने सुरक्षित कर ली है उसको वे सुरक्षित न कर पाते और भूमिहीनों का कुछ भला हो जाता ।

माननीय शुक्ल जी ने एक संदेह प्रकट किया कि समाज में हमेशा विषमता रही है और विषमता रहेगी, समाज के सब व्यक्ति कभी समान नहीं हो सकते और न सब सुखी ही हो सकते हैं । लेकिन हमारी पुरानी परम्परा को शुक्ल जी भूल गये जब उन्होंने यह संशोधन पेश किया । हमारी प्राचीन परम्परा में यह है कि "सर्वे भवन्तु सुखिनः" । हम सब को समान रूप से सुखी देखना चाहते थे । हम छोटे और बड़े का, गरीब और अमीर का भेद समाज में नहीं चाहते थे और न प्राचीन समय में हमारे समाज में यह भेद रहा है । आज शुक्ल जी का यह कल्पना करना कि समानता न कभी थी और न कभी हो सकती है, यह हमारी संस्कृति और परम्परा के सर्वथा विपरीत है ।

[श्री देवनारायण भारतीय]

माननीय भीखालाल जी ने जो अपना संशोधन रखा है वह यह सोच कर रखा है कि बिल में बहुत सी त्रुटियां और अपूर्णतायें हैं और यदि समय मिल जाय तो उनको दूर कर दिया जाय, फिर यह बिल लागू किया जाय। मैं बहुत नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को अधिक टांगे रखने का प्रयत्न न करें। यह जिस शक्ल में भी है उसे सदन के सामने आने दें और जो उसमें अपूर्णतायें हैं उन पर यहां विवाद होगा और हम सब जो भी सुधार कर सकेंगे वह कर लेंगे। हम यह भी मान ही सकते हैं कि इस विधेयक से कम से कम लाभ हो सकेगा। लेकिन यदि यह अधिनियम बन गया और आगे चल कर सन् ६२ के बाद दूसरी सरकार बनी, सम्भव है सोशलिस्ट पार्टी की या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बने, सम्भव है किसी और विरोधी पार्टी की सरकार बने, तो वह सरकार जैसा चाहेगी वैसा इसमें संशोधन कर सकती है। मैं सोशलिस्ट पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, जो माननीय उपनेता सदन ने आज सदन के सन्मुख उपस्थित किया है और मैं चाहता हूं कि इसको किसी भी समिति में, चाहे वह संयुक्त प्रवर समिति हो, चाहे हमारी विधान सभा की प्रवर समिति हो, न भेजा जाय और जल्दी से जल्दी हम इसे स्वीकार करके एक अधिनियम की शक्ल दें, ताकि जो भी थोड़ी बहुत जमीन हमको उन लोगों से मिल सके जो भूमि को हथियाए हुए हैं जिसके कारण अन्न उत्पादन की समस्या संकट में पड़ी है, वह जल्दी से हल हो सके।

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह कि यदि इसी के साथ साथ इसमें हम कोई धारा ऐसी जोड़ दें जिससे अलाभकर जोत का प्रश्न भी हल हो जाय तो यह विधेयक, जो भी इसमें कमियां हैं उनके रहते हुए भी, समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरी करेगा। आप अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं तो न्यूनतम जोत की सीमा भी तो निर्धारित करें। आप यह भी तो तय करें कि इतने से नीचे की जोत कोई महत्व नहीं रखती और उससे लगान नहीं लिया जायगा। जिसके पास एक निश्चित सीमा से कम भूमि हो उसे भूमिहीन मानें। सोशलिस्ट पार्टी का इस बारे में सुझाव भी है कि ६ १/२ एकड़ भूमि लगान से मुक्त कर दी जाय। यदि आप इसको मान लेते हैं और सदन इस संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक समाज के लिये बहुत कल्याणकारी हो जायगा और आज जो अन्न की समस्या समाज में बड़ी विषमता उत्पन्न कर रही है वह बहुत हद तक हल हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय उपनेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय भीखालाल ने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन के जरिये इस देश में कम्युनिज्म लाने का जो उन्होंने एक निष्फल प्रयास किया है उसको देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। यह पार्टी कहती है जनता से कि हम देश में कम्युनिज्म लायेंगे। देहातों में यह लोग लैनिन और स्टालिन के नाम लेकर कम्यूनिज्म की दुहाई देते हैं और देहात की जनता से कहते हैं कि हम तुम्हारे नुमायन्दे हैं। लेकिन जब यह बिल इस हाउस में आया था उस समय और पार्टियां इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रयास कर रही थीं उस समय इस पार्टी ने यह नहीं कहा कि इसे किसी समिति में भेज दिया जाय। लेकिन आज वह कहते हैं कि जनमत जानने के लिये तीन मास तक इसको जनता में परिचालित किया जाय, जनता में राय जानने के लिये इसको भेज दिया जाय। इस बात को वह इसलिये कहते हैं कि जो जमीन बची है और बड़े भूमिधरों के पास है जो पहले जमींदार थे, वह उसको भी बेच दें। उनके लिये यह पार्टी छूट दे रही है और यह अवसरवादी पार्टी है तथा किसानों और भूमिहीनों की यह पार्टी किसी भी तरह से नहीं है।

यह जो प्रस्ताव लाया गया है, इसके पीछे हम समझते हैं कोई बड़ा भारी राज छिपा हुआ है वरना यह प्रस्ताव कम्युनिस्ट लोग न लाते। यह पार्टी इस प्रस्ताव को इसलिये भी इस समय लाई है और इसका कारण यह है कि आजकल चीन भारत के बार्डर पर हलचल मचा रहा है और यह लोग बड़े आदमियों को यानी जमींदारों को खुश

करना चाहते हैं वरना यह पार्टी इस प्रस्ताव को कभी न लाती। इसलिये इस प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक बहुत ही सुन्दर है। इसको पास करने के बाद जो जमीन बचेगी वह भूमिहीनों को मिलेगी या जिनके पास पैसा होगा उनको मिलेगी किसी को मुफ्त में नहीं मिलेगी। हदबन्दी के बाद जो जमीन बचेगी उसको सरकार मुफ्त में नहीं देगी और अगर देगी तो पैसा लेकर देगी। जब हम किसी की चीज को बिना पैसा दिये नहीं लेते तो कैसे जमीन मुफ्त में दे सकते हैं। ४० एकड़ की एक सीमा है और उसी में भूतपूर्व जमींदार अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इस विधेयक को पढ़ने के बाद हमें दो तीन चीजों का अनुभव हुआ। जो लोग हाउस में सिद्धांतों की बात कहते हैं उनकी हालत वैसी ही है जैसे हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और। बहुत से लोग सहकारिता खेती का यहां तो विरोध करते हैं, लेकिन सहकारी सोसाइटियों के नाम पर, अपने दोस्तों के नाम पर सारी की सारी जमीन पट्टे पर दे दी है। बाज-बाज जगह लोगों ने ऐसा किया है कि जिनके नाम पते तक नहीं हैं और चाहे वह हमारे प्रांत के रहने वाले हों या बाहर के हों, उनके नाम पट्टे कर दिये गये और सहकारिता के नाम पर किये गये हैं। इस लिये सरकार देखे कि जो पट्टे अभी हाल में इस तरह के हुए हैं उनकी जांच कराए। यदि जांच की जायगी तो मैं समझता हूं कि बहुत सी जमीन प्राप्त हो सकेगी।

आज इस बिल के आने से किसानों में बड़ी भारी खुशी हुई, जिस तरीके से जमींदारी उन्मूलन के समय हुई थी। किसान कहने लगा कि हमें भी अब जमीन मिलेगी और हम भी जमीन जोतेंगे। जैसे कि बापू जी कहा करते थे कि जमीन उसको मिलनी चाहिये जो अपने हाथ से जमीन जोतता हो। लेकिन आज नहीं तो कल ऐसे ही लोग जमीन पायेंगे जो अपने हाथ से जोतते हैं। आज कहा जाता है कि पैदावार बढ़ गयी, लेकिन आंकड़ों में बढ़ गई, वैसे नहीं बढ़ी। मैं कहता हूं कि अगर नहीं बढ़ी तो इतनी आबादी बढ़ जाने के बाद भी देहात के लोग देहात में पैदा हुए गल्ले पर ही अपनी गुजर बसर करते हैं। कुछ शहरी लोग भले ही गल्ला मोल ले कर खाते हों, लेकिन अगर भगवान की कृपा से फसल को नुकसान न हो तो देहात वाले बाजार से मोल नहीं लेते। आज गल्ले का भाव इसलिये मंहगा है कि बड़े-बड़े फार्म वाले अपना गल्ला बाजार में नहीं ले जाते क्योंकि उनके पास पैसा है। अगर बाजार में ले जायेंगे तो गल्ले का भाव सस्ता हो जायगा। अगर उस गल्ले पर सरकार प्रतिबन्ध लगा दे तो शायद गल्ला सस्ता हो जाय।

हमें आशा है कि इस बिल से किसानों और हरिजनों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। राजा साहब ने कहा कि इस बिल को लाकर सरकार डिक्टेटरशिप की भावना ला रही है। डिक्टेटरशिप की भावना नहीं, जनतन्त्र की भावना लायी जा रही है जिससे इस देश में समाजवाद जल्दी से जल्दी लाया जा सके और गरीब और अमीर के भेद को खत्म किया जा सके, अमीर भी खाना खाये और गरीब भी खाना खाये। यह नहीं कि एक खाये और दूसरा भूखों मरे। इस बिल से सरकार उन गरीबों को राहत देगी जिनके पास आज जमीन नहीं हैं। कहा जाता है कि आज उद्योगपतियों के पास बहुत धन है। ठीक है। एक आदमी जिस को महीने में १५ रु० देहात में मिलते हैं, अगर वही शुगर मिल में काम करता है तो ५५ रु० मिलते हैं। दोनों में बड़ा अन्तर है। देहात की मजदूरी इसलिये नहीं बढ़ी कि वहां पर सामन्त-शाही लोगों का कब्जा है। वह नहीं चाहते कि गरीबों को हम आगे बढ़ाएं। इसीलिये यह बिल लाया गया है।

सहकारिता के आधार पर यह सब चीजें आधारित हैं। देहात में सारा काम सहकारिता के आधार पर होता है। अगर पानी चलाने जायं तो अकेले नहीं चला सकेंगे, चार–छः आदमी साथ लेंगे तब जायेंगे। अगर कोई गन्ना बोयेगा तो भी चार छः आदमी साथ ले कर जायगा। राजा साहब ने बताया कि ढाई लाख एकड़ भूमि मिलने वाली है। अगर यह जमीन भूमिहीनों को मिल जाती है तो उनका बड़ा लाभ होगा। एक बात राजा साहब ने यह कही कि ५ हजार

[श्री गंगा प्रसाद]

या कितनी एकड़ जमीन विनोबाजी की पड़ी हुई है। उसे कोई लेने के लिये तैयार नहीं है। वह जमीन वह है जो रेहार, ऊसर और बांगर है। अगर वह जमीन अच्छी होती तो वह वितरित हो जाती। लेकिन दान में वही जमीन दी गयी जो खराब और निकम्मी थी और उन्होंने अपना नाम दान देकर कमा लिया।

अभी भाई जगवीरसिंह जी ने कहा कि जो जमीन हदबन्दी से मिले है वह अलाभकर जोत वालों को दे दी जाय। जितनी जमीन गांव समाज की मिली वह सब प्रधान के नाती पोतों, और पट्टीदारों को मिल गयी और जो जमीन मिलेगी वह भी उन्हीं लोगो को मिलेगी। गरीब को तो बहुत मुश्किल से मिल पाती है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ये जितने भी संशोधन आये हैं वे सारे प्रचार के लिये हैं। यह चाहते हैं कि जमींदारों और बड़े-बड़े फार्म वालों को इस संशोधन के द्वारा लाभ हो और इस बिल में जितनी ही ढिलाई की जाय उतना ही उनको लाभ हो। इसलिये जितनी ही जल्दी आप इस बिल को पास कर सकें उतनी ही जल्दी जनता का और इस देश का कल्याण होगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मन्त्री ने जिस विधेयक को इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके सिद्धांतों का मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, जब आज साढ़े आठ बजे सवेरे हमको एजेंडा मिला तो उसमें एक संशोधन को देखकर हमारे सभी दोस्तों ने ताज्जुब जाहिर किया और वह संशोधन हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से था। लेकिन मुझे कोई ताज्जुब इसलिये नहीं हुआ कि मैं जानता हूं कि हमारी हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा ऐसे काम किये हैं। उनके सामने देश और समाज में क्या उनके कामों का फल होगा, यह कभी नहीं रहा। हमेशा उनकी पार्टी का उद्देश्य उनके सामने रहा। इस संशोधन में जो आखीरी शब्द हैं "राय जानने के प्रयोजन के लिये प्रदेश में ३ मास तक परिचालित किया जाय" ये ध्यान देने योग्य है। वह बहुत ही होशियार लोगों में से हैं मान्यवर। आज इस प्रदेश में जैसा कांग्रेस का रवैया रहा है कि किसानों को भी खुश करो और जमींदार को भी खुश करो, वही रवैया कम्युनिस्ट पार्टी ने भी रखा है। कल को वह जायेंगे और उनसे कहेंगे कि हमने तो तीन मास के लिये आपकी राय जानने का प्रस्ताव किया था, लेकिन विरोधी दल वालों ने और कांग्रेस ने वह नहीं होने दिया। तो हम लोग जानते हैं कि वह तो हमेशा एंड्स को देखते हैं, मीन्स को कभी नहीं देखते। माननीय भीखालाल जी भी काफी तजुर्बेकार व्यक्तियों में से हैं, उन्होंने काफी सोच समझकर इसीलिये यह संशोधन रखा है। इसलिये मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ।

मैं माननीय माल मंत्री जी से यह उम्मीद करता था कि उनके जैसा तजुर्बेकार आदमी सदन में इस चीज को रखते समय इसके आंकड़े देगा कि कितनी जमीन इससे मिलेगी? जब इसमें यह लिखा हुआ है कि भूमिहीनों को यथासम्भव जमीन दी जायगी, तो हाउस के सामने जब वह इस चीज को रखने जा रहे थे तो उन्हें विभाग से कहना चाहिये था कि वह इसके पूरे आंकड़े पेश करता कि कितनी जमीन मिलेगी और उसमें से कितनी इससे जमीन भूमिहीनों को दी जायगी? क्वेश्चन आवर में जब कभी भी पूछा जाता है तो वह यही कहते हैं कि इसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। हम इसके लिये मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराते हैं। जहां एक ओर आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हों, वहां दूसरी ओर सरकार के माल मंत्री यह कहें कि हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं, यह कुछ उचित नहीं है। पहले अनुमान था कि ३ लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी, लेकिन आज अध्याय ३ खन्ड ६ को देखते हैं तो उसमें बाकी और जमीन भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है और सरकार का यह हक है कि जिस जमीन को, जिस फार्म को चाहे, उसको वह एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो यह क्या है?

मैं समझता हूं कि यह सीलिंग केवल नाम में है। और जो आज ५ रुपये से ६ रुपये कर दिया गया है यह किसकी सिफारिश पर? सेलेक्ट कमेटी में लोगों ने क्या राय दी यह आप

जानें, लेकिन प्लानिंग कमीशन जिसको कि एक गीता और शब्दकोश के रूप में लोग जानते हैं उसने ३० एकड़ कहा है। दूसरे स्टेट्स के भी कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूं। आसाम में ५० एकड़, आन्ध्र में १२ एकड़, बम्बई में १२ से ४८ एकड़ तक, कश्मीर में पौने तेईस एकड़, मध्य प्रदेश में ५० एकड़, राजस्थान में ३० से ९० एकड़, मैसूर में १२ से ४८ एकड़, हैदराबाद में १२ एकड़, पंजाब में ३० स्टैन्डर्ड एकड़, और उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात में हमने हिसाब लगाया है कि १७० एकड़ तक पहुंच जाती है। तो आखीर क्या सीलिंग है यह, क्रान्तिकारी कदम जरूर कागज पर है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह आखिर किस प्रदेश से लिया गया, प्लानिंग कमीशन की राय को नहीं लिया गया, किसी प्रदेश से नहीं लिया गया। आखिर यह क्या है?

मैं इस बात को मानता हूं कि सीलिंग होनी चाहिये। बहुत से लोगों ने इस बात को कहा है और मैं भी इस राय को मानता हूं। मैं उन लोगों से भी इत्तफाक करता हूं कि जमीन के साथ-साथ इनकम की सीलिंग होनी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि इस सरकार की हमेशा यह पालिसी रही है कि जब कभी किसी विधेयक को लाने की बात होती है तो उसको हाउस के सामने रख दिया जाता है और बाद में उसको पास करने में बहुत देर की जाती है। उसमें बड़े लोगों को मालूम हो जाता है कि क्या असर उसका होने वाला है। इस सीलिंग बिल के बारे में भी यही हुआ। लोगों को पहले मालूम हो गया कि क्या असर इसका होने वाला है।

अभी मन्त्री जी ने बड़ी मधुर भाषा में बताया कि १५ अगस्त के स्थान पर २० अगस्त क्यों किया गया। मैं उनकी मधुर भाषा में उनकी मन्शा पर शक नहीं करता, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि यह जो २० अगस्त किया गया, यह जमींदारों के पास जाकर और उनकी मन्शा और दिल को टटोलने के बाद मंत्री जी ने यह सोचा कि यह कर दिया जाय। यह सिद्धांत का हनन है। मैं इसको जानता हूं क्योंकि मैं उस सेलेक्ट कमेटी में था . . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इन शब्दों के लिये प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप इन शब्दों को वापस लें कि मन्त्री जी जमींदारों के पास गये और उनसे कहा।

श्री प्रतापसिंह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं। मेरा मतलब मन्त्री जी के लिये व्यक्तिगत रूप से नहीं था। जब कभी हम लोग यहां पर बोलते हैं तो माल मंत्री जी की हैसियत से उनसे निवेदन करते हैं। ठाकुर साहब के नाते उनसे यहां पर निवेदन नहीं करते हैं। उनके मन्त्रालय के लिये कहने का हमको वैधानिक अधिकार है और उसको कहने का हमें पूरा हक है। आपकी आज्ञा से मैंने इसको वापस ले लिया।

मैं उनसे फिर निवेदन करता हूं कि १५ अगस्त के स्थान पर जो यह २० अगस्त कर दिया गया है, उसका औचित्य क्या है? जब यहां पर सब लोगों की ऐसी राय थी तो उसको क्यों बदल दिया गया? क्यों नहीं आपने उसको १३ अगस्त कर दिया? इससे लोगों को शक होता है। माननीय मंत्री जी के ऊपर मैं शक नहीं करता, लेकिन लोगों को यह शक होता है कि क्यों ऐसा किया गया। मेरी नाकिस राय में ऐसे कुछ लोगों को मौका दिया गया जिनका सरकार की पार्टी के ऊपर काफी असर है, जो अपनी जमीन को इधर-उधर कर सकें। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इसकी सफाई दें।

एक बहुत बड़ा अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है कि जिसके लिये कन्विन्स्ड हो जाय, उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। सरकार यह अधिकार बहुत बड़ा ले रही है। पी० एस० पी० का छोटा सेवक होने के नाते मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जो २० एकड़ का सुझाव दिया गया था उसको सरकार स्वीकार कर ले।

मैं राजा साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सीलिंग का यह मकसद नहीं है कि सारे लोगों को जमीन दी जाय। इस सीलिंग का मतलब तो यह है कि बहुजन हिताय और

[श्री प्रताप सिंह]

बहुजन सुखाय। इतना भी यदि हम कर सकें तो यह लाभ की चीज लोगों के लिये होगी। इससे बहुत आदमी तबाह हो जायेंगे और बरबाद हो जायंगे, यह बात गलत है और मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जिस तरीके से उस भूमि का बटवारा किया जायगा उसके लिये उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि ज्यादा जमीन भूमिहीनों को दी जायगी।

अब मैं एक निवेदन यह और करना चाहता हूं कि जब इस जमीन को भूमिहीनों में बांटा जाय तो हमारे देश में सब से पहले इस बात की आवश्यकता है कि जिनका व्यापार बन्द हो गया है और जिनका चीन के हमले से तिब्बत में व्यापार बन्द हो गया है उन भोटिया लोगों को सब से पहले जमीन दी जाय। ये ४० हजार के लगभग लोग हैं उनको इसके लिये प्राथमिकता दी जाय ताकि सीलिंग लगने के बाद सब से पहले उनको जमीन दी जा सके। अन्त में मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी आंकड़े दिये हैं और जैसा प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि छोटे परिवार के लिये २० एकड़ और बड़े परिवार के लिये ३० एकड़ रखी जाय। हमारे देश में गरीब आदमी बहुत बसते हैं जो भूमिहीन हैं, खेतिहर हैं, उनको जमीन मिलनी चाहिये। योजना भी हमारी यही है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको अधिक से अधिक जमीन दे सकें।

मान्यवर, चीन और रूस में जब कभी सुधार हुआ है, वह तानाशाही के अधार पर हुआ है। हमारे यहां तानाशाही के बल पर सुधार नहीं किया जा सकता। हमें तो अपने यहां लोकशाही के बल पर ही सुधार करना है। इसलिये, हमारी पार्टी की ओर से जो यह महत्वपूर्ण सुझाव रखा गया है कि यह सीमा २० से ३० एकड़ तक हो, इसे माननीय मंत्री जी स्वीकार करें। मुझे ऐसा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के हृदय में जरूर गरीबों के प्रति दया है, उदारता है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो बड़ी-बड़ी इनकम वाले हैं उन पर आप सीलिंग कीजिये। आशा है माननीय मंत्री जी हमारे महत्वपूर्ण सुझावों की ओर ध्यान देंगे और उन्हें स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री भीखालाल—मैंने सभी साथियों को बड़े गौर से सुना। मैंने देखा कि मेरे बहुत से साथियों ने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। मेरे संशोधन को लाने का मतलब, जैसा कि मैंने पहले ही व्यक्त किया, कतई यह नहीं था कि इस बिल के पास होने में जरा भी देर हो। मैं खुद भी चाहता हूं और मेरी पार्टी भी चाहती है कि बिल जल्दी से जल्दी पास हो ताकि गरीबों को कुछ भूमि मिल सके।

मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि आज जो भूमिहीन परिवार हैं उनमें ज्यादातर हरिजन लोग हैं। इस बिल से, जो कि हमारे सामने इस समय है, यह आशा करना कि कोई भूमि हमें मिल सकेगी, यह गलत है। मुझे विश्वास है कि इस तरह से कोई भूमि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। मैंने जो संशोधन प्रवर समिति में उस समय रखे वह भी नहीं माने गये और सरकार ने उनको अपने बहुमत के बल पर ठुकरा दिया। मैं यह समझता हूं कि सरकार ने जो यह सीमा ४० एकड़ की रखी है वह पास होकर रहेगी। हम अगर चाहें तो वह ३९ एकड़ भी नहीं हो सकती। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार ने जो तारीख हस्तान्तरण की रखी है वह भी घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती है। सरकार अपने बहुमत के बल पर जो चाहेगी वह करा लेगी, यह मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार समाजवाद के नाम पर इस तरह के थोथे बिल लाकर उसके नाम को बदनाम न करे। यह बिल बिलकुल निरर्थक है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जनता की भावना को देखा जाय, और इसीलिये मैंने अपना यह संशोधन रखा था। मैं, जो प्रजा समाजवादी दल के लोग हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, वे देखें कि उनकी नीति क्या है। दूसरी पार्टी वाले भी देखें कि उनकी नीति क्या है। उनके साथी किधर जा रहे हैं। आज कोई इस पार्टी में है, तो कल वह उनकी नीति के विरोध में दूसरी पार्टी में चला जाता है।

स्वतंत्र पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो हदबन्दी का संशोधन ला रही है वह निरर्थक है क्योंकि देश पर विदेशी आक्रमण का खतरा है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय भीखालाल जी जो यह कह रहे हैं कि देश पर विदेशी आक्रमण का खतरा है, तो उससे इस बिल का क्या सम्बन्ध है?

श्री उपाध्यक्ष—वह पार्टी की सफाई दे रहे हैं।

श्री भीखालाल—मान्यवर, मैं कह रहा था कि वह ऐसी प्रतिक्रियावादी पार्टियां हैं कि देश में यदि कोई भी अच्छा कदम उठाता है तो वे देश की सुरक्षा के नाम पर उसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि देश को खतरा है। इसलिये पंचवर्षीय योजनायें बन्द की जायं। हमारी विदेशी नीति बदली जाय क्योंकि देश को खतरा है। हमारे यहां हदबन्दी कानून लागू होना नहीं चाहिये, क्योंकि देश को खतरा है। इसलिये मैं उनकी बातों पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। अगर हमारा १२ १/२ एकड़ की हदबन्दी का संशोधन माना जाता है तो मुझे विश्वास है कि उससे दुगुनी और चौगुनी जमीन निकल सकेगी और अगर वह संशोधन यह सरकार मंजूर करती है, यह सदन पास करता है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि यह बिल पास कर दिया जाय। कोई जरूरत नहीं है कि इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाय। यह थोथा और निरर्थक बिल है जिससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसको प्रदेश पर लादने से पहले जो आशाएं लगी हुई थीं कि जमीनें मिलेंगी भूमिहीनों को वह पूरी होने वाली नहीं हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ सकेगा। इसलिए मैंने संशोधन पेश किया था। लेकिन सदन की भावनाओं को देख कर मैं उसे प्रेस नहीं करता हूं, उसको वापस लेना चाहता हूं। पर मैं यह आशा करता हूं कि जिन भावनाओं और उद्देश्यों के साथ यह बिल सदन में लाया गया है उसके लिए आवश्यक है कि जो मेरा संशोधन साढ़े १२ एकड़ का है उसको यह सदन पास करने की कृपा करेगा।

***श्री सीताराम शुक्ल**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त हमारे माननीय मंत्री महोदय चले गये थे, आखिर में अच्छा हुआ कि उनसे मुलाकात हुई और मुझे कुछ अर्ज करने का मौका मिला।

श्री उपाध्यक्ष—आपको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण भी तो देना था।

श्री सीताराम शुक्ल—हुजूरवाला, मैं जब बोल रहा था तो वक्त समाप्त हो गया था, लाल रोशनी हो गयी, मैं बैठ गया, क्योंकि मैं सिपाही हूं। अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि इस बिल से गरीबों की भलाई होगी तो मैं खुशी से इसको सपोर्ट करूंगा। मेरा खयाल है कि इससे गरीबों की भलाई नहीं होगी। डिटेल्स में जाने का टाइम नहीं है। गेंदासिंह जी ने फरमाया था कि सीताराम ने क्या कहा, समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन गेंदा सिंह साहब को शायद पता नहीं होगा कि जिस वक्त जमींदारी तोड़ने का बिल आया था तो सीताराम ने उसको अपोज किया था। जब सीताराम कांग्रेस के अन्दर बैठे थे तब भी इस सीलिंग का, समाजवाद का हमेशा विरोध करते रहे। यह हमारी पार्टी की मेहरबानी थी कि पार्टी में रह कर अपोज करते हुए भी मुझे आजादी बख्शी जाती थी और मैं अपने विचार व्यक्त करता था। वही बात मैं कांग्रेस से बाहर आने के बाद कहता हूं। जो पहले कहता था, वही बीच में कहा और वही आखिर में कहता हूं। तो यह मेरी अयोग्यता है कि मैं उनको नहीं समझा पाता हूं। मैं तो दलील देता हूं, समझ तो भगवान देता है, वह जिसको दे वह समझे।

अब मेरी गुजारिश यह है कि किसान का किसमें फायदा है, जरा गौर फरमाइये। आप ठाकुर हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। हवा के रुख पर आप नहीं चलते। आप सन् २१ के वर्कर हैं, जब आपको मालूम था कि अगर गोली लग गयी तो जो बच्चे भूखे मरने वाले हैं। मेरा खयाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

है कि इस सीलिंग से गरीबी बढ़ेगी, अमीरी नहीं बढ़ेगी। अमीरी से अमीरी बढ़ती है, गरीबी से गरीबी बढ़ती है। जमींदार जब था तब उसका ड्राइवर था, नौकर थे, काम करने वाले बहुत से थे।

जमींदारी तोड़ दी गयी तो जमींदार के पास तो फिर भी बंगला है, लेकिन चूना उसमें नहीं होता है, सफाई नहीं होती; मोटर है, मगर ड्राइवर बरखास्त हो गया, नौकर और कारिन्दे बरखास्त हो गये। अमीरी गयी तो गरीबी बढ़ गयी। औरतों ने खुद अपने बर्तन मांजने शुरू कर दिये। हुजूर वाला, अमेरिका में बहुत अमीरी है, वहां गरीबी नहीं है, वहां कोई बर्तन मांजने वाला आदमी नहीं मिलता। बड़े-बड़े रईसों को भी खुद मांजने पड़ते हैं। क्या एक गरीब का इसमें फायदा है कि वह गरीब ही रहे, खेत जोते या इसमें फायदा है कि आज जो पैदल चलता है वह मोटर पर चले। क्या एक हरिजन का इसमें फायदा है कि वह गरीब ही रहे या इसमें फायदा है कि वह बड़ा आदमी बने। मैं मानता हूं कि समाजवाद आने से कुछ मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और कलक्टर बन सकते हैं, लेकिन बेरिया और बुलगानिन और यहां के दस मिनिस्टरों का क्या नतीजा हुआ जो पहले मोटर पर चलते थे और बंगले में रहते थे। अगर उनके पास प्राइवेट मोटर होती तो वे तब भी उस पर चलते और आज भी चलते। इसलिये जरूरी है कि प्राइवेट प्रापर्टी हो।

आज मिनिस्टर एम० एल० एज० से डरते हैं, एम० एल० ए० वोटर्स से डरते हैं और गरीब आदमी अपने पेट से डरता है। मुल्क के धन के बटवारे से मुल्क की गरीबी नहीं जायगी। आस्ट्रेलिया में आदमी कम हैं, जमीन बहुत ज्यादा है, रूस में सिर्फ १७ करोड़ आदमी हैं जमीन बहुत ज्यादा है, अमरीका में सिर्फ १७ करोड़ आदमी हैं और जमीन बहुत ज्यादा है; लेकिन इधर हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी और जापान में आदमी ज्यादा हैं और जमीन कम है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि जिन मुल्कों में जमीन ज्यादा है वहां पर दूसरे मुल्कों के आदमियों को काम करने का मौका मिले। हम यह नहीं चाहते कि हम उनकी सीमा पर कब्जा करें। हमें तो एक ऐसी पब्लिक ओपीनियन पैदा करनी होगी जिससे अमरीकन यहां पर अपने कारखाने खोलें। उनके यहां पर ५० रुपये में मजदूर मिलता है तो हमारे यहां ५ रु० में ही मिल जायगा। इसमें उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा है। जब ज्यादा सामान पैदा किया जायगा तभी लोगों को खाना कपड़ा और मकान मिलेगा। आपकी यह पालिसी वोट मांगने का एक बहाना जरूर हो सकती है, लेकिन मैं आपको चैलेन्ज करता हूं कि आप इसी लखनऊ जिले के ५ गांवों में इस बिल को लागू करें और अगर वहां के लोग इसको तस्लीम कर लें तो मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा और अगर आपकी पालिसी फेल होती है तो आप इसको छोड़ दीजिये।

श्री हुकुम सिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि अपने मित्र शुक्ल जी की बात को सुनने का मुझे मौका मिला। मैं तस्लीम करता हूं कि मुझ में इतनी अक्ल नहीं कि मैं उनकी बातों को ठीक तौर से समझ सकूं। खैर, इस सम्बन्ध में मैं बाद को अर्ज करूंगा, पहले मैं माननीय प्रताप सिंह जी की बातों की तरफ इस सदन की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रतापसिंह जी ने सख्त स्वर से इस बात का चैलेंज मुझे दिया कि राजस्व मंत्री फिगर देने के लिये तैयार नहीं और उन्होंने दावा किया कि हमको उनके आदेश का पालन करना चाहिये और उनको फिगर देना चाहिये कि कितनी जमीन इस बिल के फलस्वरूप बरामद होगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मित्र प्रताप सिंह जी की मेमोरी बड़ी शार्ट है। अगर ३ सितम्बर, १९५९ की प्रोसीडिंग्ज को वह पढ़ें तो उसमें उनको फिगर्स मिल जायंगी। वह रट्टू तोता होता है जो बार बार वही चीज कहता है।

एक मर्तबा जो बात कह दी गई इस सदन में तो वह पत्थर की लकीर हो जाती है और उसका रिकार्ड हो जाता है और वह रिकार्ड बहुत दिनों तक कायम रहता है। अगर हमारे

मित्र जरा मेहनत करना पसन्द करें और वह प्रोसीडिंग्ज़ देख लें तो उसमें उनको सारे आंकड़े मिल जायंगे। मैंने यह भी कहा था कि ट्रान्सफर के फलस्वरूप कुछ ज़मीन हमको नहीं मिलेगी, वह सही ही कहा था। और अक्ल की बात कहता था कि जब तक कि विधेयक लागू होकर उन ट्रांसफर्स को कन्सीडर न किया जाय कि कौन जायज़ है और कौन नाजायज़ है, तब तक सही तरीके से यह कहना असम्भव है कि इस क़दर रक़बा इस विधेयक के लाने से कम होगा। मुझे आंकड़ों में विश्वास है लेकिन फ़र्ज़ी आंकड़ों में, जैसा कि हमारे मित्र चाहते हैं, विश्वास नहीं है न मैं इस सदन का उनमें समय नष्ट करना चाहता हूं।

एक बात हमारे मित्र ने यह भी कही कि १५ अगस्त से २० अगस्त की तारीख में मंत्री जी ने अपनी पार्टी के लोगों से कह दिया कि पांच दिन के अन्दर अपनी ज़मीनों का इन्तजाम कर लो। मैं बहुत ही नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि....

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री प्रताप सिंह—मैंने यह नहीं कहा कि पार्टी के लोगों से कहा।

श्री हुकुम सिंह विसेन—लोगों को कह दिया। यह आक्षेप सत्य से परे है। मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं कि इस सदन में इस प्रकार की गैर-जिम्मेदारी की बात कही जाय मैं उनको चैलेंज करता हूं कि या तो इसे साबित करें या माफ़ी मांगें। अगर मैं उनकी जगह होता तो ऐसी बात के लिये दस्त-बस्ता माफ़ी मांगता। प्रोपैगेंडा के लिये यह कह दिया जाय तो दूसरी बात है मगर इस सदन में गम्भीरता से बात करनी चाहिये।

मुझे श्री भीखालाल जी के प्रस्ताव के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। उन्होंने शायद यह तय कर लिया है कि वह वापिस ले लेंगे। लेकिन जिस वक्त यह प्रस्ताव हमने एजेंडा पर देखा तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि श्री भीखालाल जी के जरिये से ऐसा प्रस्ताव आवे जिससे इस विधेयक के पारित होने में देरी हो, यह एक अजीबोगरीब सी बात मुझे मालूम हुई।

माननीय शुक्ल जी के प्रस्ताव से मैं ज्यादा परेशान नहीं हुआ क्योंकि स्वतंत्र पार्टी के बारे में मेरा ऐसा खयाल है कि उसमें राजा महाराजा और सब बड़े लोग हैं। मैं इक़बाल करता हूं, इससे इनकार नहीं कर सकता, कि इस विधेयक से राजा महाराजाओं को नुकसान होगा और ऐसा होना लाज़मी है। जब समाजवाद या और कोई वाद आता है तो जिसके पास ज्यादा चीज होती है और विषमता दूर करनी होती है तो उससे लेकर उसे दी जाती है जिसके पास कम चीज होती है।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं राजा नहीं हूं और मेरा नुकसान नहीं होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, मगर राजा जी की पार्टी में तो गये हैं। आप राजा के आदमी तो हैं। मैं आपको कभी भी राजा नहीं समझता था और न आज समझता हूं, लेकिन मुख्तार अवश्य हैं उस पार्टी के। अगर यह शब्द ग़लत हैं तो मैं वापिस भी ले सकता हूं।

तो मैं कह रहा था कि राजा और ज़मींदार लोग जो स्वतंत्र पार्टी में हैं उनका नुकसान अवश्य होगा। लेकिन हम समझते हैं कि उस पार्टी का यह दावा है कि वह प्रदेश और देश की ग़रीब जनता की सेवा करेंगे। शायद ऐसा दावा है।

कुछ सदस्य—ज़रूर है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो मैं आशा करता हूं कि आप इस विधेयक की पूरी सहायता करेंगे क्योंकि जमीन जो निकलेगी वह किसी ज़मींदार या राजा के पास नहीं जायगी बल्कि गरीबों के पास जायगी। लेकिन फर्जी या ज़बानी दावे से काम नहीं चलेगा। अब जनता बड़ी होशियार हो गई है। जमींदारी अबालीशन के बाद जनता कोसों आगे बढ़ गई है। नादान लोग भी अब सतर्क हो गये हैं। वे जानते हैं कि क्या-क्या अत्याचार उनके साथ हुए हैं। जो नतायज उन्होंने बर्दाश्त किये हैं वह मेमोरी उनके दिमागों में अभी भी ताज़ा है।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

लिहाजा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह दावा सही है तो बजाय इस सदन में अपोज करने के इस बिल को स्वीकार करना चाहिये। अगर यह पोलीटिकल स्टंट है कि हम गरीबों के सहायक हैं, मददगार हैं, उनकी बहबूदी के लिये सारे काम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप अपने स्वार्थ को जरा भी सेक्रीफाइस न करें, तब भले ही ऐसा कीजिये। लेकिन जनहित जानने वाले बहुत से साथी इधर हैं और उधर भी हैं। इसलिये यह साफ जाहिर है कि इस सदन का बहुमत इस बिल के पक्ष में है।

जहां तक हमारे मित्र गोविन्द सिंह विष्ट का ताल्लुक है, वह जो कुछ कहते हैं उसका मैं कभी बुरा नहीं मानता। अगर किसी शख्श को सख्त लेंग्वेज बोलने की आदत हो तो उसका इलाज ही क्या है। तमाम जमींदारी अबालीशन बिल पास हो गया लेकिन सारी जनसंघ पार्टी गैर-हाजिर रही और तनहा डिप्टी लीडर साहब जनसंघ पार्टी ४–५ दिन तक बराबर उसका विरोध करते रहे ताकि वह पास न हो पाये और गरीबों का भला न हो पाये। हालांकि वह पहले से ही इन्तजाम कर चुके थे लेकिन फिर भी जनहित की बात नहीं होने देना चाहते थे। अपने क्षेत्र के लिये जो उन्होंने किया वे यहां भी करना चाहें तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। (श्री गोविन्द सिंह विष्ट के कुछ कहने पर) सीलिंग वहां भी लगेगी, वैसे तो आप पहले ही वहां इन्तजाम कर चुके हैं।

हमारे मित्र गोविन्द सिंह विष्ट ने भी ऐसा इशारा किया कि यह सरकार अपनी पार्टी के लोगों से इशारा कर देती है कि हम ऐसा बिल लाने वाले हैं। मैं पूछता हूं इसमें क्या तथ्य है?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—जी, मेरे पास इसका प्रमाण है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर आपके पास प्रमाण है तो आप उसको दिलेरी के साथ हाउस के सामने रखिये। खाली आवाज लगा देने से कोई काम चलने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बिल को इस सीक्रेसी के साथ तैयार किया गया कि परिन्दा भी पर नहीं मार सका। लेकिन कुछ चतुर लोग जान गये लेकिन वे लोग उधर ही बैठते हैं, इधर नहीं। इसलिये यह कहना कि सरकार ने पार्टी के लोगों से कह दिया, यह सरासर गलत है और सत्य से परे है।

हमारे मित्र ने यह भी फरमाया कि यहां तो सरकार ८० गुना कम्पेन्सेशन दे रही है, लेकिन पहाड़ पर २० गुना ही दिया। पहाड़ के आदमी और प्लेन के आदमी एक समान हो सकते हैं बल्कि ज्यादा अच्छे हो सकते हैं लेकिन पहाड़ की जमीन, प्लेन की जमीन से कम कीमती होती है यह अन्तर तो रहेगा ही। हम यहां इन जस्टिस करने के लिये नहीं आये हैं कि उन दोनों का एक समान ही कम्पेन्सेशन दे दें। पहाड़ की कंकरीली पथरीली जमीन है और यहां प्लेन्स की जमीन अच्छी है, जरखेज है।

हमारे मित्र ने भी कहा कि बिल पेश हुआ २० तारीख को लेकिन २७ तारीख को पब्लिश हुआ इसलिये उसी तारीख से नोटिस माना जाय। मेरा जवाब है कि अभी हमारे मित्र १० वर्ष पुरानी बातें अपने दिमाग में रखे हुए हैं। आज यह स्थिति है कि गांवों में भी रेडियो लगे हुए हैं और अखबार गांव गांव में पंचायतों में तथा ब्लाक में आते हैं। इस तरह से रेडियो भी लोग सुनते हैं और अखबारों के द्वारा भी यहां की सारी प्रोसीडिंग्स का हवाला उनको जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। जैसा मैंने एक रोज और कहा था कि असेम्बली में आवश्यक पब्लिकेशन कर देने से उसकी जानकारी सब को जल्दी हो जाती लिहाजा २० तारीख को जब बिल पेश किया तो सब को उसका नोटिस हो गया। अगर गजट में इसे हम देते तो लोग उसका नोटिस नहीं लेते क्योंकि गजट तो गांव में जाता नहीं वह तो एम० एल० ए० लोगों के पास जाता है जिसे वह लोग पढ़ते तक नहीं। तो मैं समझता हूं कि इसकी पब्लिसिटी उससे उतनी नहीं होती है जितनी कि सदन में एनाउन्समेंट से होती है, लिहाजा २० तारीख हमने रखा।

हमारे मित्र प्रतापसिंह जी तथा कुछ और मित्रों ने कहा कि राजस्व मन्त्री ने जो कहा उनकी बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैं समझा ही तो सकता हूँ, समझ थोड़े ही दे सकता हूं। हमारे पास तो वह वैसे ही कम है और दे दूं तो मैं बेकार हो जाऊंगा। मैंने समझाया कि संविधान के परिच्छेद १९ के सब क्लास (एफ) में दिया हुआ है कि हर शख्स को, हर नागरिक को जायदाद हासिल करने और उसे बेचने का अधिकार है। संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है उसके इनज्वायमेन्ट में कोई बाधा डाले और उसके लिये कोई कानून बनाया जाय तो वह अल्टरावायरस होगा और वह कानून जायज नहीं होगा। लेकिन उसी परिच्छेद के क्लास (५) को अगर हमारे मित्र श्री प्रतापसिंह पढ़ने की तकलीफ उठायें तो उसमें साफ दिया हुआ है कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि जो आर्टिकल १९ में राइट दिया गया है उसको बरतने में जनहित के लिये रीजनबिल रोस्ट्रक्शन लगाया जा सकता है और ऐसा कानून बनाया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि २० अगस्त जो हमने फिक्स कर दिया उस तारीख से कोई चीज मुन्तकिल नहीं की जा सकती है, तो हमने कोई, आर्बिट्रेरी तारीख नहीं रखी। जो तारीख रखी जाय उसकी कोई रेलिवेंसी होनी चाहिये विद दि प्रोविजन आफ दि बिल।

१५ अगस्त की हमारे देश के इतिहास में एक रेलिवेंसी जरूर है लेकिन उसकी रेलिवेंसी इस बिल से कोई नहीं है। इस बिल की रेलिवेंसी २० अगस्त से है क्योंकि २० अगस्त को हम ने यह बिल पेश किया था। इसलिये एडवोकेट जनरल ने हमको सलाह दी कि आप १५ अगस्त के बजाय २० अगस्त कर दीजिये और इसलिये हमने इस डेट को रखा है। मैं आशा करता हूं कि हमारी बात श्री प्रताप सिंह जी, तथा विष्ट जी जिन्होंने अब तक नहीं समझा था, अब समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने अर्ज किया, इतना कहने के बाद भी अगर मेरी बात समझ में न आई हो तो वे संविधान के परिच्छेद १९ को पढ़ लें।

हमारे दोस्त विष्ट जी ने यह भी फरमाया था कि और स्टेट्स में जहां की जमीन ज्यादा फर्टाइल है, कम सीलिंग रखी है। यह बिल्कुल सही बात है। हमें तो ३६०० रु० का इन्कम साल भर में दिखाना है। अगर २ एकड़ जमीन में ही ३६०० रु० की आदमनी दिखा दी जाय तो मुझे कम सीलिंग रखने में कोई एतराज नहीं है। यह जो कहा गया कि और स्टेट्स में फर्टाइल जमीन होने पर भी ३० एकड़ सीलिंग है, यह बिल्कुल युक्तिसंगत बात है। अगर हमारे बुन्देलखंड जैसी जमीन उस स्टेट में होती तो वे ३० एकड़ के बजाय ज्यादा सीलिंग ही रखते। हमको बड़ा अफसोस है कि स्वतन्त्र पार्टी के लोग बड़ी द्विविधा में पड़े हुए हैं। एक ओर तो डर है कि कहीं साढ़े ६ एकड़ पर न पहुंच जायं और अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर पोलिटिकल स्टन्ट कहां से आये। मैं उनकी दिक्कत को समझता हूँ और उनके साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है, वह ऐसी कशमकश में पड़ गये हैं कि न इधर कहते बनता है और न उधर कहते बनता है। शुक्ल जी उस पार्टी के कर्ता-धर्ता हैं, वह उसके नेतृत्व के पद पर स्थापित हुए हैं, इसीलिये वह ऐसा संशोधन लाये हैं कि इसको दोबारा प्रवर समिति में भेजा जाय। वह साफ नहीं कहते। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, जो आप के संशोधनों से बात निकलती है वही मैं कहता हूँ। इस तरह का मेरा इनफरन्स है, हो सकता है कि वह गलत हो। अगर गलत हो तो आशा करता हूँ कि वह मुझे माफ करेंगे। यह तो बहुत लड़-भिड़ कर हमने और माननीय गेंदा सिंह ने तय किया है। अब आगे तो और कम होने की ही सम्भावना है इसलिये इसको अब आगे कहीं न भेजिये।

मैं तो समझता था कि इसके शायद स्वतन्त्र पार्टी ही खिलाफ होगी, लेकिन माननीय भोलालाल जी के प्रस्ताव को देखकर तो मुझे और परेशानी हो गई। उन्होंने प्रवर समिति में भेजने के लिये एक दो सप्ताह की बात नहीं कही बल्कि वह कहते हैं कि इसको जनमत संग्रह के लिये ३ मास के लिये घुमाया जाय। इस तरह से ३ महीने में तो जनमत आये और उसके बाद फिर वह बिल यहां आये और उसके बाद फिर प्रवर समिति में जाय और वहां फिर कुछ समय लगे और उस के बाद भी न जाने क्या चाहते हैं। इस तरह से देर लगाना

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हमारे ख्याल में ठीक नहीं है । इसके अलावा पांच दिन के लिये तो हम पर चार्जशीट लगता है कि १५ अगस्त का २० अगस्त क्यों कर दिया और अगर हम ३ मास की बात मानलें तो इस चार्जशीट पर हमारा कनविक्शन ही हो जायगा । लेकिन फिर भी यह अच्छा हुआ कि श्री भीखालाल जी ने वापस लेने की बात कही है लिहाजा मुझे सन्तोष है । सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो वह भूला नहीं कहाता ।

यह न होना चाहिये कि एक बात रख दी, चाहे सीधी हो या उल्टी, फिर उस पर आखिर तक स्टिक करें । मैं भीखा लाल जी को धन्यवाद देता हूँ बरअक्स अपने शुक्ल जी की बात चाहे सीधी हो या उल्टी लेकिन चूंकि हमने प्रस्ताव कर दिया इसलिये हमें इस पर आखिर तक कायम रहना है । मुझे अफसोस है कि शुक्ल जी के लिये मुझे ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं वैसे तो जमीन्दारी अबालीशन का जब मैं बिल लाया था उस समय भी मेरे मित्र के बड़े-बड़े भाषण हुए थे और उस वक्त भी मेरे मित्र उस तरफ चले गये थे तो हमारे लिये उनकी तरफ से यह कोई नई बात नहीं है । जब ऐसे मौके आयेंग, वह उधर जायेंग लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि आखिर तक वह शायद मान जायं । स्वतन्त्र पार्टी के एक एक करके लोग आज मिलें हैं, कल न जाने क्या गुल खिले, कल न जाने जितने आज वह हैं उतनी ही दिशा में जायंगे । बांधे बनिया बाजार नहीं लगती । अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता और माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अधिक समय लिया । अन्त में मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा और इन संशोधनों को खत्म करेगा ।

श्री प्रताप सिंह--मान्यवर, मुझे इस बात का दुख है कि माननीय माल मन्त्री जी जो बहुत ही संयमी प्रकृति के हैं उनका आज जो मैंने रूप देखा उसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ । हम लोग जो नौजवान हैं उनको गुस्सा आजाये तो कोई बात नहीं लेकिन वह तो बुजुर्ग हैं उनको आज गुस्सा आ गया । उन्होंने एक बात यह कही कि मेरी मेमोरी शार्ट है और उन्होंने मेरे ऊपर चार्ज लगाया कि मुझे ३ सितम्बर, सन् ५९ की बात याद नहीं रही । हो सकता है । मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ । मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं कि वह बुजुर्ग हैं । मैं अपनी मेमोरी को तेज करने की कोशिश करूंगा ।

दूसरी चीज उन्होंने कही वह मैंने नहीं कही थी । मैंने कहा था कि माननीय माल मन्त्री सेलेक्ट कमेटी के साथ जब बड़े-बड़े जमीन्दारों के यहां गये तो उन्होंने शायद इसके बाद सोचा होगा कि अगर इनको हम सुख सुविधा सीलिंग में न दे सकें तो कम से कम १५ से २० तो कर दें, यह मैंने कहा । यह कभी नहीं कहा कि उनकी यह मंशा है । मुझे तो बुरा नहीं लगता, वह बुजुर्ग हैं, बहुत से चार्जेज लगा दिये । लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी की जो रेपूटेशन है कि मुस्करा कर जवाब देते हैं वह उसे कायम रखेंगे । अगर वह ऐसा करते हैं तो इधर भी नौजवान लोग हैं । मेरी बात से यदि उन्हें कोई व्यक्तिगत तकलीफ हुई हो तो मुझे खेद है ।

श्री सीताराम शुक्ल--श्रीमन्, अभी आधे घण्टे का समय है और कितने ही लोग बोलना चाहते हैं..

श्री अध्यक्ष--अब वह खंडों पर बोल सकते हैं, जवाब के बाद तो...

श्री सीताराम शुक्ल--आप चाहें तो समय दे सकते हैं...

श्री अध्यक्ष--यहां कोई खाली एकैडेमिक डिस्कशन तो नहीं होता, यहां तो नियमानुसार बोलने का अधिकार होता है । जब वह उत्तर के लिये खड़े हुए तो आपको कहना चाहिये था कि दूसरे और बोलने वाले हैं, तो समय मिल जाता ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मैंने भी ५-६ दिन से निवेदन नहीं किया है इसलिये ...

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये ।

श्री टीकाराम पुजारी---जिस गांव में सूना हो वहां बिल्ली शेर हो जाती है । शेर का मौका नहीं आया, नहीं तो हम बताते कि राजा उनके साथ हैं कि हमारे साथ हैं. . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये, अब मैं राय ले रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पुनः संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---(श्री भोखालाल से) माननीय भोखालाल जी, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री भोखालाल---जी हां ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---खंडों पर विचार आज शुरू करना चाहते हैं ?

श्री राघवन्द्रप्रताप सिंह---कल शुरू किया जाय तो ठीक होगा क्योंकि ऐलान हुआ था ।

श्री अध्यक्ष---तो कल विचार होगा । आज काम कुछ नहीं है इसलिये अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३४ मिनट पर अगले दिन तक के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।

श्री देवकीनन्दन मिस्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१ अगस्त, १९६०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर)

१९५९ में जिला मैनपुरी के प्राइवेट ईंट भट्ठे वालों में कोयला चूर के वैगनों के वितरण की सूची।

क्रम संख्या	भट्ठे वाले का नाम	स्थान	श्रेणी	जिले का कोटा	एडहाक कोटा	योग
१	२	३	४	५	६	७
						वैगन
१	श्री मिजाजी लाल ..	मैनपुरी	ए	१२	१५	२७
२	श्री बसन्त लाल ..	कुरावली	ए	१२	१५	२७
३	सर्वश्री दिग्विजय सिंह रमेश चन्द्र ..	जोगा	ए	१२	१४	२६
४	श्री हर नाथ सिंह ..	सगोनी	ए	१२	१५	२७
५	सर्वश्री जीवनदास अतार चन्द ..	करहल	ए	१२	१४	२६
६	,, राम किशन दास राधा मोहन	शिकोहाबाद	ए	१२	१५	२७
७	,, किशन कुमार केदार नाथ	मैनपुरी	ए	१२	१५	२७
८	,, मंगल सेन सीताराम ..	शिकोहाबाद	ए	१२	१५	२७
९	,, किशनलाल जगदीश लाल	,,	ए	१२	१५	२७
१०	,, रतिराम राधेश्याम ..	सिरसागञ्ज	ए	१२	१५	२७
११	श्री रघुबीर सहाय भटनागर	मैनपुरी	ए	१३	१५	२८
१२	सर्वश्री उदय बीर एंड सन्स	मैनपुरी	ए	१२	१५	२७
१३	,, रघुनन्दन सिंह इन्द्रपाल सिंह ..	बेबर	ए	१२	१४	२६
१४	श्री दयानन्दन व्यास ..	छाछा	ए	१२	१४	२६
१५	कैप्टन निहाल सिंह ..	ऊरावर	ए	८	९	१७
१६	श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी	प्रतापपुर	ए	८	१०	१८
१७	श्री सरनामसिंह ..	कुरावली	ए	८	९	१७
१८	श्री भगवती प्रसाद दीक्षित प्रोप्राइटर उमाकान्त शिवपाल ..	करहल	ए	८	९	१७
१९	श्री अटल बिहारी लाल	कुरावली	बी	८	१०	१८
२०	श्री बालमुकुंद सक्सेना	अलीपुरखेरा	बी	८	१०	१८
२१	श्री ब्रज मोहनलाल सर्राफ	सिरसागञ्ज	बी	८	१०	१८
२२	सर्वश्री बलवीरसिंह रतन लाल ..	मखनपुर	बी	८	१०	१८
२३	,, छैलबिहारी लाल निरंजन लाल	शिकोहाबाद	बी	१०	१०	२०
२४	,, जगदीशलाल एंड ब्रदर्स	,,	बी	९	११	२०
२५	,, जगदम्बा प्रसाद दीपचन्द	मैनपुरी	बी	८	११	१९

क्रम-संख्या	भट्ठे वाले का नाम	स्थान	श्रेणी	जिले का कोटा	एकहाक कोटा	योग
१	२	३	४	५	६	७
						बैगन
२६	श्री शाह ज्वाला प्रसाद	बरनहल	बी	८	१०	१८
२७	सर्वश्री कन्हैया लाल ओम प्रकाश ..	सिरसागञ्ज	बी	८	१०	१८
२८	सर्वश्री कुञ्जीलाल मुन्नू लाल	मैनपुरी	बी	९	१०	१९
२९	सर्वश्री राम सेवक हरि ओम	सिरसागञ्ज	बी	८	१०	१८
३०	श्री राम प्रताप सिंह ..	गोधना	बी	८	१०	१८
३१	सर्वश्री रामेश्वर दयाल ओम प्रकाश ..	कुरावली	बी	८	१०	१८
३२	श्री श्रीराम आहुजा	शिकोहाबाद	बी	९	१०	१९
३३	श्री सत्य प्रकाश भटनागर	भोगांव	बी	८	१०	१८
३४	सर्वश्री ग्यानीराम सीता-राम ..	शिकोहाबाद	बी	८	११	१९
३५	श्री शिवबक्स सिंह	मैनपुरी	बी	६	१	७
३६	श्री रमेश चन्द दूबे	कुसीयारी	बी	६	८	१४
३७	सर्वश्री चन्द मल रमेशचन्द	परहम	बी	६	१	७
३८	श्री भीमसेन ..	नगलाखंजर	बी	६	१	७
३९	श्री बिहारी लाल गौड़ ..	बरनहल	अस्थायी	—	७	७
४०	श्री श्री राम पधान ..	भगवतीपुर	,,	—	७	७
४१	श्री विद्याराम मैनेजर	जाजूमल	,,	—	७	७
४२	श्री सिया राम चेयरमैन	फरीहा	,,	—	७	७
४३	चेयरमैन, टाऊन एरिया कमेटी ..	भोगांव	,,	—	२	२
		योग	..	३५८	४४७	८०५

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर)

योजना की मुख्य-मुख्य बातें

देश के विभिन्न राज्यों के लिये विदेशों में आयात किये गये उपकरणों तथा देश में बने किसी अन्य राज्य में सफलता प्राप्त उपकरणों के अन्य राज्यों में प्रयोग परीक्षण के लिये भारतीय कृषि शोध परिषद् द्वारा एक तीन वर्षीय योजना ५९-६०,६०-६१ तथा ६१-६२ के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त होनी थी। किन्तु विदेशों से प्राप्त होने वाले उपकरणों में विदेशी मुद्रा तथा अन्य कठिनाइयों के विलम्ब होने से यह योजना अब ६०-६१, ६१-६२ तथा ६२-६३ के लिये स्वीकृत की गई है और ५९-६० वर्ष में इसके अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया, न सहायता का ही प्रश्न उठता है।

इस योजना के अन्तर्गत निम्न उपकरणों पर परीक्षण किये जाने का प्रस्ताव है।

बाहर से आयात किये गये यन्त्र--

१--स्पेन का गेहूं मड़ाई यन्त्र जिस में भूसा बनाने की भी सुविधा है।
२--मूंगफली खोदने व चुनने का यन्त्र।
३--खेत के समतल बनाने का यन्त्र।
४--कपास बोने का यन्त्र।
५--हाथ से चलने वाला मक्का का दाना अलग करने का यन्त्र।
६--आलू खोदने का यन्त्र।
७--धान रोपने का यन्त्र।

देश में उत्पादित अन्य राज्यों से मंगाकर परीक्षण के लिये यन्त्र

१--उन्नत मिट्टी पलटने वाले हल।
२--बीज बोने की मशीन।
३--कपास का पौधा उखाड़ने का यन्त्र।
४--बैलों द्वारा चलायी जाकर उर्वरक तिरक तथा बीज बोने वाली मशीन।
५--मूंगफली छीलने वाली मशीन।
६--गेहूं मड़ाई यन्त्र।
७--बैलों द्वारा मशीनें चलाने के लिय बैलों का गियर।

इस योजना में निम्नलिखित वार्षिक व्यय होने का अनुमान है :

प्रथम वर्ष १९६०-६१	द्वितीय वर्ष १९६१-६२	तृतीय वर्ष १९६२-६३	कुल योग
६,७७२ रु०	७,०५४, रु०	७,३३६ रु०	२१,१६० रु०
	परिषद् से सहायता १०,५८० रु०		
	राज्य सरकार से १०,५८० रु०		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ पर ३९५)

ईंट के नए भट्ठों को लाइसेंस प्रदान करने की आज्ञा का सारांश

नये भट्ठों के सब प्रार्थनापत्रों पर जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति विचार करेगी और जिन प्रार्थना-पत्र व पत्रों को आवश्यक समझेगी उनको अपनी सिफारिश के साथ प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के पास भेज देगी जो कि अपनी मञ्जूरी अभी देगी जब कि जिले में भट्ठे वाले का कोई स्थान रिक्त हो। यदि ऐसा कोई स्थान रिक्त नहीं है पर किसी नये भट्ठे को किसी क्षेत्र में चलाना आवश्यक समझा जाता है तो वह मामले को अपनी सिफारिश के साथ सरकारके पास निर्णय के लिये भेज देगा।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये २ मई, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न का शोधन पीछे पृष्ठ ४०४ पर)

विधान सभा के पिछले सत्र के ८वें सोमवार (२-५-६०) के लिये निर्धारित श्री होरी लाल यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर।

मूल प्रश्न

५६--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में ५६-५७, ५८-५९ में किन किन सहकारी समितियों में गबन हुआ और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

५६--एक सूची मेज पर रक्खी है। सहकारी संघ तालिग्राम और तकीपुर तथा क्षेत्रीय सहकारी समिति प्रेमपुर के गबन के मामलों में विभागीय कार्यवाही की गयी। शेष समितियों के गबन के मामले पुलिस को दे दिये गये। पुलिस ने २ मामलों में चार्जशीट लगा दी है। एक मामलें मे मुकदमा भी चालू हो गया है। शेष मामले पुलिस की जांच में है।

अनुपूरक प्रश्न

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--कुल कितनी सहकारी समितियों में और कितने रुपये का गबन हुआ है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? योग क्या है ?

दिया गया उत्तर

श्री वीरेन्द्र वर्मा--७, सन् ५८-५९ में है और ३, सन् ५६-५७ में हैं। कुल योग ८०,००० रुपये के करीब है।

संशोधित उत्तर

७, सन् १९५८-५९ में है और ३, सन् ५६-५७ में है। कुल ४९,४३४ रुपये २ नये पैसे का गबन हुआ।

सूची उन समितियों की जिनमें गबन हुआ।

१९५६-५७	१९५८-५९
१ लोहामढ़ सहकारी समिति।	१ सहकारी संघ, तालिग्राम।
२ अली नगर सहकारी समिति।	२ सहकारी संघ, तकीपुर।
३ कायमगंज सहकारी संघ।	३ क्षेत्रीय सहकारी समिति, प्रेमपुर।
	४ सहकारी संघ, चिलसरा।
	५ सहकारी समिति, मलगवां।
	६ सहकारी समिति, कटरा रहमत खां।
	७ मार्केटिंग सोसाइटी, कायमगंज।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११४ एल० ए०--१९६०--८४५।